VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

फरवरी - 2017

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान 8

1.1. राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में सुधार 8

1.2. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार 9

1.3. नया CBI कानून 10

1.4. 'RTI के तहत महान्यायवादी की स्थिति' का पुनरीक्षण 11

1.5. एग्जिट पोल 12

1.6 अनुच्छेद 370 13

1.7. राष्ट्रीय गीत का प्रचार 14

1.8. स्पॉइल्स सिस्टम 15

1.9. संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा NHRC के प्रत्यायन को स्थगित किया गया 16

1.10. न्यायाधीश द्वारा अवमानना 17

2. अंतर्राष्ट्रीय/भारत और विश्व 18

2.1. रोहिंग्या मुद्दा 18

2.2. H1 वीज़ा मुद्दा 19

2.3 भारत-पूर्व अफ्रीका 20

2.4. विश्व व्यापार संगठन (WTO) 20

2.5. निकासी नीति 21

2.6. भारत-ताइवान 22

2.7 भारत-बांग्लादेश 23

2.8 भारत-अमरीका 23

2.9. दक्षिण सूडान 23

2.10 इज़राइल-फ़िलिस्तीन 24

2.11. अफ्रीका में अकाल का संकट 24

3. अर्थव्यवस्था 25

3.1. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 25

3.2. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 26

3.3 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 26

3.4. रेल सुरक्षा 27

VISION IAS

3.5 रेल कैडर प्रबंधन 28
3.6 FIPB को समाप्त किया जाएगा 29
3.7 तंबाकू में FDI पर प्रस्तावित प्रतिबंध 29
3.8 CBDT ने चार अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये 30
3.9 नागरिक उड्डयन में सुधार 31
3.10 केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा 32
3.11 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र 33
3.12.कृषि विपणन 33
3.13. टैक्स टेररिज्म 34
3.14 प्रस्तावित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड 34
3.15. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड 35
3.16. ट्रांजिट आधारित विकास नीति 36
3.17. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन 37
3.18. बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC) 38
3.19 ताम्र पोर्टल एवं खनन मंत्रालय 38
3.20 सेबी द्वारा एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नियमों को सख्त किए जाने का प्रस्ताव 39
3.21 व्हाइट लेबल ATM में 100% FDI 39
4. सुरक्षा 40
4.1 भारत ने साइबर स्वच्छता केन्द्र लॉन्च किया 40
4.2. ट्रोपेक्स-17 41
4.3 भारतीय तटरक्षक बल 41
4.4 आउटर स्पेस संधि 42
4.5 म्यांमार से लगी पूर्वी सीमा की बाड़बंदी 44
4.6. 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' की आवश्यकता 45
4.7. सशक्त बलों को शक्ति प्रदान करने हेतु UAVs 45
4.8 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 47
4.9 तटरेखा की सुरक्षा में वृद्धि 48
4.10. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 49
4.11. बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली 49
4.12. नेत्र 50

VISION IAS

4.13 अग्नि इंटरसेप्टर मिसाइल 50

5. पर्यावरण 51

5.1. ग्रीष्म लहर कार्ययोजना की तैयारी पर कार्यशाला 51

5.2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-बफर ज़ोन 51

5.3. कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध के आदेश का प्रारूप 52

5.4. केरल का चिकित्सकीय पौधा 52

5.5. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 53

5.6 इरावदी डॉल्फ़िन 54

5.7 नया महाद्वीप : ज़ीलैंडिया 55

5.8 फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफ़ॉर्म (FLRP) 55

5.9. भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 56

5.10 इंडिया एंड स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2017 57

5.11. चेन्नई तेल रिसाव 57

5.12. विश्व की पहली ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली 59

5.13. विश्व आर्द्रभूमि दिवस 59

5.14. रिप ज्वार 60

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 61

6.1. LIDAR तकनीक 61

6.2. सोयाबीन से ग्राफीन 62

6.3 मेघ बीजन 62

6.4. ब्लेज़ार्स 63

6.5 2023 तक डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन पर स्विच करें 63

6.6 प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 64

6.7 FLU गैस टेक्नोलॉजी 65

6.8 भारत का राष्ट्रीय वैक्सीन विनियामक प्राधिकरण 66

6.9 इसरो (ISRO) में नवीनतम विकास 66

6.9.1. PSLV-C37 द्वारा एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण 66

6.9.2. चन्द्रमा की सतह पर इसरो का रोवर 66

6.9.3. टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड प्रोसेसर (TTCP) 67

6.10 अपराधियों की डीएनए टैगिंग 67

VISION IAS

6.11 सुपरबग....67
6.12 वैम्पायर स्टार....68
6.13 पृथ्वी की आतंरिक कोर क्यों नहीं पिघलती है?....68
6.14 भारत QR कोड....68
7. सामाजिक....70
7.1. सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2017 का प्रारूप....70
7.2. महिला शक्ति केन्द्र....70
7.3. कोरोनरी स्टेंट की कीमत की अधिकतम सीमा निश्चित की गई....71
7.4. औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन....72
7.5. सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना....73
7.6. ब्रेन डेड के लिए मानदंड....73
7.7. UGC की वित्तपोषण शक्तियां....74
7.8. कदियाम श्रीहरी समिति....74
7.9. अशोक कुमार रुपनवाल आयोग की रिपोर्ट....75
7.10. तेजस्विनी परियोजना....75
7.11. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना....76
7.12. हमारी धरोहर योजना....77
7.13. ब्रेल एटलस....77
7.14. पीसा....77
8. संस्कृति....78
8.1. राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन....78
8.2. गणतंत्र दिवस की झांकी....79
8.2.1. ओडिशा-डोला जात्रा....79
8.2.2. याक नृत्य - अरुणाचल प्रदेश....79
8.2.3. लाई हरोबा-मणिपुर....79
8.2.4. कर्नाटक के लोक नृत्य....79
8.2.5. चंबा रूमाल-हिमाचल प्रदेश....80
8.2.6. कराकट्टम-तमिलनाडु....80
8.2.7. होजागिरि-त्रिपुरा....80
8.3. गुरु गोबिन्द सिंह की 350 वीं जयंती....80
8.4. भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह....81

VISION IAS

8.5. दारा शिकोह 81
8.6. बेट द्वारका दर्शन सर्किट 82
8.7. प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल की खोज 82
8.8. माधव नवमी महोत्सव 82
8.9. निलम्बुर सागौन: भौगोलिक संकेतक टैग 83
8.10. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 83
9. नीतिशास्त्र 84
9.1. गुड समैरिटन लॉ 84
9.2. व्हिसल ब्लोइंग 84
10. सुर्ख़ियों में: 86
10.1. सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीश की नियुक्ति 86
10.2. बेनामी कम्पनियों के लिए अन्तर्विभागीय कार्यबल 86
10.3. विसल्ब्लोअर शिकायतों के लिए नागरिक मंच 86
10.4.डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन 87
10.5. पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा 87
10.6. सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवाओं को वहनीय (सस्ता) बनाया 87
10.7. सिटी वेल्थ इंडेक्स 87
10.8. गतिशील श्रमिक अधिक उत्पादक हैं: ILO की रिपोर्ट 88
10.9. ई-लाभ 88
10.10. इंडिया रेस्पोंसिबल बिजनेस इंडेक्स 88
10.11. वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष शाखा 89
10.12. रक्षा नवोन्मेष निधि 89
10.13. राष्ट्रीय महिला संसद 91
10.14. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 91
10.15. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 91
10.16. खेलो इंडिया योजना 92
10.17. इम्प्रवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस 92
10.18. MTCR में भारत की प्रविष्टि से इसरो को सहायता 92
10.19. ट्रेपिस्ट-1 93
10.20. थोर प्रयोग 93

VISION IAS

10.21. मेघालय में यूरेनियम भंडार मिला 93
10.22. डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर के लिए परभक्षी मिला 93
10.23. आर्कटिक वॉल्ट में नए बीज जमा किये गए 94
10.24. VX नर्व एजेंट 94

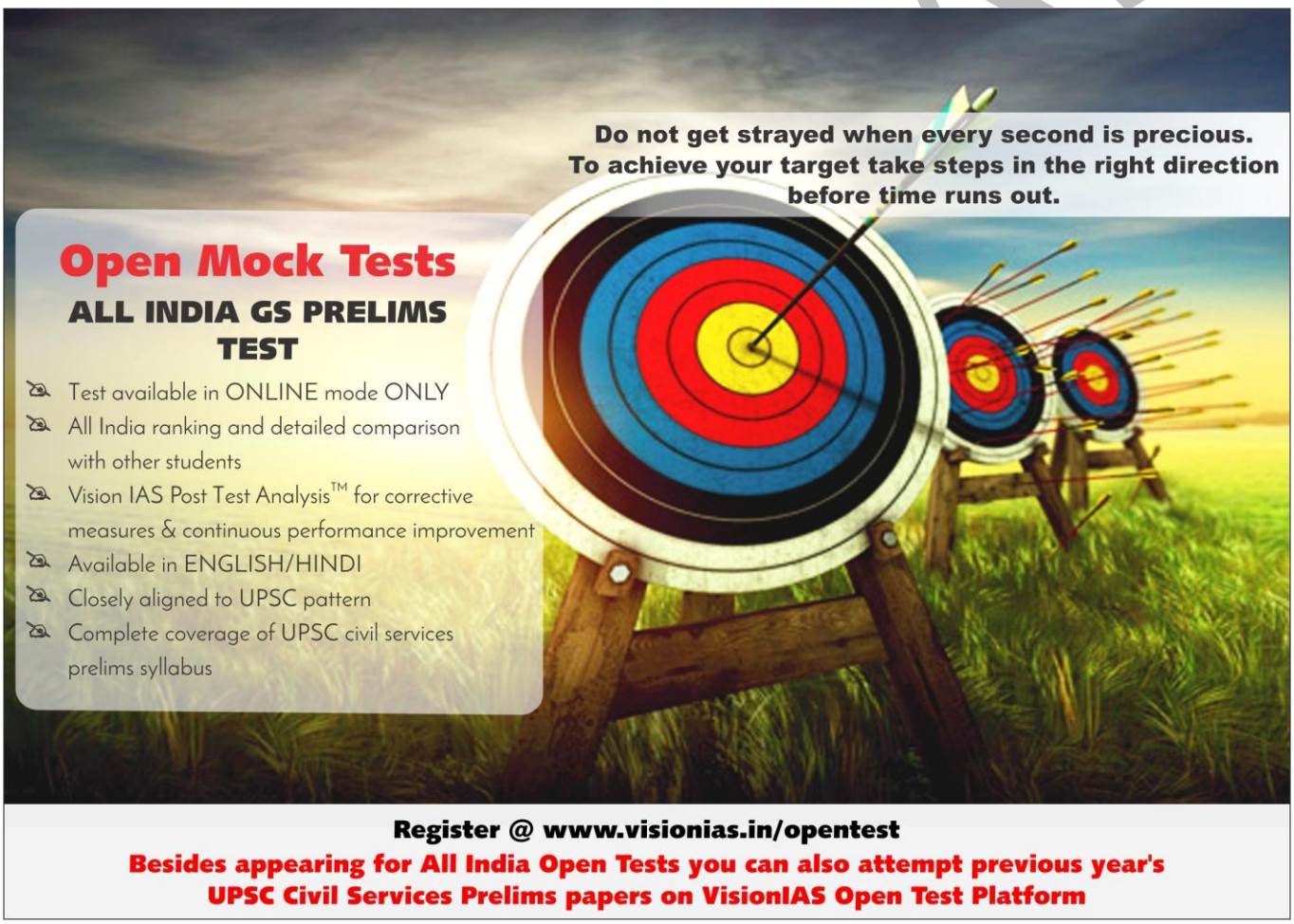

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में सुधार

(Reforms in Funding to Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संघीय बजट 2017-18 में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ सुधारों की घोषणा की गई है।

सुधार

- राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रूपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- राजनीतिक दल अपने दाताओं से चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही चंदा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित है जिससे इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चुनावी बांड जारी करने की योजना लायी जा सके (ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा)।
- प्रत्येक राजनीतिक दल को आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर जमा कराना होगा।
- राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही उपलब्ध होगी।

पृष्ठभूमि

- निर्वाचन आयोग ने सरकार से अज्ञात स्रोत से राजनीतिक दलों को मिलने वाली 2000 रूपये से अधिक की राशि को प्रतिबंधित करने वाला संशोधन क़ानून लाने के लिए कहा था ।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से इंगित किया है कि राजनीतिक दलों को 2004-05 से 2014-15 के बीच 75 प्रतिशत राशि अज्ञात स्रोतों से मिली थी।

चुनावी बांड

- बांड केवल अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
- इसे केवल चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है।
- दाता द्वारा खरीदे गए बांड राजनीतिक दलों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे।
- एक अधिसूचित बैंक खाते का उपयोग कर राजनीतिक दल इन बांडों को धन/पैसे में बदल सकते हैं।
- सभी राजनीतिक दलों को अपने बैंक खाते के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित करना आवश्यक है।
- यह बांड एक वाहक (बीयरर) चेक की तरह होगा जो दाता को गोपनीयता की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रभाव

- यह काले धन का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की समस्या को जड़ से नष्ट करेगा।
- चुनावों में धन बल शक्ति में पर्याप्त कमी आएगी क्योंकि राजनीतिक दल सिर्फ रुपए 2000 तक नकद में स्वीकार कर सकते हैं।
- राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी और इस प्रकार ये जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बन पाएंगे।
- यह बड़े कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ को कम करेगा।

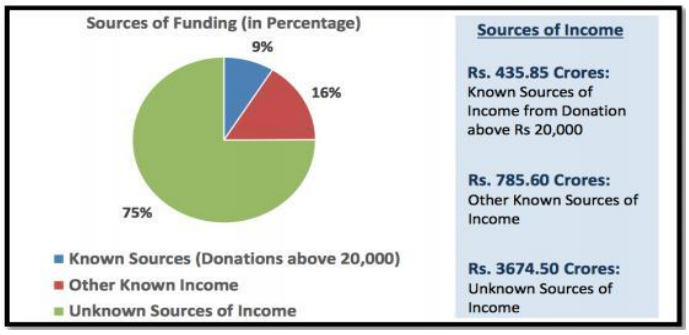

- दीर्घकाल में, इसके परिणामस्वरुप नैतिक राजनीति में सुधार और राजनीति के अपराधीकरण में कमी होगी।

चुनौतियां

- यह प्रस्ताव अवैध राजनीतिक चंदे के प्रवाह में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह केवल अलग तरीके से प्रवाह सुनिश्चित करेगा और राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल चंदे में अज्ञात स्रोतों से नकदी के अनुपात को कम नहीं करेगा।
- राजनीतिक दलों को अब इस चंदे को छुपाने के लिए और ज्यादा लोगों के नामों की आवश्यकता होगी, किन्तु फंडिंग के सन्दर्भ में पारदर्शिता से समझौते की संभावना अभी भी बनी रहेगी।
- चुनावी बांड अज्ञात लोगों को इसे खरीदने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यद्यपि, यह कदम सामान्य जनता के लिए रक्षोपाय के समान है, किन्तु इसका प्रयोग कॉर्पोरेट घरानों द्वारा दलों के वित्तपोषण में किया जा सकता है जिससे अंत में दलों के साथ इनका गठजोड़ होता है।

VISION IAS

- बजट में राजनीतिक दलों के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कर जमा करना अनिवार्य किया गया है, किन्तु कड़े दंड प्रावधान के अभाव में अनुपालन होने की संभावना कम है।

आगे की राह

- बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस तरह के चंदे को अमेरिका की तर्ज पर जनता के समक्ष प्रकट किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट घरानों को किसी भी तरह का लाभ देने से निषिद्ध करने वाला कानून लागू किया जा सकता है।
- राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाना चाहिए जैसा कि भूटान, जर्मनी आदि देशों में किया गया है।
- बजट में पार्टियों के नकद रूप में चंदा लेने की एक ऊपरी सीमा निश्चित की जानी चाहिए।
- दिनेश गोस्वामी समिति (1990) द्वारा अनुशंसित राज्य वित्तपोषण की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दल दाताओं की सूची बनाए रखें जिसकी आयकर विभाग द्वारा आसानी से जांच की जा सके।
- राजनीतिक दलों की निधियों का एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाना चाहिए । इनके आंतरिक लेखा परीक्षक को यह जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। इस विवरण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

राज्य वित्तपोषण के पक्ष में तर्क	**राज्य वित्तपोषण के विपक्ष में तर्क**
• राज्य द्वारा वित्तपोषण से दल और उम्मीदवारों में वित्त के सम्बन्ध में पारदर्शिता बढ़ जाती है, क्योंकि वित्तपोषण के साथ-साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। • राज्य द्वारा वित्त पोषण से अमीर लोगों और अमीर माफिया के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध किया जा सके। • हालाँकि राज्य द्वारा वित्त पोषण दलों में आंतरिक लोकतंत्र की मांग करता है, जिससे महिलाओं,कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जा सके। • भारत में, उच्च स्तर की गरीबी के कारण, सामान्य नागरिकों से राजनीतिक दलों के लिए अधिक योगदान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए पार्टियां कॉरपोरेट घराने और अमीर व्यक्तियों द्वारा वित्तपोषण पर निर्भर करती हैं।	• राज्य वित्तपोषण के माध्यम से चुनाव में करदाताओं को उन राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए विवश किया जाता है, जिनके विचारों से वे सहमत नहीं हैं। • राज्य के वित्तपोषण द्वारा स्थिरता को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्थापित दलों या उम्मीदवारों को सत्ता में बनाए रखता है और नये दलों के लिए आगे की राह को कठिन बना देता है। • राज्य वित्तपोषण से राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज के बीच दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टियां पार्टी निधि जुटाने के लिए नागरिकों पर निर्भर नहीं रहती हैं। • राजनीतिक पार्टियां नागरिक समाज का हिस्सा होने की बजाय राज्य का अंग बन जाती है।

1.2. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार

(Ministry of Urban Development: New Reform Matrix)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शहरी शासन, योजना तथा प्रबन्धन में सुधार हेतु शहरी विकास मन्त्रालय ने अगले तीन वर्षों के लिए राज्य एवं शहरी सरकारों के द्वारा सुधारों को लागू करने एवं सक्षम बनाने हेतु सुधारों के एक नए सेट को विकसित किया है ।

सुधारों में सुझाये गए प्रमुख प्रावधान

विश्वास एवं प्रमाणन की ओर बढ़ना

- वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत पहले प्रमाणन की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात अनुमति दी जाती है । आवश्यक यह है कि नागरिकों में विश्वास स्थापित किया जाए तथा अनुमति पहले दे दी जाये और प्रमाणन बाद में भी दिया जा सकता है ।
- भवन निर्माण के लिए अनुमति देने, नगरपालिका के अभिलेखों में टाइटल के बदलाव, तथा जीवन -मृत्यु पंजीकरण, शहरी सरकार तथा नागरिकों के मध्य वृहद् स्तर पर भौतिक संपर्क को शामिल करने के सन्दर्भ में इस दृष्टिकोण की सिफारिश की गयी है।

भूमि स्वत्वाधिकार (लैंड टाइटलिंग) कानूनों का निर्माण

- **मैकेंजी** के अनुसार देश में लगभग 90 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड अस्पष्ट हैं। भू- बाजार विकृतियों और अस्पष्ट भू-स्वत्वाधिकार प्रतिवर्ष देश की GDP को 1.30 प्रतिशत तक नुकसान पहुँचाते हैं ।
- इस कारण आवश्यकता यह है कि एक निश्चित समय सीमा में भू-स्वत्वाधिकार कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाये.।

स्थानीय शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग

- नगरपालिका क्षेत्र का कुल राजस्व समग्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.75% है जबकि दक्षिण अफ्रीका में 6 प्रतिशत, ब्राज़ील में 5 प्रतिशत तथा पोलैंड में 4.5 प्रतिशत है।
- इसलिए, नगर पालिकाओं को निजी व्यक्तियों के लिए सृजित निधि/मूल्य से कुछ मूल्य पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है। शहरों की पूंजीगत आवश्यकताओं के खर्चों की पूर्ति हेतु म्युनिसिपल बांड्स जारी किये जा सकते हैं.।

ULBs के पेशेवर रवैये में सुधार होना चाहिए

- **गोल्डमैन सैच** के अनुसार ,वरिष्ठता की अपेक्षा मेधा आधारित नौकरशाही देश की GDP वृद्धि में प्रतिवर्ष लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
- साथ ही योग्य तकनीकी स्टाफ प्रबंधकीय सुपरवाइजर की कमी के कारण ULBs में नवाचार रुक जाता है।
- शहरी प्रशासन में पेशेवरों को पार्श्विक (लेटरल) भर्तियों द्वारा शामिल किया जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा शहरों में शीर्ष पदों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिए।

उपर्युक्त कदमों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास :

- **सुधार प्रोत्साहन निधि** (**Reform Incentive Fund**)को 2017-18 के 500 करोड़ से क्रियान्वयन काल के अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 3000 करोड़ तक बढ़ाना।
- AMRUT दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सुधार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सुधार की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शन के आधार पर शहरों को रैंकिंग प्रदान करना।
- नयी पहलों का आरम्भ जैसे, पारगमन उन्मुख विकास नीति (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी), मेट्रो नीति, हरित शहरी गतिशीलता योजना, लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर सिटीज (Livability Index for Cities), वैल्यू कैप्चर पॉलिसी और मल-कीचड़ एवं अन्य कचरा प्रबंधन नीति।

1.3. नया CBI कानून

(New CBI Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **CBI** के लिए नए कानून हेतु कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी संसदीय समिति(PSC) की सिफारिश को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

- प्रमुख आपराधिक जांचों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए यह केंद्र की मुख्य जांच एजेंसी है।
- इसकी उत्पत्ति 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित **स्पेशल पुलिस एस्टब्लिशमेंट** से हुई है।
- CBI का गठन 1963 में **संथानम समिति** की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा हुयी थी।
- भ्रष्टाचार के मामलो में CBI, CVC के अंतर्गत और अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आती है।
- वर्तमान में यह **DOPT के अंतर्गत एक संलग्न(attached) कार्यालय** के रूप में कार्य करती है।
- यद्यपि DSPE अधिनियम CBI को विधिक शक्तियां देता है, CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है:

✓ DSPE अधिनियम में CBI शब्द उल्लिखित नहीं है।

✓ MHA का कार्यकारी आदेश इस बात का उल्लेख नहीं करता है कि CBI को DSPE अधिनियम के अंतर्गत गठित किया जायेगा।

- **CBI के कार्य :**

✓ भ्रष्टाचार के मामले

✓ आर्थिक अपराध जैसे वित्तीय धोखाधड़ी , नारकोटिक्स आदि।

पृष्ठभूमि

- CBI को स्वतंत्रत बनाने के लिए **विनीत नारायण वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों की अनुशंसा की थी।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि **CBI** के निदेशक की नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों के आधार पर होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे तथा गृह सचिव एवं कार्मिक विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे।

- इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने **CBI** के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इसे कई मालिकों वाले एक **बंदी तोते (caged parrot)** की संज्ञा दी थी।
- PSC की 85 वीं रिपोर्ट DSPE अधिनियम 1946 को नए CBI कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहती थी।

नए स्वतंत्र कानून की आवश्यकता:

- **प्रभावी कैडर प्रबंधन**- वर्तमान में, **CBI** में रिक्तियों को राज्य या अन्य केंद्रीय बलों के माध्यम से भरा जाता है। इसलिए, एक अलग कानून के अंतर्गत **CBI** अपने कैडर का प्रबंधन अधिक कुशलता से कर सकती है।
- **प्रशासनिक स्वायत्तता-** CBI निदेशक को पदेन सचिव की शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे उन्हें कार्मिक मंत्री को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग की अनुमति मिल सके एवं मूल प्रशासनिक मामलों के लिए DoPT जाने से बचा जा सके।
- **वित्तीय शक्तियां**- वर्तमान में **CBI** आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकार सरकार द्वारा दखल देने की संभावना बनी रहती है।

संबंधित मुद्दे

- नए CBI कानून को **कानून और व्यवस्था से संबंधित राज्य सूची के विषय में** संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किये जाने आवश्यकता होगी जो सहकारी संघवाद की भावना का उल्लंघन होगा।
- CBI की शक्तियों का निहित लाभ के लिए दुरुपयोग किया जाता है जिससे एजेंसी की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में गिरावट आती है।

रिपोर्ट का महत्व

- नया कानून CBI को एक सांविधिक निकाय बनाएगा, जिससे इसके कार्यों में और स्वायत्तता आएगी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने में मदद मिलेगी।
- CBI कई कार्यों में संलग्न रहती है जिससे यह एक विशालकाय संगठन बनती जा रही है। यह नया कानून स्पष्ट रूप से CBI भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगा।

CBI को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- प्रभावी अभियोजन के लिए CBI अदालतों का संचालन।
- वर्ष 2017 में 3 वर्षों की अवधि के लिए DSP पद पर भर्ती के लिए CBI को UPSC से सलाह लेने के प्रावधान से छूट दी गई है।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और IIM बैंगलोर से प्रशिक्षण के माध्यम से CBI अधिकारियों की जांच कौशल, फॉरेंसिक डाटा कलेक्शन, सबूत, कौशल इत्यादि को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड सर्टिफाईड कोर्स संचालित करना।
- CBI में प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं, सीबीआई ई-गवर्नेंस, सीबीआई शाखाओं / कार्यालयों के व्यापक आधुनिकीकरण आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आगे की राह :

CBI की भूमिका, अधिकार क्षेत्र और कानूनी शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। यह इसे लक्ष्य स्पष्टता, भूमिका स्पष्टता, सभी क्षेत्रों में स्वायत्तता और एक स्वतंत्र स्वायत्त वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करने के साथ ही इसकी एक बदलती छवि को भी प्रदर्शित करेगा। इसलिए CBI कानून सही दिशा में एक कदम होगा। इसके अलावा CBI को ठोस बनाने के लिए लोकपाल विधेयक और CVC को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए।

1.4. 'RTI के तहत महान्यायवादी की स्थिति' का पुनरीक्षण

(Review of Status of Attorney General Under RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, कि महान्यायवादी (AG) का कार्यालय RTI कानून के दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 2 (H) के तहत सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है।

AG से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:

- अनुच्छेद 76 में देश के उच्चतम कानूनी अधिकारी के रूप में AGI का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 88 में संसद एवं संसदीय समिति में AG के अधिकारों का उल्लेख है।
- उसे संसद के दोनों सदनों और उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य हो सकता है, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार हैं।
- किन्तु उसके पास संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 105 में वर्णित है कि AG के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संसद सदस्य के समान ही हैं।

वर्तमान स्थिति

हाल ही में उच्च न्यायालय के दो न्यायधीशों की पीठ ने निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि AG एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है क्योंकि:

- AG और भारत सरकार के बीच का सम्बन्ध वकील और मुवक्किल जैसा है और सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत AG को नियुक्त किया जाता है।
- AG और भारत सरकार के बीच एक कानूनी और विश्वसनीयता का संबंध है। AG का कार्यालय लाभ का पद नहीं है, इसलिए इन्हें RTI अधिनियम के धारा **2(h)** के अर्थ के तहत एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं माना जा सकता है।
- AGI के प्रकार्य एक वकील के कार्य के समान है इसलिए उसे इतनी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं कि वह दूसरों के संबंधो और कार्यों को प्रभावित कर सके। इसलिए AG को इस अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जा सकता है।
- सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना AG द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं हैं, इसके साथ ही वह सरकार द्वारा कानून के मामलों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किए गए अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है।
- पुनः AG पब्लिक डोमेन में अपनी राय या अपने कार्य से सम्बंधित मुद्दों को सार्वजनिक नहीं कर सकता है।

1.5. एग्जिट पोल

(Exit Polls)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उत्तर प्रदेश में एक एग्जिट पोल के नतीजों को ऑनलाइन प्रकाशित कर देने के बाद दैनिक जागरण के संपादक तथा एक सर्वे एजेंसी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के विरुद्ध FIRs दर्ज की गयी थी।

संबंधित मुद्दे

- **PUCL वाद (2013)** में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व को अभिस्वीकार किया है।
- यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हैं।
- पेड न्यूज के प्रभाव ने भी इस तरह के पोल के विरोध को बढ़ा दिया है।
- ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के माध्यम से सूचना प्राप्त करना मतदाताओं का मूल अधिकार है।

पृष्ठभूमि

- 1998 के लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में, चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी किये थे : ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करते समय अखबारों और चैनलों को निम्न बातें स्पष्ट करनी होंगी:
- मतदाताओं का सैंपल साइज़
- मतदान पद्धति का विवरण
- त्रुटि की सम्भावना
- मतदान एजेंसी की पृष्ठभूमि
- 1999 में मीडिया द्वारा इन दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई और इस सम्बन्ध में एक संवैधानिक पीठ ने कहा था कि ECI वैधानिक मंजूरी के अभाव में दिशा-निर्देश लागू नहीं कर सकता है, इसलिए ECI ने दिशा निर्देशों को वापस ले लिया।
- 2004 में ECI ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951में संशोधन करने की सिफारिश की जिससे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबन्ध हो।
- 2010 में **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 126(A) शामिल करके एग्जिट पोल पर प्रतिबन्ध** लगाये गए थे।

महत्व

- ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों की क्या राय और सोच है यह समझने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
- पोल लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाते हैं। यह लोगों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार यह विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।

आलोचना

- एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध एक कदम माना जाता है।
- आलोचकों का कहना है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल राजनीति से प्रेरित होते हैं और मतदाताओं की पसंद को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

- एक स्वतंत्र नियामक बनाया जाये जो सभी शोध सर्वेक्षणों के लिए पेशेवर सत्यनिष्ठा स्थापित कर सके तथा बेहतर समीक्षा के साथ एजेंसियों को मान्यता दे सके।

VISION IAS

- नियामक को सर्वेक्षण के मापदंडों जैसे सैंपल आकार, सैंपल पद्धति, समय-सीमा, शोध कर्मचारियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर मानक बनाने के अधिकार दिए जा सकते हैं।

एग्जिट पोल

- एक्जिट पोल चुनाव के बाद लोगों द्वारा मत दे दिए जाने के तुरंत बाद का सर्वेक्षण है।
- चुनावों के आखिरी दौर के समाप्त होने तक एक्जिट पोल को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों में चुनाव हो रहें हों तो यह नियम अन्य राज्यों में भी लागू होगा।
- उदाहरण के लिए पंजाब, गोवा, यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में 2017 में हुए विधानसभा चुनावों सम्बन्धी एक्जिट पोल आखिरी दौर के मतदान तक प्रकाशित नहीं किये जा सकते थे।
- चुनाव आयोग ने मतदान प्रारंभ होने के समय से मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, अर्थात आखिरी दौर के मतदान के आधे घंटे पश्चात् ही एक्जिट पोल प्रकाशित किये जा सकते हैं।

ओपिनियन पोल

- ओपिनियन पोल चुनाव सम्बन्धी मुद्दों पर मतदाताओं का दृष्टिकोण जानने हेतु किया गया चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होता है।
- ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वेक्षण के परिणाम का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 48 घंटों के दौरान प्रकाशन प्रतिबंधित रहता है, जिनमें चुनावों से सम्बंधित प्रत्येक चरण में मतदान के लिए निर्धारित घंटे भी शामिल हैं।

वैश्विक चलन

- यूरोपीय संघ के 16 देशों ने मतदान से 1 से 24 घंटों के पहले ओपिनियन पोल की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंधित लगा रखा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में ओपिनियन पोल और इसका प्रकाशन चुनावों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। एकमात्र प्रतिबन्ध यह है कि मतदान से पूर्व एग्जिट पोल के संभावी परिणाम की रिपोर्टिंग नहीं की जायेगी।

1.6 अनुच्छेद 370

(Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जम्मू -कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई जब उन्होंने ने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 को कमजोर करने का काम कर रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं।

पृष्ठभूमि

- जम्मू -कश्मीर उच्च न्यायालय (अक्टूबर 2015 में) ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 370 ने संविधान में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है और इसकी विशेषताएं ऐसी हैं कि इसको संशोधित, निरसित या रद्द करना संभव नहीं है।
- यद्यपि उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता की स्थिति प्रदान करता है, को केवल संसद समाप्त कर सकती है।
- नवंबर, 2016 में एक नई अपील में उच्चतम न्यायलय ने अनुच्छेद 370 से जुड़ी अनुल्लंघनीयता के परीक्षण करने हेतु अपनी सहमति दी है।
- अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और जम्मू –कश्मीर की विशेष स्थिति को चुनौती देने से सम्बंधित चार महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायलय में और दो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक **अस्थायी उपबंध** है जोकि जम्मू –कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है।
- **रक्षा ,विदेश मामलों ,वित्त तथा संचार** को छोड़कर अन्य कानूनों को लागू करने हेतु राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को अधिकार और विशेषाधिकार देता है और विधायिका को यह अधिकार देता है कि अन्य राज्यों के लोगों की समानता का हनन या किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है तो भी वह कानून बना सकती है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा

- **विधायी शक्तियां:** अन्य भारतीयों की तुलना में राज्य के नागरिक कानूनों के एक अलग सेट के अंतर्गत शासित होते हैं, जिनमें नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मूल अधिकार शामिल हैं।
- **क्षेत्र**: भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा नहीं सकती और अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।

- **आपातकालीन प्रावधान**
- केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकती जब तक कि राज्य अनुरोध न करे या राज्य की सहमति ना हो।
- केंद्र केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है।
- केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।
- **संवैधानिक संशोधनः** जम्मू-कश्मीर पर कोई संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने के बाद ही लागू होता है।

क्या अनुच्छेद 370 को एकतरफा रूप से वापस लिया जा सकता है?

- अनुच्छेद 370 के उपखंड 3 के अनुसार, "राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकता है कि यह अनुच्छेद अब प्रवर्तन में नहीं रहेगा', परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले उस राज्य (कश्मीर) की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।'
- इस प्रकार, अनुच्छेद 370 को तभी समाप्त किया जा सकता है जब कश्मीर की एक नई संविधान सभा इसके निरसन की सिफारिश कर दे।
- चूंकि अंतिम संविधान सभा जनवरी 1957 में राज्य का संविधान तैयार करने के बाद भंग कर दी गई थी, अतः यदि संसद अनुच्छेद 370 को समाप्त करने सहमति देती है तो एक नयी संविधान सभा बनानी होगी।
- संविधान सभा का गठन उन्ही विधायकों से होगा जो राज्य विधान सभा के लिए चुने गए होंगे। एनी शब्दों में, केंद्र जम्मू-कश्मीर राज्य की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं कर सकता है।

1.7. राष्ट्रीय गीत का प्रचार

(Promotion of National Song)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और एक 'राष्ट्रीय गीत' को बढ़ावा देने के लिए संविधान के **अनुच्छेद 51 A** के तहत राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने हेतु दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालयों, अदालतों, विधानसभाओं और संसद में राष्ट्रीय गान अनिवार्य बनाने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
- हालांकि अदालत ने, स्कूलों को काम के दिनों में राष्ट्रीय गान बजाना चाहिए या गाना चाहिए से सम्बंधित याचिका को आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा है।

पृष्ठभूमि

- **अनुच्छेद 51A (a)** - संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में निर्णय दिया कि **सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रीय गान अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए**, एवं दर्शकों को इसे खड़े होकर सम्मान देना चाहिए।

राष्ट्रीय गीत

- हमारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' है, जिसे बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था।
- यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था।

राष्ट्रगान

- भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली में रचित रवींद्रनाथ टैगोर की रचना 'जन गण मन' का पहला छंद है।
- आबिद अली द्वारा इसका हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किया गया था।
- यह पहली बार 1911 में कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था।

दिए गए तर्क

- मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। वे केवल लोगों को एक बेहतर नागरिक बनने से सम्बंधित निर्देश हैं तथा अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह इंगित किया है कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्गान का उल्लेख नहीं किया गया है।
- राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के क्रम में राष्ट्रीय प्रतीकों का अनुपालन करने के लिए दबाव डालना नैतिक रूप से सही विधि नहीं है।

VISION IAS

महत्व

- राष्ट्र गान, ध्वज और गीत पर एक नीतिगत विचार को खारिज करके, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग कर उन्हें *मोरल पुलिसिंग* को बढ़ावा देने का एक साधन बनने से बचा लिया है।
- इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित देशभक्ति के उपर व्यक्तिगत पसंद को महत्व दिया है।

आगे की राह

क्रांतिकारी परिवर्तनों के बजाय क्रमिक रोप से छोटे-छोटेकदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्र ध्वज, गान और गीतों पर लोगों को शिक्षित करने से नागरिकों के जीवन में उनकी स्वीकृति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वे इन्हें बढ़ावा देना अपना मूल कर्तव्य समझेंगे। उन पर एक नीतिगत निर्णय भविष्यवादी विषय प्रतीत होता है, जो वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है।

1.8. स्पॉइल्स सिस्टम

(Spoils System)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में की गईं 11 नियुक्तियों पर मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

पृष्ठभूमि

- मद्रास HC ने यह पाया कि नियुक्तियाँ जल्दबाजी में हुईं हैं और प्रक्रिया संदिग्ध है।
- उदाहरण के लिए तमिलनाडु के बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन ने एक कानूनी विवाद को जन्म दिया है क्योंकि पद पर चयनित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं की गईं, और इस प्रकार कानून का उल्लंघन किया गया।
- **उपेंद्र नारायण सिंह मामले (2009)** में, उच्चतम न्यायलय ने कहा कि लोक सेवा आयोग *स्पॉइल्स सिस्टम* का शिकार बन गया हैं।
- राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के साथ राज्यपालों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति भी संवैधानिक पदों के *स्पॉइल्स सिस्टम* की दिशा में बदलाव का संकेत है।

स्पॉइल्स सिस्टम

- इसे पैट्रानेज सिस्टम भी कहा जाता है।
- इसके तहत, एक विजयी राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करके या दूसरे तरह से पक्ष लेकर प्रतिफल देती है।

- **अनुच्छेद 14:** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 16**: राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इन में से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा।

संलग्न मुद्दे

- **रामशंकर रघुवंशी मामले (1983)** में, SC ने पाया कि पूर्व की राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।
- *स्पॉइल्स सिस्टम* नियुक्ति में हितों का संघर्ष पैदा करता है। इससे सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो सकती है।
- चूंकि यह योग्यता पर आधारित प्रणाली से संगत नहीं है, इसलिए यह प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुंचा सकता है।

इस सिस्टम को हटाने के लिए उठाए गए कदम

- अनुच्छेद 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों की स्थापना, तथा इन्हें नागरिक सेवाओं के लिए मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए आवश्यक सेवा नियमों और शर्तों को व्यवस्थित करने का अधिकार दिया है।
- केरल सरकार ने हाल ही में सरकारी नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक समर्पित कानून लाने का निर्णय लिया है।

क्या करना आवश्यक है

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग *स्पॉइल्स सिस्टम* से बचने के लिए प्रशासनिक भर्ती के लिए कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को लागू करने की सिफारिश करता है। ये सिद्धांत हैं:

✓ सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए सुपरिभाषित गुणवत्ता-आधारित प्रक्रिया।
✓ सभी पदों पर भर्ती के लिए व्यापक प्रचार और खुली प्रतियोगिता।
✓ भर्ती प्रक्रिया में विवेकाधिकार का न्यूनतम प्रयोग।

✓ मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर या मौजूदा बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयन, साक्षात्कार को न्यूनतम महत्व दिया जाय।

इन सिद्धांतों को **सिविल सेवा विधेयक** में शामिल किया जा सकता है

- मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, लोकायुक्त आदि द्वारा राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्ड, जो भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा, संस्थान को राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र बना कर इस *स्पॉइल्स सिस्टम* को रोकने की जरूरत है। इससे गुणवत्ता युक्त व्यवस्था पर बल देकर प्रशासनिक दक्षता में सुधार और प्रशासन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचने में मदद मिलेगी।

1.9. संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा NHRC के प्रत्यायन को स्थगित किया गया

(Un Body Defers NHRC Accreditation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मानव अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त से संबद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए ग्लोबल एलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इन्स्टिटूशंस, [Global Alliance for National Human Rights Institutions(GANHRI)] ने नवंबर 2017 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पुनर्प्रत्यायन (re-accreditation) को स्थगित कर दिया है।

NHRC एक वैधानिक निकाय है जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित किया गया है।

NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) में शामिल हैं:

- अध्यक्ष, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- एक सदस्य भारत के उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए।
- एक सदस्य किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से दो सदस्य नियुक्त किए जाने चाहिए।
- इसके अलावा, चार राष्ट्रीय आयोगों (अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला) के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप शामिल होते हैं।

प्रदत्त कारण

चयन प्रक्रिया में दोष

- पर्याप्त रूप से स्पष्ट और पारदर्शी नहीं।
- सदस्यों की नियुक्ति के लिए समान और सटीक मानदंडों की कमी।
- शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए किसी विज्ञापन का नहीं दिया जाना।
- **जांच प्रक्रिया में दोष**
- गैर-स्वतंत्र जांचकर्ता - मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच में सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की भागीदारी, विशेषकर जहां कथित अपराधों में पुलिस स्वयं ही शामिल हो।
- **संगठन स्तर पर दोष**
- NHRC के कर्मचारियों में केवल 20% महिलाएं है और 2004 तक, शासी निकाय में कोई भी महिला नहीं थी।
- उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों के मध्य से ही चयन करने की विधायी बाध्यताएँ उन उम्मीदवारों के संभावित सूची को सीमित करती हैं, जिन्हें नियुक्त किया जा सकता है, विशेषकर महिलाएं।
- **अन्य समस्याएं**
- अभियोग का विशाल बैकलॉग-करीब 40,000 मामले लंबित हैं।
- शिकायत निवारण तंत्र और NHRC की अर्ध-न्यायिक कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सभी हितधारकों की प्रक्रिया में समान और निर्बाध पहुंच नहीं है।

प्रत्यायन के लिए

- पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के अलावा, प्रत्यायन राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है।
- A-status प्रत्यायन (पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRI) की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (ICC) के कार्यों में भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ मानव अधिकार परिषद के कार्यों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य तंत्रों में शामिल होने की अनुमति देता है।

VISION IAS

पेरिस सिद्धांत

UN पेरिस सिद्धांतों ने अंतरराष्ट्रीय मानक प्रदान किए हैं जिसके आधार पर NHRI को पांच प्रमुख मूल्यांकनों के तहत प्रत्यायन प्रदान किया जा सकता है: इसके लिए आवश्यक है कि संस्थान :

- मानवाधिकारों के उल्लंघन की किसी भी स्थिति पर नज़र रखें।
- सरकार को विशिष्ट मानवाधिकार उल्लंघनों पर, कानूनों से सम्बंधित और सामान्य अनुपालन पर तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निर्देशों के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर सलाह दे।
- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में शिक्षित और सूचित करने की क्षमता से युक्त हो।
- तथा साथ ही कुछ संस्थानों को अर्ध-न्यायिक क्षमता दी जानी चाहिए।

1.10. न्यायाधीश द्वारा अवमानना

(Contempt by Judge)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के विरुद्ध अपनी प्रथम अवमानना की कार्यवाही को प्रारंभ किया।
- इससे पूर्व उन्होंने स्वत:संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय से कोलकाता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण की सिफारिश पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

- संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत "राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है।"

न्यायालय की अवमानना

- न्यायालय के अवमानना में बोला या लिखा गया हर वह शब्द शामिल होता है जिसमें न्यायकरण (administration of Justice) की अवमानना की जाती है। यह अवमानना किसी अभियोग या मामले की निष्पक्ष सुनवाई या दीवानी या आपराधिक कानूनी कार्यवाही के विषय को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित करने या न्याय के निमित्त में बाधा डालने के लिए की जाती है।
- **संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142(2)**, उच्चतम न्यायालय को नोटिस जारी करने और अपनी या किसी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी व्यक्ति को दंडित करने हेतु सक्षम बनाता है।
- **इस प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता:** न्यायाधीशों को मीडिया आलोचनाओं या सामान्य जनता की राय से किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने को सुनिश्चित करने के लिए अवमानना का प्रावधान किया गया है। इसका, किसी भी प्रकार के भय और पक्षपात या किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने हेतु प्रावधान किया गया है।

न्यायालय की अवमानना के विपक्ष में तर्क

- न्यायालय की कार्यवाही की अवमानना का प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत सुनिश्चित मुक्त वाक्-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 19(2) में वाक्-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध के रूप में 'न्यायालय की अवमानना' शामिल है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसका औचित्य सिद्ध करना एक लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है।
- संविधान सभा में, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति का सम्बन्ध केवल न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश की अवज्ञा से है जो कि पहले से ही दंडनीय अपराध है।
- उन्होंने तर्क दिया कि, न्यायालयों की आलोचना में भाषण को अवमानना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी शक्तियों के सकल न्यायिक दुरुपयोग की संभावना के द्वार खोल देगा जो कई उदाहरणों में अब प्रमाणित भी हो गया है।
- दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड, जहाँ से अवमानना के नियम को भारत ने अपनाया है, में आठ से अधिक दशकों में न्यायालयों में अवमानना के मामले में कोई भी सजा नहीं हुई है।

निष्कर्ष

अवमानना शक्तियों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी न हो।

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय/भारत और विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1. रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुस्लिमों की बड़े पैमाने पर हत्यायें की तथा सामूहिक बलात्कार किये और उनके गांवों को जला दिया।

वर्तमान संकट का कारण

अक्तूबर 2016 के बाद से, म्यांमार की सेना ने पश्चिमी सीमा के उत्तर में पुलिस सीमावर्ती चौकियों पर घातक गुरिल्ला हमले के आरोपी विद्रोहियों का पूर्ण रूप से अंत करने के लिए "***क्लीयरेन्स ऑपरेशन***" संचालित किये।

रोहिंग्या समूह के बारे में

- म्यांमार में एक मिलियन से अधिक लोगों की रोहिंग्या, एक मुख्य मुस्लिम समूह, के रूप में पहचान की जाती है ।ये मुख्यत: देश के पश्चिमी तट पर स्थित रखाइन राज्य में निवास करते हैं।
- म्यांमार 135 समुदायों के साथ एक बहुसांस्कृतिक समाज है परन्तु देश का 1982 नागरिकता कानून, जो कि पूर्व सैन्य शासकों द्वारा लागू किया गया था, रोहिंग्या को "राष्ट्रीय नस्ल" के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है।
- इन लोगों के पास इस संवैधानिक आवश्यकता, कि उनके पूर्वज 1823 से पूर्व इस देश में बसे थे, की पूर्ति हेतु लिखित प्रमाण नहीं हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या को अनेक बार विश्व में सर्वाधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में से एक के रूप में वर्णित किया है।

इस संकट की चुनौतियां

- सुरक्षा बलों पर बलात्कार, हत्या और यातना का आरोप लगाते हुए कम से कम 69,000 रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश प्रस्थान कर चुके हैं।
- इस हिंसा से बच निकलने वाले लोग बड़ी संख्या में मानव दुर्व्यापार नेटवर्क के शिकंजे में फँस जाते हैं।
- यदि इस संकट को वर्तमान अस्थिर अवस्था में छोड़ दिया जाता है, तो जोखिम में उत्तरोतर वृद्धि नियंत्रण से बाहर हो जायेगी तथा इस के संकट द्वारा पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होंगे।
- उत्पीडित रोहिंग्या मुस्लिमों के अतिवादी समूहों में शामिल होने की भी संभावना है। समुदाय में कट्टरता बढ़ने से संबंधित ख़बरें भी हैं।
- बांग्लादेश को यह आशंका है कि इस्लामी कट्टरपंथी, जो निष्ठापूर्वक रोहिंग्या मुस्लिमों का समर्थन करते हैं, अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।
- रोहिंग्या मुस्लिमों के कुछ दलों ने म्यांमार की सेना से संघर्ष करने तथा पहाड़ी सीमा पर नियंत्रण हासिल करने के लिए राखिन में सशस्त्र गुरिल्ला समूहों का गठन किया है।
- म्यांमार के लोकतंत्र की ओर संक्रमणशील अवस्था होने के बावजूद, इस देश की सरकार इस मुद्दे का समाधान करने से इन्कार करती है। इस बौद्ध बहुसंख्यक देश में व्याप्त प्रबल मुस्लिम विरोधी भावना के बावजूद आंग सान सू की ने राजनीतिक लाभ का मार्ग चुना है।

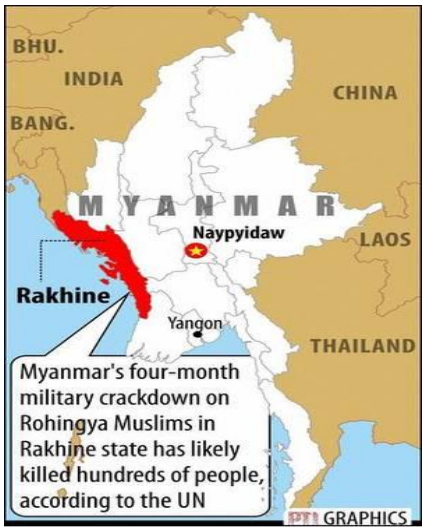

आगे की राह

- सर्वप्रथम रोहिंग्या संकट म्यांमार में एक राजनीतिक मुद्दा है। इसका अंतिम समाधान उन्हें उनके मूल देश में नागरिकता प्रदान करने एवं समान अधिकार सुनिश्चित करने में निहित है।
- जब तक म्यांमार में इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता है, यह सुनिश्चित करना, कि रोहिंग्या मूल मानवाधिकारों और गरिमा के साथ रह सकते हैं, बांग्लादेश सहित अन्य शरणार्थी मेजबान देशों की जिम्मेदारी है।
- चीन और भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं तथा व्यापार एवं निवेश संबंधों के कारण इनके आर्थिक हित भी निहित हैं। उन्हें म्यांमार को रोहिंग्या संकट का समाधान करने हेतु सहमत करने के लिए रचनात्मक कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए।
- मौजूदा संकट को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। म्यांमार में आर्थिक हित के अभाव के कारण, पश्चिमी विश्व इस संकट का समाधान करने के लिए इतने उत्सुक नहीं है तथा यह इसे म्यांमार की आंतरिक समस्या के रूप में मानता है।
- आसियान को म्यांमार के नेताओं के साथ इस संकट का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

VISION IAS

- हाल ही में, ढाका ने शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी के एक निर्जन द्वीप थेंगार चर, जो कि मुख्य भूमि से करीब 60 किमी दूर स्थित है, में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की। यह द्वीप लगभग 30,000 हेक्टेयर में विस्तृत है, मानसून के दौरान यहाँ अक्सर बाढ़ आ जाती है। मानव अधिकार समूहों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस योजना का विरोध किया गया है।

2.2. H1 वीज़ा मुद्दा

(H1 Visa Issue)

H1-B वीज़ा प्रोग्राम में प्रमुख परिवर्तनों का समर्थन करने वाला बिल जो अन्य देशों के कुशल श्रमिकों को US में नौकरियां प्राप्त करने की अनुमति देता है, को दो विधि निर्माताओं द्वारा कांग्रेस में पुनः प्रस्तावित किया गया है।

H1-B वीजा क्या है?

- H1-B वीज़ा एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय के विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों हेतु अन्य देशों के कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया गैर-आप्रवासी वीजा है।
- अमेरिका प्रत्येक वर्ष 85,000 H1-B वीजा जारी करता है, इस वीजा हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों का बड़ा हिस्सा भारतीय लोगों है।
- H1-B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं, तत्पश्चात चीनी। 2014 में, स्वीकृत कुल H1-B याचिकाओं में से 70% संख्या भारतीयों की थी।
- कम्प्यूटर व्यवसायों में कर्मचारियों के लिए जारी H1-B वीजा लगभग 86% भारतीय कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

H1-बी वीजा प्रोग्राम बिल क्या है?

- यदि इन कंपनियों द्वारा नियुक्त 50 से अधिक लोग या उनके कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी H1-B और L-1 वीजा धारक हैं, तो यह बिल कंपनियों पर उससे अधिक H1-B कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह बिल कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह H1-B और L-1 वीजा धारकों द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों को प्रतिस्थापित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।
- H1-B वीजा के 20% को छोटे और स्टार्ट-अप नियोक्ताओं के लिए निर्धारित करना।
- धोखाधड़ी या दुरुपयोग को कम करने के लिए श्रम विभाग द्वारा सख्त ऑडिट और परीक्षण करना।
- H1-B बी वीजा धारकों के पति/पत्नी को अमेरिका में काम करने से निषिद्ध करना।
- कम्प्यूटराइज़्ड लॉटरी सिस्टम की बजाय H1-B वीजा के लिए अमेरिका में शिक्षित छात्रों को प्राथमिकता देना।
- आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही करना जो विदेशी कर्मचारियों का अस्थायी प्रशिक्षण करती हैं तथा उन्हें उसी कार्य को करने के लिए उनके देश वापस भेज देती हैं।
- यह बिल H-1B वीज़ा धारकों के न्यूनतम वेतन को प्रतिवर्ष 1,30,000 डॉलर तक बढ़ाने की मांग करता है।
- वर्तमान में कंपनियों को व्यापक कागजी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हैं यदि संभावित H-1B कर्मचारी के पास स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) के समकक्ष या उच्चतर डिग्री है और उसे प्रतिवर्ष कम से कम 60,000 डॉलर वेतन दिया जाता है। बिल का उद्देश्य मास्टर डिग्री सम्बन्धी इस छूट को समाप्त करना है (चूंकि "यह (मास्टर डिग्री) विदेशी कर्मचारियों द्वारा आसानी से प्राप्त कर ली जाती है")।

यह भारत को कैसे प्रभावित करता है?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत की आईटी कम्पनियां ऐसे वीजा की प्रमुख लाभार्थी हैं, यह कदम उनकी लागत और कमाई को अत्यधिक प्रभावित करेगा।

- इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी भारतीय आउटसोर्सिंग फर्में बुरी तरह प्रभावित होंगी।
- वीजा नीति में परिवर्तनों से उच्च-स्तरीय डिग्री प्राप्त करने हेतु अमेरिका जाने वाले भारतीय विद्यार्थी तथा ऑफ-साईट प्रोजेक्ट पर अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने वाली तकनीकी कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित होंगी।
- वीजा प्रतिबंधों के अतिरिक्त, अमेरिका ने हाल ही में H1-B और L-1 वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा शुल्क बढ़ाया था।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- भारतीय आईटी उद्योग का मानना है कि यह बिल समस्या के मूल कारण का समाधान नहीं करता है - यू.एस. में STEM स्किल (अर्थात् साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से सम्बंधित लोगों की कमी) की कमी।
- इसी प्रकार, यदि कौशल-आधारित मानदंड के साथ ही वेतन-स्तर के प्रतिबंधों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कई अमेरिकी फ़र्मों को योग्य अमेरिकी व्यक्तियों को मध्य स्तर की नौकरियों पर नियोजित करने की समस्या का सामना करना पड़ेगा ।
- यदि इस समूह के भीतर आईटी कंपनियां, विभिन्न नए प्रतिबंधों से प्रभावित होती हैं तो संभवतः वे अपना संचालन अमेरिका से पूर्णतया बाहर भारत में करना पसंद करेंगी। प्रतिकूल रूप में, इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी कर्मचारियों को उनकी नौकरी गंवानी पड़ सकती है।

VISION IAS

2.3 भारत-पूर्व अफ्रीका

(India-East Africa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पूर्व अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उपराष्ट्रपति ने रवांडा और युगांडा की आधिकारिक यात्रा की। यह रवांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा और 1997 के बाद भारत से युगांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

A. भारत-रवांडा

- भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को सक्षम बनाने वाला द्विपक्षीय वायुसेवा समझौता किया है।
- अन्य दो समझौता ज्ञापन (MoUs) रवांडा में एक उद्यमी विकास केंद्र की स्थापना और राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्टों के प्रवेश के लिए वीजा छूट से संबंधित है।

रवांडा में तुत्सी नरसंहार के बारे में - 1994 में सिर्फ 100 दिनों में, रवांडा में नस्लभेदी **हुतू** अतिवादियों द्वारा 800,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वे अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के सदस्यों के साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों को उनके मूल नस्ल से परे जाकर निशाना बनाते थे।

उपराष्ट्रपति की यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक प्रमुख पहल के रूप में उपराष्ट्रपति ने **भारत-रवांडा नवाचार विकास कार्यक्रम** का शुभारंभ किया।
- उपराष्ट्रपति ने **रवांडा में एक रेजिडेंट भारतीय मिशन** को खोलने के भारत के निर्णय को इस बात पर प्रकाश डालते हुए दोहराया कि यह सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा।
- रवांडा में भारतीय समुदाय के लगभग 3,000 लोग हैं।
- उपराष्ट्रपति ने किगाली नरसंहार संग्रहालय में **1994 के नरसंहार** के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

B. भारत-युगांडा

दोनों पक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने पर सहमत हुए।

- सद्भावना प्रदर्शन के रूप में उपराष्ट्रपति ने युगांडा को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाएं और 1 मिलियन डॉलर के चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए।
- भारत युगांडा में कुछ विकास परियोजनाओं की सहायता करता है, जिसमें राष्ट्रीय रेफरल अस्पताल में **टेली-मेडिकल सेंटर** शामिल है जो कि भारत के 11 अस्पतालों से जुड़ा है।
- भारत युगांडा के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों के मध्य अनुमानित द्विपक्षीय व्यापार लगभग 615 मिलियन अमरीकी डॉलर का है।
- वर्तमान में, युगांडा में 30,000 लोगों का सशक्त भारतीय समुदाय है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय निवेश किया है।

2.4. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

(World Trade Organization)

WTO के महानिदेशक रॉबर्टो एज़ेवेडो ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, भारत ने दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पूर्व हल किए जाने वाले विश्व व्यापार संगठन में लंबित मुद्दों को उठाया।

- वाणिज्य मंत्री ने दिसम्बर 2017 में, अर्जेंटीना में मंत्रिस्तरीय सम्मलेन से **पूर्व खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक के रखरखाव के मुद्दे** समेत WTO की दोहा दौर की वार्ता के अनसुलझे मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- भारत, जिनेवा में WTO के मुख्यालयों में एक विशेषज्ञ दल भेजेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि **खाद्य सुरक्षा के मुद्दों और प्रस्तावित वैश्विक सेवा समझौते पर वार्ता** शीघ्रता से आगे बढ़े।

नए मुद्दों को शामिल करने पर भारत का विरोध:

भारत, विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना वैश्विक व्यापार के उदारीकरण पर WTO स्तर की वार्ता के औपचारिक एजेंडे में **'नए मुद्दों'** को प्रस्तुत करने के खिलाफ है। WTO में शामिल किए जाने वाले मुद्दों में **ई-कॉमर्स और निवेश** हैं।

VISION IAS

A. e-कॉमर्स मुद्दा

- इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) और B-20 (बिजनेस 20, जी -20 देशों के बिजनेस समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा उनके समावेशन का समर्थन किया गया है।
  - ✓ ई-कॉमर्स पर "WTO पैकेज" को अपनाने के लिए ICC और B-20 ने सितंबर 2016 में एक प्रस्ताव पेश किया।
  - ✓ यह प्रस्ताव e-कॉमर्स को बेहतर तरीके से अपनाने के द्वारा सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने की बात करता है।
  - ✓ प्रस्ताव का तर्क है कि एक प्रभावी e-कॉमर्स परिवेश बड़े और छोटे व्यवसायों के मध्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को सामान स्तर पर लाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों को बाजारों तक पहुंच बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम किया जा सके।
  - ✓ WTO के महानिदेशक ने e-कॉमर्स का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने इंटरनेट पैठ (वैश्विक आबादी का 43%) में वृद्धि की ओर संकेत किया है।
  - ✓ 2015 में, अत्यधिक कम विकसित और कम आय वाले देशों में इंटरनेट पहुँच क्रमशः 12.6% और 9.4% थी। यहां तक कि निम्न मध्यम आय वाले देशों में भी, यह आंकड़ा वैश्विक औसत से नीचे था।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच इंटरनेट पहुंच में भारी असमानताओं के कारण e-कॉमर्स के संभावित लाभार्थी विकसित देशों के होंगे।

B. निवेश का मुद्दा

- **निवेशक राज्य विवाद निपटान की प्रक्रिया** पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका प्रयोग करके निवेशक अपने मेजबान राज्यों पर निजी अंतरराष्ट्रीय पैनलों में मुकदमा कर सकता है।
- भारत ने WTO स्तर पर कुछ अमीर देशों द्वारा एक वैश्विक निवेश समझौते के लिए काम करने का विरोध किया है, जिसमें विवादास्पद **निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र** शामिल होगा।

आगे की राह

- यह स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन में e-कॉमर्स और निवेश को शामिल करना, अमीर और गरीब देशों के बीच की दूरी को बढ़ाएगा।
- वैश्वीकरण के मौजूदा मॉडल के प्रति बढ़ते मोहभंग ने नए नियमों को बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है जोकि वैश्विक बाजारों में सभी देशों और उनके नागरिकों को समान अवसर देता है।

2.5. निकासी नीति

(Evacuation Policy)

वर्तमान में, संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के पास कोई व्यापक निकासी नीति नहीं है।

- भारत ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप में तीस से अधिक निकासी कार्यों का संचालन किया है, जिसमें 1990 में फारस की खाड़ी से 110,000 लोगों की सबसे बड़ी नागरिक एयरलिफ्ट शामिल है।
- हालांकि, **औपचारिक सिद्धांत या आपातकालीन योजना** की कमी के कारण, भारत के मिशन की ज्यादातर सफलता अपने राजनयिक कोर (diplomatic corps), प्रमुख वाहक (flagship carrier) और सशस्त्र बलों से इतर अधिकारियों के व्यक्तिगत बलिदानों के कारण हुई थी।
- US, UK और NATO ने गैर-लड़ाकू निकास संचालन (NEO) सिद्धांत को संस्थागत किया है। विकासशील देशों में, ब्राजील ने भी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) को संस्थागत किया है।

व्यापक नीति की आवश्यकता क्यों?

- डायस्पोरा के बढ़ते आकार और जटिलता के कारण सरकार को क्षमता बढ़ाने और प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।
- 11 मिलियन से अधिक भारतीय अब विदेशों में रहते हैं और हर वर्ष 20 मिलियन भारतीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं।
- पश्चिम एशियाई क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित है, जो कि 7 मिलियन से अधिक भारतीयों की मेजबानी करता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- सबसे पहले, सरकार को इस तरह के कार्यों का संचालन करने के अपने समृद्ध अनुभव को एकीकृत करने की आवश्यकता है। भारत के ऐतिहासिक अनुभवों, सर्वोत्तम तरीकों का अध्ययन और सीखे गए उदाहरणों से उन्हें संस्थागत बनाने में सहायता मिलेगी।
- दूसरा, एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति को दिशानिर्देशों के साथ मैनुअल तैयार करना चाहिए जो कमांड की एक स्पष्ट श्रृंखला और योग्यता के (कार्य) विभाजन की स्थापना करे।
- तीसरा, भारत के राजनयिक कैडर को प्रतिकूल परिवेश में संचालन करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- चौथा, भविष्य के ऑपरेशन की सफलता नई दिल्ली द्वारा मित्र सरकारों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा पर भी निर्भर करेगी।
- पांचवा, सरकार को अपने सशस्त्र बलों को एक बड़ी भूमिका प्रदान करनी होगी, विशेष रूप से नागरिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए नौसेना और वायु सेना की क्षमता को मजबूत करने के द्वारा।

VISION IAS

- छंठा, कमियों को न्यूनतम करने के लिए, सरकार को **आपातकालीन निकासी हेतु एक स्थायी अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय तंत्र को संस्थागत** बनाना चाहिए, डायस्पोरा मामलों से संबंधित अधिकारियों की अंतर-एजेंसी क्रॉस-पोस्टिंग को प्रोत्साहित करना और क्षेत्रीय आकस्मिक योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना।
- सातवां, लागत मुद्रास्फीति और देरी से बचने के लिए, सरकार को एक स्थायी नागरिक रिजर्व एयर फ्लीट की स्थापना करनी चाहिए जो पूर्व-स्थापित मांग और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के आधार पर सभी भारतीय एयरलाइन्स से विमानों को शामिल करती हो।
- आठवां, डायस्पोरा की प्रोफाइल और गतिशीलता की बेहतर निगरानी के लिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाए।
- अंत में, सरकार को जनता की राय का प्रबंधन करने और स्थिर कूटनीति करने में सक्षम होने के लिए प्रयासों को विस्तृत करना चाहिए जो कि विवादित क्षेत्रों से प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए महत्वपूर्ण है।

2.6. भारत-ताइवान

(India-Taiwan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तीन सदस्यीय ताइवान संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। ताइवान का **"ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र"** द्वारा नई दिल्ली में प्रतिनिधित्व हुआ और ताइवान में **"भारत-ताइपे संगठन"** के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व हुआ।

द्विपक्षीय संबंधों का महत्व (Importance of bilateral relation)

भारत और ताइवान के बीच बृहद सहयोग नई दिल्ली और ताइपे को घरेलू स्तर पर इनके आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने और क्षेत्र में इनके रणनीतिक उद्देश्यों की मदद करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

A. आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)

- भारत और ताइवान में पूरक आर्थिक संरचनाएं हैं। ताइवान हार्डवेयर विनिर्माण के लिए जाना जाता है जबकि भारत में एक स्थापित सॉफ्टवेयर उद्योग है।
- ताइवान लंबे समय से हाई-टेक हार्डवेयर विनिर्माण में दुनिया में अग्रणी रहा है और "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और "स्मार्ट सिटी" अभियान में योगदान करने में सक्षम है।
- दोनों देशों के बीच व्यापार 2014 में 5.91 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। किन्तु भारत के साथ ताइवान के व्यापार का हिस्सा इसके वैश्विक व्यापार का लगभग 1% है।

B. सामरिक हित (Strategic Interest)

ताइवान की नई दक्षिणी नीति (New Southbound Policy of Taiwan)

ताइवान की नई सरकार के तहत राष्ट्रपति साइ इंग **वेन** ने "न्यू साउथबाउंड पॉलिसी" आरम्भ की है जिसका लक्ष्य आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के साथ ताइवान के संबंधों को सक्रिय करना है।

- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के अलावा, यह पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में लोगों के संपर्क (people-to-people contact) के लिए भी लक्षित है।
- इस नीति के साथ भारत की **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** पहले से मौजूद संबंधों को मजबूत करने का मौका प्रस्तुत करती है।

भारत और ताइवान समान मूल्यों का साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच कोई गंभीर विवाद नहीं है। रणनीतिक सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत और ताइवान दोनों में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हठधर्मिता को लेकर चिंताएं हैं।

- ताइवान को चीन की सामरिक गहराई/चातुर्य की बेहतर समझ है क्योंकि इनके बीच घनिष्ठ भू-रणनीतिक निकटता और भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं। ताइपे के साथ घनिष्ठ संबंध बीजिंग के रणनीतिक सोच को समझने में मदद करेगी।
- रणनीतिक रूप से, दोनों देशों को चीन से सुरक्षा सम्बन्धी खतरे हैं।
- भारत का चीन के साथ दीर्घकालिक क्षेत्रीय विवाद है। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजिंग की **"वन चाइना पॉलिसी"** खतरे में आती है तो इसे मुख्य भूमि चीन (mainland China) से अलग होने का विचार मान कर यह ताइवान पर अधिकार करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, ये चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर को अपने विशेष क्षेत्र बनाने से रोकने का समान हित साझा करते हैं।

✓ इसके माध्यम से, ताइवान भविष्य में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है और भारत दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है, जिसके माध्यम से इसका 50 प्रतिशत तक व्यापार होता है।

✓ भारत भविष्य में इस क्षेत्र में अपने तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियों का विस्तार कर सकता है।

- ताइवान का मानना है कि इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति एक प्रकार का संतुलन प्रदान करेगी।

VISION IAS

संबंधों के पूर्ण विकास में बाधा (Obstacle in full development of relations)

- **"वन चाइना पॉलिसी"** के कारण ताइवान के पास अभी भी भारत और अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं हैं।
- दशकों से भारत **"वन चाइना पॉलिसी"** को मानता रहा है और ताइपे के साथ आधिकारिक स्तर के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाता है।

यात्रा पर चीनी प्रतिक्रिया (Chinese reaction to visit)

- चीन ताइवान को एक पृथक प्रांत समझता है, जिसे आवश्यक होने पर बल द्वारा पुनः स्वयं में मिलाया जा सकता है।
- चीन उन राजनयिक संबंधों के साथ-साथ ताइपे के राजनीतिक संपर्कों का विरोध करता है, जिनके साथ कूटनीतिक संबंध हैं।
- चीन ने एक ताइवानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के लिए भारत के विरुद्ध आपत्ति प्रकट की है और ताइवान से संबंधित मामलों में "विवेकपूर्ण ढंग से" व्यवहार करने के लिए कहा है।
- चीन यह कहता रहा है कि जिन देशों के साथ इसके कूटनीतिक संबंध हैं, उन्हें **'वन चाइना' नीति** का पालन करना चाहिए।

2.7 भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

भारत और बांग्लादेश ने सिलहट शहर के सतत विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारत इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा ।

- इस परियोजना के अंतर्गत, भारत एक पांच मंजिला स्कूल बिल्डिंग, एक छह मंजिला क्लीनर कॉलोनी इमारत के निर्माण; और कुछ विकास कार्यों के लिए 240 मिलियन टका की सहायता उपलब्ध करवाएगा।
- यह हस्ताक्षर बांग्लादेश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सतत विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2013 के एक MoU के बाद की कार्रवाई है।

सिलहट के बारे में (About Sylhet)

- सिलहट एक प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जीवंत शहर है।
- यह मूल रूप से बंगाल प्रेसीडेंसी और बाद में पूर्वी बंगाल और असम का भाग था।
- यह शहर 1874 से 1947 के बीच औपनिवेशिक असम का भाग था, एक जनमत संग्रह और ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद; यह पूर्वी बंगाल का भाग बन गया।
- यह 1971 के मुक्ति संग्राम का एक केंद्र बिन्दु रहा है।

2.8 भारत-अमरीका

(India-USA)

'मेजर डिफेंस पार्टनर' (बड़े रक्षा साझेदार) के रूप में भारत का दर्जा स्वीकार करते हुए US ने अपने निर्यात नियंत्रण कानूनों (Export control laws) में बदलाव किए हैं, जो प्रौद्योगिकियों और हथियारों के सहज हस्तांतरण के जरिए भारत को लाभ पहुंचाएगा।

महत्व (Significance)

- यह "भारत के साथ रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा के लिए की गयी प्रगति को संस्थागत बनाता है, जो कि US के करीबी सहयोगियों और भागीदारों के समान है।
- नया नियम उन भारतीय कंपनियों के लिए "अनुमोदन की परिकल्पना करता है" जो वाणिज्य विभाग द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी वस्तुओं को छोड़कर नियंत्रित सैन्य वस्तुएं (controlled military items) आयात करना चाहते हैं।
- इसका अर्थ यह है कि केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही भारत को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
- नया नियम कानून में भी संशोधन करता है ताकि एक वैलिडेटेड एंड यूज़र (Validated End User: VEU) बनने के बाद कंपनियों को लाइसेंस की आवश्यकता न हो।

2.9. दक्षिण सूडान

(South Sudan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण सूडान के अबेई विवादित क्षेत्र में विद्रोही लड़ाकों ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी थी।

- यह गृह युद्ध, जो पिछले साल आरम्भ हुआ था, में किसी भारतीय के हताहत होने की यह पहली घटना है।
- भारत ने दक्षिण सूडान में बढ़ते गृहयुद्ध में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए जुलाई 2016 में "ऑपरेशन संकट मोचन" का शुभारंभ किया।

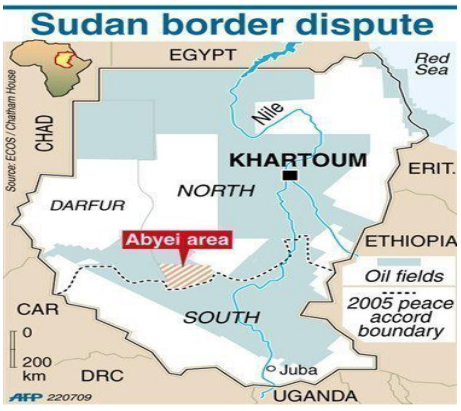

VISION IAS

- दक्षिण सूडान अपने पड़ोसी उत्तरी सूडान के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है, और यह राष्ट्रपति साल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रीक माशर के बीच आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष का सामना कर रहा है।

अबेई क्षेत्र के बारे में (About Abyei region)

अबेई सूडान और दक्षिण सूडान के बीच एक ऊर्जा संपन्न क्षेत्र है, जो अभी भी विवादित है।

2.10 इज़राइल-फ़िलिस्तीन

(Israel-Palestine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इजरायल की संसद, नेसेट ने एक कानून पारित किया जो कि निजी स्वामित्व वाली फिलीस्तीनी भूमि पर यहूदी बस्तियों को पूर्व प्रभावी रूप से (retroactively) वैध करेगा।

- यह कानून इजरायल की सरकार को भूमि के मालिकों के अज्ञात होने पर निजी फिलीस्तीनी भूमि को जब्त करने की अनुमति देता है। यदि भूमि के मालिक ज्ञात हों, तो उन्हें नकद या किसी अन्य प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा।
- यह कानून पूर्वी यरूशलेम के कब्जे के बाद से पहली बार पश्चिमी किनारे कि ओर इजराइल के कानून का विस्तार करने का प्रयास करता है। न्यायपालिका द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।
- चूंकि पांच दशक पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था अतः फिलिस्तीनी क्षेत्रों में करीब 140 बस्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें 600,000 से ज्यादा यहूदियों के घर हैं।

कानून की आलोचना (Criticism of Law)

आलोचकों का कहना है कि यह विधान कानून में फिलीस्तीनी भूमि की चोरी को प्रतिष्ठापित करता है अतः इसको इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती मिलने की उम्मीद है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जबर्दस्त ढंग से इन बस्तियों का विरोध करता है और इन्हें शांति के लिए एक बाधा के रूप में देखता है।
- कानून के विवाद'ग्रस्त तत्वों में से एक यह है कि वेस्ट बैंक इजरायल के स्वामित्व वाला राज्य नहीं है और फिलीस्तीनी जो वहां रहते हैं वहां के नागरिक नहीं हैं और इनके पास उन सरकारों के लिए वोट करने का अधिकार नहीं है, जो उन पर कानून थोप रही है।

2.11. अफ्रीका में अकाल का संकट

(Risk of Famine in Africa)

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उत्तरी नाइजीरिया, सोमालिया और यमन में अकाल के खतरे के बारे में चेतावनी दी और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान के एक भाग में अकाल की घोषणा की।

- अकाल का सामना करने वाले राष्ट्र या तो युद्ध या दशकों के संघर्ष से उबरने का प्रयास कर रहे हैं।
- 20 लाख लोग अकाल के कगार पर हैं, जिसमें 1.4 मिलियन बच्चों पर मृत्यु का संकट आसन्न है।
- अकाल एक दुर्लभ और विशिष्ट स्थिति है। तीन मापदंडों के पूरा होने के बाद इसे घोषित किया जाता है:

✓ जब एक निश्चित क्षेत्र में पांच परिवारों में से एक भोजन की कमी का चरम रूप से सामना करता है;

✓ 30% से अधिक आबादी गंभीर रूप से कुपोषित है; तथा

✓ प्रत्येक 10,000 में से प्रति दिन कम से कम दो लोगों की मृत्यु हो रही हो।

- अंतिम बार जुलाई 2011 में सोमालिया में अकाल घोषित किया गया था।
- गुटेरेस ने संकट के लिए दो कारणों का हवाला दिया है:
- वित्तीयन: UN की जरूरतों को पूरा करने के लिए 5.6 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इस धन का का केवल 2% ही उपलब्ध है।
- जैसा कि सभी चार देश संघर्ष से जूझ रहे हैं, कई मामलों में, युद्धरत दलों के नेता श्रमिकों को राहत देने वाली सहायता को अवरुद्ध कर रहे हैं, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

VISION

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

(Direct Benefit Transfer In Fertilizer Sector)

सुखियों में क्यों?

- उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) शुरू करने के लिए 16 जिलों में पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

उर्वरक क्षेत्र DBT के लिए उपयुक्त क्यों है?

- उर्वरक क्षेत्र में लगभग 40% का अत्यधिक लीकेज हैं। DBT सब्सिडी को कुशल और लक्षित बनाकर रिसाव की रोकथाम में मदद कर सकता है।
- उर्वरक क्षेत्र पर **केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण** है। यह प्रशासकीय जटिलता को कम करता है।
- उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी के लिए सरकार के पास एक रियल टाइम **फ़र्टिलाइज़र मॉनिटरिंग सिस्टम** है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि उर्वरक क्षेत्र DBT लागू करने के लिए अनुकूल है, इसके अंतर्गत

✓ **DBT** नगद प्रदान किया जाएगा

✓ **बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक (BAPU)-** पहचान प्रमाणन के लिए आधार का उपयोग और शारीरिक रूप से उपस्थित होकर सब्सिडी वाली वस्तुएं प्राप्त करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

- **DBT योजना 2013 में** निम्न उद्देश्यों से **प्रारंभ** की गई थी:

✓ सूचना / निधि के सरल और तीव्र प्रवाह के लिए सरकारी वितरण प्रणाली को सुधारना।

✓ दोहराव और धोखाधड़ी को रोककर लक्षित लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करना।

- **DBT कार्यक्रमों को लागू करने के लिए योजना आयोग के अंतर्गत DBT मिशन** का सृजन किया गया था।
- 2015 में, इसे कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय और PG) के तहत रखा गया था।
- JAM अर्थात् **जन धन, आधार और मोबाइल**, इन तीनों द्वारा DBT के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

उर्वरक क्षेत्र में DBT की विशिष्टता

- LPG में DBT के माध्यम से लाभार्थियों को दी गई सब्सिडी की बजाय सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी।
- सब्सिडी विभिन्न उर्वरकों के साथ-साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच भी भिन्न-भिन्न होती है।

उर्वरक क्षेत्र में DBT की चुनौतियां

- उर्वरक सब्सिडी के संबंध में, **लाभार्थी और उनकी पात्रता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं** है।
- यूरिया के मामले में, सब्सिडी इसकी MRP के दोगुने से अधिक है। चूंकि DBT के तहत सब्सिडी का अंतरण बाद में होगा, अतः खरीद के समय किसान को MRP और सब्सिडी के अग्रिम भुगतान का वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
- DBT से पहले, उर्वरकों के सब्सिडी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है, वर्तमान ढांचा यूरिया के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

उर्वरक क्षेत्र में कुछ अन्य सुधार

- **नीम कोटेड यूरिया-** यह यूरिया के कृषि उपयोगों से विपथन को रोकता है और मृदा में नाइट्रोजन के निक्षालन को भी कम कर देता है।
- **गैस प्राइस पूलिंग-** इसके तहत, उर्वरक संयंत्रों हेतु एक समान दर रखने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत के साथ आयातित LNG की लागत का औसत निकाला या साझा (पूल) किया जाता है।

सुझाव

- **यूरिया आयात को डिकेनालाइज (decanalize) करना:** और अधिक संख्या में एजेंसियों को यूरिया आयात की अनुमति देने से और उन्हें खरीद (प्रोक्योरमेंट) के निर्णय में अधिक स्वतंत्रता देने से मांग को समायोजित करने में लचीलापन (flexibility) आएगा।

VISION IAS

- यूरिया को लागत आधारित सब्सिडी के मौजूदा चलन की तुलना में **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (nutrient based subsidy)** के तहत लाना।
- उन स्थानों से लंबी अवधि की आपूर्ति सुरक्षित करना जहां ऊर्जा की कीमतें सस्ती हैं। उदाहरण के लिए ईरान और ओमान से समझौता।

आगे की राह

- सरकार को उर्वरक क्षेत्र में DBT का विस्तार करने के लिए जन-धन योजना के माध्यम से बैंकिंग के सार्वभौमिकरण का, आधार के माध्यम से कुशल लक्ष्यीकरण और स्मार्टफोन्स के बढ़ते प्रसार का पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

3.2. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट

(World Employment And Social Outlook Report)

सुर्खियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक- ट्रेंड्स रिपोर्ट 2016 जारी की है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- इसमें अनुमान लगाया गया है कि **भारत में बेरोजगारों की संख्या 2016 में 17.7 मिलियन से बढ़कर 2018 तक 18 मिलियन हो जाएगी।** साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2017 में रोजगार की दर 3.5% से घटकर 3.4% हो जाएगी।
- इसमें 'सुभेद्य रोजगार' (वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट) से संबंधित की गई भविष्यवाणियां निम्नलिखित हैं:

✓ यह अगले दो वर्षों में गिरकर प्रति वर्ष 0.2% से भी कम हो सकता है और केवल सीमांत सुधार को प्रदर्शित करता है।

✓ इसके 2017 में कुल रोजगार के 42% से ऊपर रहने की उम्मीद है और पूरे विश्व में 1.4 अरब लोगों के इस श्रेणी में रहने की उम्मीद है।

✓ भारत जैसे उभरते हुए देशों में, दो श्रमिकों में से एक श्रमिक, जबकि विकासशील देशों में पांच में से चार श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

✓ दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका सुभेद्य रोजगार से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।

असुरक्षित रोजगार (वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट)

- ILO के अनुसार, असुरक्षित रोजगार स्वरोजगार कार्मिक (own account workers) और परिवार के अवैतनिक श्रमिकों (unpaid family workers) को शामिल करता है।
- वे बेहतर कार्य दशाओं, सामाजिक सुरक्षा या किसी यूनियन में प्रतिनिधित्व के अभाव के लिए उपयुक्त होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- इसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्सलीज की संधि के एक भाग के रूप में की गई थी।
- यह **एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी** है, जो सरकारों, नियोक्ताओं और सदस्य राज्यों के श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका **उद्देश्य** सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने के लिए **श्रमिक मानकों, नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करना** है।
- **भारत** ILO का **संस्थापक सदस्य** है।
- इसके तीन मुख्य निकाय हैं-

✓ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference) -** यह श्रम मानकों और व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है।

✓ **प्रशासी निकाय (Governing Body) -** यह कार्यकारी निकाय है जो अंतिम निर्णय लेता है।

✓ **अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (International Labour Office) -** यह ILO का स्थायी सचिवालय है जिसका पर्यवेक्षण शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

3.3 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स

(India Innovation Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी **इंडिया इनोवेशन इंडेक्स** विकसित करने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करेंगे।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स: GII) वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार में क्षमता एवं सफलता के आधार पर प्रदान की जाने वाली **वार्षिक रैंकिंग** है।

- इसे WIPO, इनसीड (INSEAD) और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा अन्य संगठनों और संस्थानों के पारस्परिक सहयोग से प्रकाशित किया जाता है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स:GII

- GII वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और नॉलेज पार्टनर के रुप में CII के साथ INSEAD द्वारा सह-प्रकाशित है।
- 2007 में स्थापना के बाद से ही यह नवाचार क्षमताओं और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों सहित 82 संकेतकों के उपयोग के परिणामों के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग करता आ रहा है।
- हालिया GII 2016 में, भारत 128 देशों में 66 वें स्थान पर है।
- यह नीति निर्माताओं हेतु नवाचार पर एक प्रमुख संदर्भ और 'टूल फॉर एक्शन' दोनों के रूप में खुद को स्थापित करता है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में और अधिक जानकारी

- यह **"अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म"** होगा, जहां GII के संकेतक और विभिन्न राज्यों से भारत-केंद्रित आंकड़ों को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में **देश के सभी राज्यों के नवाचार प्रदर्शन का आकलन** किया जाएगा और इस आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
- इसे **GII संकेतक में प्रयुक्त के सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर** और साथ ही भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वास्तव में प्रतिबिंबित करने वाले भारत-केंद्रित मापदंडों को जोड़कर संरचित किया जाएगा।
- यह इंडेक्स नवाचार और उप-सूचकांक के प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा, जो एक साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण में सहायता करेगा।
- इन स्तंभों में संस्थानों की मजबूती, मानव पूंजी एवं अनुसंधान की क्षमता, सहायक अवसंरचना और कारोबारी जटिलता का स्तर आदि सम्मिलित हैं।
- 4-6 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में **इंडिया इकोनोमिक समिट** के दौरान प्रथम रैंकिंग जारी किए जाने की संभावना है।

महत्व

- यह नवाचार क्षमताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान और निर्धारण करेगा एवं भारत को एक **नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था** बनाने में सहायता कर सकता है।
- इनोवेशन के मामले में पिछड़े राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में समस्याओं के मूल कारणों की पहचान से नवाचार की वृद्धि में सहायता मिल सकती है।
- यह वैश्विक स्तर पर नवाचार क्षेत्र में भारत की समग्र रैंकिंग को सुधारने में भी सहायता करेगा। वर्तमान में भारत, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 66 वें स्थान पर है।
- अधिक पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण एवं लोगों तथा मीडिया में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होगी।
- यह रैंकिंग राज्यों के मध्य **प्रतिस्पर्धी संघवाद** को भी बढ़ावा देगी।
- यह मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, आदि अभियानों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

3.4. रेल सुरक्षा

(Rail Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेलवे मंत्रालय उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विश्व बैंक से परामर्श करने की योजना बना रहा है जहाँ बजट में घोषित विशेष रेल सुरक्षा निधि (स्पेशल रेल सेफ्टी फण्ड) से निवेश की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय बजट 2017-18 में रेल सुरक्षा हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- यात्री सुरक्षा के लिए, 5 साल की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये के एक कॉर्पस के साथ एक **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष** निर्मित किया जाएगा।
- सरकार से सीड कैपिटल के अतिरिक्त, रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों का प्रबंध करेगा।
- सरकार इस कोष से वित्त पोषित होने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों को लागू करने के लिए **स्पष्ट दिशानिर्देश** और समय-सीमा निर्धारित करेगी।
- 2020 तक **ब्रॉड गेज लाइनों** पर मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा।
- सुरक्षा तैयारियों और रखरखाव के तरीकों में सुधार करने के लिए विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय सहायता ली जाएगी।

भारत में रेल दुर्घटनाओं के कारण

- कुल रेल दुर्घटनाओं में से 50% पटरी से उतरने (डिरेलमेंट) के कारण होता है, इसके बाद 36% दुर्घटनाएं मानवरहित क्रासिंग फाटकों पर होती हैं।
- **अग्नि पहचान प्रणाली (फायर डिटेक्शन सिस्टम) का अभाव:** भारत में अभी भी अधिकांश रेलगाड़ियों में धुंए और आग की पहचान करने हेतु प्रभावी प्रणाली नहीं है।
- **टक्कर रोधी प्रौद्योगिकियों का अभाव:** ये ऐसे उपकरण हैं जो किसी रेड सिग्नल को पार करने पर ट्रेन को स्वचालित (आटोमेटिक) रूप से रोक देते हैं। भारत, जो कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, में अभी भी ऐसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है।
- **स्टाफ की कमी:** तीव्र गति और रेड सिग्नल पर ध्यान न देना चिंता के मुख्य कारण हैं, मानवीय गलतियाँ भी दुर्घटनाओं का एक अन्य सामान्य कारण है। इसका आंशिक कारण कर्मचारियों की कमी है, जिसका अभिप्राय यह है कि श्रमिक के ऊपर प्रायः कार्य का अधिक बोझ रहता है।
- **पटरियों का यथोचित रखरखाव नहीं किया जाना:** खन्ना रेल सेफ्टी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल रेलवे ट्रैक का करीब 25 प्रतिशत अपनी आयु सीमा को पार कर चुका है और इसे प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- **संसाधन की कमी:** खन्ना समिति ने आगे कहा था कि भारतीय रेल में इन सभी घटनाओं का मुख्य कारण संसाधनों की कमी है।
- **खराब रोलिंग स्टॉक:** रोलिंग स्टॉक, अर्थात् अधिकांश रेलगाड़ियों के लोकोमोटिव्स लिंक हॉफमैन बुश (Linke Hoffman Busch: LHB) डिब्बों (coaches) से लैस नहीं हैं।
- **सरकार की लापरवाही:** हाल ही में रेलवे में तीन उच्च स्तरीय समितियां गठित की गयी थीं, जैसे कि **रेलवे के आधुनिकीकरण पर सैम पित्रोदा समिति**, **रेलवे सुरक्षा की समीक्षा पर अनिल काकोदकर समिति**, **रेलवे के पुनर्गठन पर बिबेक देवराय समिति**। इन समितियों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं और इनकी सिफारिशें लागू नहीं की गयी हैं।
- तोड़फोड़ के कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम

- पटरियाँ दोष-रहित अवस्था में रहें, इसके लिए नियमित रूप से सख्त ऑडिटिंग किए जाने की आवश्यकता है।
- दोषों का सटीक तरह पता लगाने हेतु इस्तेमाल होने वाली **अल्ट्रा साउंड फाल्ट डिटेक्शन मशीन** को शीघ्रता से स्थापित करने की आवश्यकता है।
- रेलगाड़ियों में निर्धारित सीमा से अधिक भार वहन करने की अनुमति देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पटरियों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली हो। पटरियों की सिग्नलिंग और टूट-फूट से रहित होने (इंटीग्रिटी) की सख्त ऑडिटिंग होनी चाहिए।
- ICF कोच के स्थान पर LHB कोच का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि पटरियों को नुकसान के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने की स्थिति में कम से कम संख्या में लोग हताहत हों।
- विदेशी तकनीकों जैसे टक्कर-रोधी उपकरण और रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशिष्ट रूप से निर्माण किया जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणियों और जनशक्ति नियोजन के मुद्दों से सम्बंधित रिक्त पदों को समय-बद्ध रूप से भरकर, रेलवे यूनियनों की मांग को संबोधित किया जा सकता है।
- **सेतु-भारतम परियोजना** को प्राथमिकता देकर पर पूर्ण करना जिससे कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त हो सकें।
- सरकार के अधीन रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण जैसा एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए, जिसके अध्यक्ष और विशेषज्ञ रेलवे के बाहर से हों।

3.5 रेल कैडर प्रबंधन

(Rail Cadre Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय नौकरशाहों की एक वरिष्ठ टीम ने हाल ही में भारतीय रेलवे में एकल एकीकृत प्रबंधन कैडर के विचार के विरुद्ध तर्क दिया है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में भारतीय रेलवे के कैडर का आयोजन निम्नानुसार किया जाता है -

✓ निम्नलिखित **पांच कैडर प्रत्यक्ष रूप से रेल संचालन में संलग्न हैं**- यातायात (संचालन और आय), सिविल इंजीनियरिंग (ट्रैक, स्टेशन और इस प्रकार की संपत्ति), मैकेनिकल (रोलिंग स्टॉक), इलेक्ट्रिकल, और सिग्नलिंग।

✓ **न कैडर बैक-एंड सपोर्ट भूमिका में हैं:** लेखा (वित्त), कार्मिक (मानव संसाधन) और स्टोर (खरीद)।

- **विनोद राय समिति** ने विभागीय संघर्षों को समाप्त करने के लिए सभी सामान्य शीर्ष पदों के लिए एक **एकल सीनियर मैनेजमेंट कैडर** के गठन का सुझाव दिया।

- इसके पश्चात, विनोद राय समिति की सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया था जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- विनोद राय समिति ने उल्लेख किया कि दूसरे विभागों की कार्यशैली के विषय में अपेक्षाकृत कम जानकारी होने के कारण भारतीय रेलवे में अंतरविभागीय संघर्ष देखने को मिलता है।
- रेलवे के विषय पर गठित अन्य समितियां जैसे राकेश मोहन समिति, सैम पित्रोदा समिति आदि भी **रेलवे में बढ़ती विभागीयता** पर आशंकित रही हैं।
- विनोद राय ने सिफारिश की कि शीर्ष रेलवे के पदों पर किसी अधिकारी को तभी नियुक्त किया जाए, यदि उसे 3 वर्ष तक स्वयं के विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग का अनुभव हो। यह प्रस्ताव रेलवे के विभिन्न कैडर में आपसी तालमेल बढ़ा सकता है।

3.6 FIPB को समाप्त किया जाएगा

(FIPB to be abolished)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने, बजट 2017-18 में वित्तीय वर्ष 2018 में FIPB (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को समाप्त करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) भारत में **दो तरीकों** से, स्वचालित मार्ग और सरकारी अनुमोदन के माध्यम से आता है।
- FIPB अनुमोदन मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों में FDI अनुप्रयोगों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था प्रदान करता है। बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों को सम्भाला है।
- FIPB वित्त मंत्रालय के **आर्थिक मामलों के विभाग** में स्थित है और वित्त मंत्री FIPB के प्रभारी हैं।

प्रदत्त कारण

- वर्तमान में, 90% से अधिक FDI प्रवाह स्वचालित मार्ग के माध्यम से होता है, जिसके लिए FIPB से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और वे क्षेत्रीय नियमों के अधीन हैं।
- शेष FDI (कुल FDI प्रवाह का लगभग 8%) के लिए, प्रत्येक सम्बद्ध विभाग के पास इसके संबंध में एक ढांचा या एक नियामक मौजूद है।
- इसके अलावा, FIPB ने FDI आवेदनों के ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रसंस्करण को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- इसलिए, सरकार का मानना है कि FIPB एक ऐसे दौर पर पहुंच गया है जहां इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है।

3.7 तंबाकू में FDI पर प्रस्तावित प्रतिबंध

(Proposed Ban on FDI in Tobacco)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वाणिज्य मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है।

पृष्ठभूमि

- यद्यपि भारत में **तंबाकू उत्पादन में FDI 2010 से प्रतिबंधित है**, तथापि विदेशी तंबाकू कंपनियां तकनीकी सहयोग, लाइसेंस समझौते और ट्रेडिंग कंपनियों के गठन के जरिए निवेश कर सकती हैं।
- नीति आयोग द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है।

संलग्न मुद्दे

- भारत में **11 बिलियन डॉलर का तंबाकू उद्योग** है। प्रस्तावित प्रतिबंधों से रोजगार और विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा।
- घरेलू और विदेशी उत्पादकों में भेदभाव के कारण भारत को विभिन्न **द्विपक्षीय निवेश समझौतों (BITs) के तहत चुनौती** दी जा सकती है।

प्रस्ताव का महत्व

- WHO के **फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC)** के तहत अपने दायित्व के अनुसार, भारत को तम्बाकू उत्पादों के उच्च उपभोग को कम करना है।
- इस तरह के प्रस्ताव से तंबाकू उपभोग से संबंधित सरकार के स्वास्थ्य व्यय को कम करने में मदद मिल सकती है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BITs)

- BIT उन दो देशों के बीच एक संधि है जो एक राज्य के निवेशकों को दूसरे में निवेश करने के लिए बुनियादी सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरणार्थ मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का प्रावधान।
- भारत में विभिन्न देशों के साथ लगभग 83 BITs हैं।

VISION IAS

BIT पर भारत का मॉडल ड्राफ्ट/मसौदा

- 2011 में व्हाइट इंडस्ट्रीज के मामले में हारने के बाद, भारत ने एक मॉडल BIT तैयार किया। इसके कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं -

✓ **MFN प्रावधान को हटाना**

✓ **निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा-** वे निवेशक जो अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए भारत में किसी भी प्रकार के उद्यम को स्थापित नहीं करते, उन्हें BIT के तहत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

✓ विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने से पहले स्थानीय अदालतों में जाना अनिवार्य है।

✓ स्वास्थ्य तथा पर्यावरण आदि विषय BIT के लिए अपवाद स्वरुप होंगे जहां इसके प्रावधान अमान्य होंगे।

प्रस्ताव की सीमाएं

- यह भारत में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को समाप्त करेगा, जिससे तम्बाकू किसानों के निवेश और आजीविका की हानि हो सकती है।
- WHO के FCTC में तम्बाकू के उपयोग को कम करने के एक साधन के रूप में तम्बाकू के क्षेत्र में FDI पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- अमरीका की फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल जैसी विदेशी तंबाकू कंपनियां कहती हैं कि ऐसा **प्रतिबंध संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण हो सकता है।**
- यह निश्चित नहीं है कि विदेशी उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाने से तंबाकू का इस्तेमाल कम हो जाएगा। घरेलू उत्पादकों द्वारा विदेशी उत्पादकों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिससे समस्या पूर्ववत बनी रहेगी।

आगे की राह

- भारत को, तंबाकू उपभोग में कमी लाने के लिए तंबाकू के क्षेत्रक में FDI पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय **वैकल्पिक विनियामक तंत्रों** जैसे सादा पैकेजिंग विनियम, सिगरेट पर करों में वृद्धि, बीड़ी को करों के दायरे में लाने इत्यादि पर विचार करना चाहिए।

3.8 CBDT ने चार अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किये

(CBDT Signs Four Advance Pricing Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी, 2017 में चार अतिरिक्त एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (APAs) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।
- हस्ताक्षरित APAs विनिर्माण, वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- इसके साथ, CBDT द्वारा प्रविष्ट APAs की कुल संख्या 130 हो गई है। इसमें आठ द्विपक्षीय APA और 122 एकपक्षीय APA शामिल हैं।

APAs क्यों शुरू किये गए थे

- वास्तविक/सही मामलों के अतिरिक्त मल्टी-नेशनल कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म का उपयोग कर मुनाफे को टैक्स हेवेन देशों को स्थानांतरित कर इसका दुरुपयोग कर सकती हैं।
- ऐसी स्थिति में APA महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे *आर्म्स लेंथ मूल्य* (arms length price) के लिए तंत्र (मैकेनिज्म) को परिभाषित कर सकते हैं।
- वे भविष्य में मूल कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ पर देशों के बीच साझा किए जाने वाले करों को भी निर्धारित करते हैं।

APAs क्या हैं?

APA, सामान्यतः कई वर्षों के लिए, किसी करदाता और उस मूल्य निर्धारण विधि को निर्दिष्ट करने वाले कम से कम एक कर प्राधिकरण के बीच का अनुबंध है जिसका प्रयोग करदाता स्वयं से संबंधित-कंपनी के लेनदेन पर करता है। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **एकपक्षीय APA -** करदाता और उस देश के कर प्राधिकरण के बीच जहां करदाता स्थित है।
- **द्विपक्षीय APA -** करदाता, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और विदेशी कर प्राधिकरण के बीच।
- **बहुपक्षीय APA -** करदाताओं, मेजबान देश के कर प्राधिकरण और एक से अधिक विदेशी कर प्राधिकरण के बीच।

सम्बद्ध अवधारणायें

- जिस मूल्य पर किसी कंपनी के प्रभाग (डिवीजन) एक दूसरे के साथ लेनदेन करते हैं उसे **हस्तांतरण मूल्य (transfer price)** कहा जाता है।
- वह लेनदेन जिसमें किसी भी उत्पाद के खरीदार और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं उन्हें **आर्म्स लेंथ (Arm's length)** लेनदेन कहा जाता है।

VISION IAS

APAs के लाभ

- भविष्य में होने वाले जटिल, उच्च जोखिम युक्त लेनदेन के लिए निश्चितता प्राप्त होती है।
- देशों के कर अधिकारियों के बीच का समझौता होने के कारण दोहरा कराधान होने से रोकता है।
- मुकदमेबाजी की लागत से बचाता है तथा कर दाताओं और कर अधिकारियों के लिए समय की बचत करता है।
- रिकार्ड रखने के बोझ को कम करता है।
- यह बेहतर कारोबार माहौल को बढ़ावा देता है।

3.9 नागरिक उड्डयन में सुधार

(Civil Aviation Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार के लिए हाल के दिनों में कुछ प्रस्ताव किये गए हैं
- ✓ AAI से संबद्ध भूमि के मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम (AAI अधिनियम) में संशोधन।
- ✓ एयर इंडिया, पवन हंस आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का रूपांतरण।

प्रथम मुद्दा: AAI अधिनियम में संशोधन करना

- **प्रस्ताव की आवश्यकता**
- ✓ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कब्जे में आने वाली भूमि से आय अर्जित करने पर काफी प्रतिबन्ध लगाता है।
- ✓ उदाहरणार्थ अधिनियम होटल, रेस्तरां, विश्रामगृह जैसी गतिविधियों के लिए भूमि का उल्लेख करता है और इसकी कोई व्यापक सूची नहीं है।
- **प्रस्ताव का महत्व**
- ✓ भूमि का बेहतर मुद्रीकरण सरकार को नागरिक उड्डयन नीति के अनुरूप और अधिक हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति देगा।
- ✓ हवाई अड्डा अवसंरचना का निर्माण स्व-वित्तपोषित एवं आत्म-निर्भर हो जाएगा।

द्वितीय मुद्दा: नागरिक उड्डयन PSUs का रूपांतरण

- **पृष्ठभूमि**
- ✓ **एयर इंडिया** के पास नए विमानों सहित भारत में सबसे बड़ा बेड़ा है। इसके पास 17% बाजार हिस्सेदारी है और यह घरेलू यात्री बाजार के 14.6% का नियंत्रण करता है।
- ✓ एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपये का कर्ज है। 2012 में 10 वर्षों के लिए एक बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी गई थी और अब तक 24,000 करोड़ रुपये इसके तहत दिए जा चुके हैं।
- ✓ 2016 में, सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री भी पूरी की।
- **प्रस्ताव की आवश्यकता**
- ✓ हाल ही की एक रिपोर्ट में एयर इंडिया को **विश्व स्तर पर** 2016 में **तीसरी सबसे खराब प्रदर्शन** वाली एयरलाइन बताया गया था।
- ✓ हालांकि, एयर इंडिया के घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है और 2014-15 में इसको संचालन लाभ भी हुआ था, किन्तु **एयर इंडिया को इसे बनाए रखने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता है।**
- **प्रस्ताव का महत्व**
- ✓ एयरलाइन को वित्तपोषित करने के लिए सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। साथ ही इसके पुनर्गठन के लिए इस्तेमाल किया गया धन भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ✓ यह सरकार का ध्यान प्रशासन की गैर-कोर गतिविधियों से कोर गतिविधियों की ओर केन्द्रित करने में सहायता करेगी।

संलग्न चुनौतियां

- निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। राष्ट्रीय एयरलाइंस का निजीकरण हाल ही में प्रस्तावित नागरिक उड्डयन नीति के उद्देश्यों में बाधा हो सकता है। उदाहरण के लिए हवाई किराए की कैपिंग।
- प्रस्तावित निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छंटनी की भी आशंका है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- यह 1995 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इसे देश में भूमि और एयर स्पेस दोनों पर नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

VISION IAS

एयर इंडिया पर कैग रिपोर्ट (2011)

- **असफल अधिग्रहण योजनाएं -** रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के वित्तीय रूप से अपंग होने के निम्नलिखित मूल कारण हैं -
  - ✓ **विमान खरीदने और किराए पर लेने के लिए धन बर्बाद किया गया था।**
  - ✓ अधिग्रहण में 8 वर्ष लगे (1996-2004)
  - ✓ 2004 की शुरुआत में, विमानों के लिए कोई मांग नहीं होने के बावजूद उन्हें शामिल किया गया था।
  - ✓ विमानों को खरीदने से पहले कोई लागत बेंचमार्क नहीं भेजे गए थे।
  - ✓ अधिग्रहण को उच्च ब्याज ऋण और उधारी से वित्त पोषित किया गया था।
- **एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय -** यदि इन दोनों एयरलाइनों द्वारा बड़े स्तर पर बेड़े का विस्तार करने से पूर्व विलय कराया गया होता, तो इस विलय द्वारा लाभ प्राप्ति की सम्भावना थी।
- VIPs के लिए सब्सिडी युक्त और मुफ्त यात्रा से एयरलाइन को नुकसान होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उदारीकृत नीतियाँ** जैसे US के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानें, आर्थिक रूप से हानिकारक थीं।

आगे की राह

- हाल के समय में **एयरपोर्ट निजीकरण ने स्वामित्व में बदलाव के बजाय प्रबंधन अनुबंध प्रदान करने का स्वरूप ग्रहण कर लिया है।** उदाहरण के लिए जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डे। यह एक स्वागत योग्य कदम है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 49% से अधिक FDI निवेश के लिए सरकार की मंजूरी के साथ 100% तक निवेश की छूट प्रदान की गई है। यह भारत के नागर विमानन क्षेत्र को खोलने की दिशा में एक क्रमिक कदम भी है।
- लघु स्तर के परिचालनों की निजी क्षेत्रों को आउटसोर्सिंग जैसे विकल्पों से आरम्भ करते हुए नागरिक उड्डयन PSUs में सुधार किया जाना चाहिए।

3.10 केंद्र सोलर पार्क क्षमता को दोगुना करेगा

(Centre to Double Solar Park Capacity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने **सौर पार्क की क्षमता को दोगुना करते हुए 40,000 मेगावाट** तक बढाने को मंजूरी दे दी है।
- राज्य सौर पार्क डेवलपर की पहचान करेगा और उस ज़मीन की भी पहचान करेगा जिस पर इसका निर्माण किया जाएगा।

इस कदम की आवश्यकता

- यह कदम INDCs के भाग के रूप में वैश्विक मंच पर भारत के ग्रीनहाउस उत्सर्जन सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं पर लक्षित है।
- अब तक, 20000 मेगावाट के समतुल्य 34 सौर पार्कों को आरम्भ किया गया है। अब यह कदम इस तरह के अन्य पार्कों को जोड़ेगा।

इंटेंडेड नेशनली डीटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस (INDCs)

- ये 2015 में UNFCCC की COP 21 बैठक में देशों द्वारा 2020 के पश्चात जलवायु कार्यवाहियों पर की गयी सार्वजनिक प्रतिबद्धताएं हैं।
- प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखना है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)

- यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है।
- यह वर्तमान में **भारत सरकार के कई सौर कार्यक्रमों की कार्यान्वयन एजेंसी है।**

योजना की पात्रता

- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के लिए पात्र हैं।
- **भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत योजना का प्रबंध करेगी।

कदम का महत्व

- यह कदम वर्ष 2019 -2020 तक लगभग 500 मेगावाट के कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करने में मदद करेगा। इससे वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के **बेहतर ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में रूपान्तरण को बढ़ावा** देने में सहायता मिलेगी।
- कार्बन उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के कारण यह भारत को एक पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास प्रदान करेगा।

- यह सौर और संबद्ध उद्योगों जैसे कांच, धातु, भारी औद्योगिक उपकरण आदि में व्यापक स्तर पर **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर** पैदा करेगा।
- सौर पार्क **प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि न करने योग्य भूमि का उत्पादक उपयोग** भी सुगम बनाएगा जो परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी सुगम बनाएगा।
- केंद्र 20 लाख रुपये प्रति मेगावॉट की केन्द्रीय वित्तपोषण सहायता या परियोजना लागत के 30%, दोनों में से जो भी कम हो, के अतिरिक्त 25 लाख रुपये तक का अनुदान भी देगा। इससे **हरित परियोजनाओं के लिए क्रेडिट प्रवाह में सुधार होगा।**

3.11 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र

(Energy Saving Certificates)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों के मसौदे (ड्राफ्ट एनर्जी सेविंग्स सर्टिफिकेट) के नियमों के तहत, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ने विद्युत् विनिमय केन्द्रों पर ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों (ESCs) के व्यापार को मंजूरी दी है।

प्रस्ताव

- पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को ESCs के पंजीकरण की भूमिका निभानी है।
- ESCs के विनिमय के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) को प्रशासक की भूमिका में नियुक्त किया गया है।
- CERC समय-समय पर प्रशासक द्वारा तैयार की गई प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करेगा और उन्हें स्वीकृति देगा। यह विद्युत् बाजारों के सन्दर्भ में बाजार निगरानी भी करेगा।

परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम

- यह **राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency)** के तहत एक स्कीम है।
- इसे ऊर्जा-गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- यह प्रमुख उद्योगों जैसे ताप विद्युत, उर्वरक, सीमेंट इत्यादि पर लक्षित है।
- यह बाजार आधारित तंत्र है जो ESCerts (ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र) के व्यापार की अनुमति देता है।
- ✓ ऊर्जा दक्षता मानकों को हासिल करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा 2013 में ESCerts पेश किए गए थे।
- ✓ ये BEE या विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।
- ✓ एक प्रमाण पत्र एक मीट्रिक टन तेल के समतुल्य (mtoe) ऊर्जा की खपत के बराबर है।

कदम का महत्व

- यह ESCs का आदान-प्रदान करने के लिए **एक पारदर्शी और कार्यकुशल मंच** तैयार करेगा।
- यह विद्युत्, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को खरीदने और बेचने के लिए वन-स्टॉप शॉप बनने हेतु भारतीय ऊर्जा विनिमय जैसे विद्युत् विनिमय केन्द्रों को सक्षम करेगा।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र:

- यह अक्षय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता और अनिवार्य नवीकरणीय खरीद दायित्वों (mandatory purchase obligation) के बीच असंगतता को संबोधित करता है।
- इसका मूल्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा अन्तःक्षेपित (injected) 1 मेगावाट विद्युत के बराबर है।

आगे की राह

- विद्युत् विनिमय केन्द्रों के माध्यम से ESCs का व्यापार एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार को ESCs का एक आधार मूल्य भी तय करना चाहिए ताकि अधिक आपूर्ति की दशा में उनकी कीमत बाज़ार कीमतों से नीचे न गिरे।

3.12.कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बजट में, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के सहयोग से **कृषि उत्पादों के लिए स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट को एकीकृत** करने का प्रस्ताव किया गया है।

VISION IAS

महत्व

- स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट का एकीकरण:

✓ **वस्तुओं की डीलिस्टिंग(delisting) को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को समाप्त करेगा।**

✓ **कृषकों को अपनी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में मदद** करेगा।

सम्बंधित जानकारी

- **स्पॉट मार्केट -** यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो निम्न सुविधा प्रदान करता है-

✓ कृषि वस्तुओं, धातुओं और बुलियन जैसी विशिष्ट वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री।

✓ यह **स्पॉट डिलिवरी कॉन्ट्रैक्ट** प्रदान करता है जो तत्काल या 11 दिनों के भीतर के अनुबंध होते हैं।

- **डेरिवेटिव मार्केट -** डेरिवेटिव्स वित्तीय अनुबंध हैं जो एक अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।

✓ ये स्टॉक, सूचकांक, वस्तुएं, मुद्राएं, विनिमय दरें या ब्याज दर हो सकती हैं।

✓ ये अंतर्निहित परिसंपत्ति के भविष्य के मूल्य पर सट्टेबाजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

3.13. टैक्स टेररिज्म

(Tax Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त विधेयक 2017 में प्रस्तावित किया है कि कर आधिकारियों को तलाशी और सर्वेक्षणों के संचालन हेतु **'रीजन टू बिलीव'** को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यह टैक्स टेररिज्म की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
- इस के लिए आयकर अधिनियम की धारा 132 (1) में संशोधन की योजना है।
- बजट 2017-2018 में कर अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के साथ, **6 माह के लिए अस्थायी रूप से संपत्ति जब्त करने की शक्ति** प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

टैक्स टेररिज्म के कारण

- टैक्स टेररिज्म का मूल कारण केंद्रीय बजट में **अवास्तविक राजस्व संग्रह लक्ष्यों (unrealistic revenue collection targets)** का निर्धारण करना है।
- **जटिल एवं विविध कर कानून**। उदाहरण के लिए कर छूट कानूनों की उच्च संख्या।
- **बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग** कार्यप्रणाली द्वारा कर वंचना के कारण सरकार को राजस्व की हानि होती है, इसके चलते सरकार कठोर कदम उठाती है जिससे टैक्स टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है।

प्रस्तावों की आवश्यकता

- सरकार के अनुसार इस कदम से **कर-जीडीपी अनुपात में गिरावट** को रोकने में मदद मिलेगी जो कि 2008 के 12 फीसदी से घटकर हाल के दिनों में 9 फीसदी तक रह गया है, जिसका कारण उत्पाद, सीमा शुल्क और निगम कर संग्रह में गिरावट है।
- वर्तमान में करदाता की संपत्ति (assessee's property) की कुर्की तभी की जा सकती है, जब उसकी संपत्ति की कुर्की पर रोक के अनुरोध को इनकम टैक्स कमिशनर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए।
- वैसी परिस्थितियों में जहाँ कर कानून से बचने के लिए **कर-अपवंचक जांच के दौरान अपनी संपत्ति का विक्रय** कर देते हैं, ऐसी समस्या के निवारण के लिए प्रस्तावित संपत्ति को जब्त करने की अस्थायी शक्तियां (provisional attachment powers) सहायक हो सकती हैं।

3.14 प्रस्तावित पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड

(Proposed Payment Regulatory Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- RBI ने भारत में भुगतान व्यवस्था (पेमेंट रिजीम) पर गठित **रतन वटल समिति** की राय, विशेष रूप से नए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की सिफारिश, पर मतभेद जताया है।

पृष्ठभूमि

- वटल कमेटी ने भारत में डिजिटल भुगतान ढांचे में **प्रतिस्पर्धा एवं नवोन्वेष को बढ़ावा देने हेतु एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड** (RBI से स्वतंत्र) के गठन की सिफारिश की।
- वर्तमान समय में भारत में **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System: BPSS)** भुगतान पारिस्थितिकी को नजरअंदाज करते हैं।
- हाल के बजट में RBI में 6 सदस्यीय पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड (भुगतान विनियामक बोर्ड) का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें

✓ तीन सदस्य RBI से होंगे जबकि बाकि के तीन केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे।

✓ बोर्ड के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होंगे।

✓ पेमेंट एंड सेटलमेंट के प्रभारी RBI के डिप्टी गवर्नर भी इसके एक सदस्य होंगे।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- वर्तमान पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम, 2007 (PSS Act) डिजिटल भुगतान की पहुंच को प्रतिबंधित करता है, और इस प्रकार नकदी लेनदेन को बढ़ावा देता है।

✓ उदाहरण स्वरुप यह **डेटा संरक्षण मुद्दों पर मौन** है।

✓ समिति के अनुसार **वर्तमान कानून, भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं** करता है।

- पेमेंट रिजीम **एक अधिक तकनीक-संचालित व्यावसायिक गतिविधि** है, जिसे बैंकिंग क्षेत्र से स्वतंत्र रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रस्ताव का महत्व

- ऐसा माना गया है कि डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित एक स्वतंत्र निकाय अगले 3 वर्षों में **डिजिटल भुगतान को मौजूदा 5% से लगभग 20% तक बढ़ाएगा**।

निहित चुनौतियां

- यह **रिजर्व बैंक की स्वायत्तता** के लिए एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। उल्लिखित है कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु पहले ही एक मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया जा चुका है।
- **बैंकिंग, भुगतान प्रणाली से बहुत अधिक भिन्न नहीं है** क्योंकि नगदी रहित भुगतान में बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों को अलग करना समन्वय में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
- चूँकि **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (BPSS)** में RBI से बाहर के विशेषज्ञों को सदस्यता प्राप्त है अतः ये **पहले से ही काफी स्वतंत्र** हैं।
- एक पृथक प्रतिस्पर्धा कानून वर्तमान में विद्यमान है। इसे PSS अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित करने से **अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र (overlapping jurisdiction)** सृजित हो सकते हैं।
- पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के लिए **"एक नवाचार"** को परिभाषित करना कठिन होगा।

आगे की राह

- डिजिटल भुगतान हेतु एक पृथक नियामक वर्तमान समय की मांग है और पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

(रतन वटल समिति की सिफारिशों के लिए, विजन आईएएस करेंट अफेयर्स मॉड्यूल दिसंबर, 2016 का संदर्भ लें)

भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (BPSS)

- यह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति है।
- यह **भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण** करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- इसे **नीतियों को प्राधिकृत और विहित करने और देश में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मानकों की स्थापना** के लिए सशक्त बनाया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऐक्ट, 2007 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।

3.15. क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड

(Credit Enhancement Guarantee Fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने 2016-17 के केंद्रीय बजट में **क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड** के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को चुना है।

क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड के बारे में

- यह **गारंटी का अतिरिक्त स्रोत** प्रदान करता है कि **उधारकर्ता अपने ऋण पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।**
- यह ऋण लेने वालों को **कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में** भी मदद करता है।
- इसकी आरंभिक पूंजी (सीड कैपिटल) 1500 करोड़ रुपये की है और यह **40,000 करोड़ रुपये तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गारंटी** प्रदान करने में सक्षम होगा।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- भारत में सतत विकास और संवृद्धि के लिए अगले 10 वर्षों में अवसंरचना में निवेश हेतु **लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के निवेश** की आवश्यकता है।

प्रस्ताव का महत्व

- यह बुनियादी ढांचा फर्मों द्वारा जारी बांडों की **क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने** में मदद करेगा।
- यह **दीर्घकालिक**, विशेष रूप से ग्लोबल इन्श्योरेन्स, पेंशन और संप्रभु सम्पदा कोष से, **निवेश** को आकर्षित करने में मदद करेगा।
- इससे भारत में **बॉन्ड मार्केट को और मजबूत करने** में भी मदद मिलेगी।
- क्रेडिट एनहांसमेंट उपाय से **ब्याज दर की लागत** लगभग दो प्रतिशत **कम** हो सकती है।

संबद्ध चुनौतियाँ

- यह एक **दीर्घकालिक पहल** है क्योंकि बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निर्माण अवधि (gestation period) लंबी होती है और रिटर्न धीरे-धीरे प्राप्त होता है।

आगे की राह

- भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस विकास को बनाए रखने के लिए इस तरह के वित्तीयन की पहल की आवश्यकता होगी। क्रेडिट गारंटी फंड एक स्वागत योग्य कदम है। विभिन्न देशों के संप्रभु धन और पेंशन फंड को आकर्षित करना भारत के राजनयिक प्रयासों पर भी निर्भर करेगा।

3.16. ट्रांजिट आधारित विकास नीति

(Transit Oriented Development Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने एक ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) नीति प्रकाशित की है।

> **ट्रांजिट आधारित विकास**
> यह लोगों को, मोनोरेल और बस रैपिड ट्रांजिट (BRT) जैसे ट्रांजिट कोरिडोर से साइकिल से या पैदल तय करने योग्य दूरी के भीतर रहने के लिए सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि

- अहमदाबाद, दिल्ली (कड़कड़डूमा), नया रायपुर, नागपुर और नवी मुंबई में ट्रांजिट आधारित विकास परियोजनाएं पहले से ही प्रारंभ कर दी गई हैं।
- ट्रांजिट आधारित विकास की वर्तमान प्रगति निम्न तथ्यों में देखी जा सकती है -

✓ सात शहरों में **300 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन** का परिचालन किया जा रहा है और 600 किमी की मेट्रो लाइन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

✓ 12 शहरों में **बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम** प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

✓ दिल्ली में 380 किमी लंबाई के **मास रेल ट्रांज़िट सिस्टम (Mass Rail Transit System)** की शुरुआत की जा रही है।

नीति के बारे में

- मास ट्रांजिट कॉरिडोर के आस-पास शहरी घनत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

✓ फ्लोर एरिया अनुपात को बढ़ाकर **उर्ध्वाधर भवनों का निर्माण**।

✓ पैदल चलने और साइक्लिंग के लिए **गैर-मोटर चालित परिवहन** को बढ़ावा देना।

✓ फीडर सेवाओं के माध्यम से प्रथम और अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी के साथ **विभिन्न परिवहन माध्यमों का समेकित एकीकरण।**

- यह बढ़ती शहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में **TOD पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की समझ को बढ़ाने** के लिए प्रयास करता है। इन चुनौतियों में -

✓ बेतरतीब शहरी विकास और कुप्रसार

✓ सड़कों पर भीड़-भाड़ और तेजी से बढ़ रहे निजी वाहनों से संबंधित शहरी गतिशीलता की समस्याएँ

✓ अनियंत्रित प्रदूषण

✓ आवास विकल्प, आदि प्रमुख हैं।

- इसे ट्रांजिट कॉरिडोर में निवेश के बाद बेहतर मूल्यों के माध्यम से, संपत्ति मूल्य में बढ़ोतरी के एक हिस्से को दिशा देकर, वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है
- इसका उद्देश्य **मिश्रित पड़ोस के विकास** के साथ किफायती आवास समेत विभिन्न आवास विकल्प और सड़क विक्रेताओं के लिए रिक्त स्थान सुनिश्चित कर **समावेशी विकास** करना है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक होगा:

✓ TOD को मास्टर प्लान्स और डेवलपमेंट प्लान में शामिल करें।

✓ राजस्व स्रोत के दोहन के लिए **ट्रांजिट कॉरिडोर से 'प्रभावित क्षेत्र' की पहचान** करना।

फ्लोर एरिया (Floor Area) अनुपात

जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है उस भूमि के आकार की तुलना में भवन के कुल फ्लोर एरिया का अनुपात **फ्लोर एरिया अनुपात** कहलाता है।

ट्रांजिट आधारित विकास (TOD) को बढ़ावा देने के लिए अन्य नीतियां

- TOD को **दो और पहलों**, **मेट्रो नीति** और **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम** के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **नई मेट्रो नीति** के तहत, TOD को अनिवार्य कर दिया गया है जबकि **ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम** के तहत, TOD को केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता के साथ एक आवश्यक सुधार के रूप में इसकी सिफारिश की गई है।

प्रस्ताव की आवश्यकता

- **भूमि उपयोग योजना को परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ एकीकृत** करने की आवश्यकता है। इसका कारण **अनियोजित और बेतरतीब शहरी विकास के वर्तमान स्वरूप के विपरीत सुसंबद्ध विकास** की आवश्यकता है।

प्रस्ताव का महत्व

- यह मास ट्रांजिट सिस्टम का प्रयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में सुधार करके देश की **सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने में मदद** करेगा।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि से **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन** होगा।
- यह नियोजन द्वारा, प्राप्त भूमि से **बेहतर भूमि उपयोग के अधिक अवसर** भी खोल सकता है। उदाहरण- किफायती आवास

संलग्न चुनौतियां

- ट्रांजिट आधारित विकास में **फंडिंग की कमी** आ सकती है।
- इसके लिए, लोगों को साइकिल से और पैदल चलने हेतु **व्यवहार में बदलाव** लाने की आवश्यकता होगी।
- यह भूमि अधिग्रहण और मार्ग के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी शामिल कर सकता है।
- पुराने बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और फिर से एक नियोजित तरीके से पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए **लोगों की सहमति** और सरकार की ओर से **राजनीतिक इच्छाशक्ति** की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति वाहनों को चलाए जाने के स्थान पर लोगों को चलाए जाने पर ध्यान केंद्रित करती है। नई ट्रांजिट आधारित विकास नीति इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। यह अन्य शहरों में भी संकुलन रहित विस्तार में मदद करेगी।

3.17. APMC : कुछ वस्तुओं का डी-नोटीफिकेशन

(APMC: De-Notification Of Few Items)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि APMC के तहत अधिसूचित शीघ्र नष्ट होने वालों उत्पादों को सूची से हटाने का आग्रह राज्यों से किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, कृषि उत्पाद बाजारों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित, कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- यह अधिनियम क्षेत्र में उत्पादित कृषि वस्तुओं जैसे अनाज, दालों, खाद्य तिलहन और यहां तक कि मुर्गा, बकरी आदि को अधिसूचित करता है।
- इन वस्तुओं में पहली बिक्री APMC के तत्वावधान में, इसके द्वारा लाइसेंस प्रदत्त कमीशन एजेंटों के माध्यम से ही की जा सकती है।
- केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए 2003 में पहली बार मॉडल APMC अधिनियम को प्रसारित किया था। फिर भी, लगभग 50% राज्यों ने अपने संबंधित कृषि विपणन अधिनियमों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए हैं।

निर्णय का सकारात्मक प्रभाव

- किसानों को उनके उत्पाद सीधे बेचने और **बेहतर कीमतें** प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इससे खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी क्योंकि APMC द्वारा द्वारा कई प्रशुल्कों (मंडी कर, बहुल शुल्क इत्यादि) के और एजेंटों के कमीशन के कास्केडिंग इफ़ेक्ट में कमी आएगी।
- **उपज-पश्चात हानि कम होगी।**
- इससे फलों और सब्जी क्षेत्र में **अनुबंध कृषि** को बढ़ावा मिलेगा, जो कंपनियों को अभिनव प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने, उत्कृष्ट कृषि प्रथाओं और किसानों को कृषि सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

चुनौतियाँ

- इससे कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा मिलेगा जो किसानों के उत्पीड़न का एक और मंच बन सकता है।
- **बाजार की अक्षमताएँ:** शांता कुमार समिति के अनुसार, केवल 6% किसानों को MSP का लाभ मिलता है और शेष 94% बाजारों पर निर्भर हैं। इस प्रकार 50% लाभ के साथ किसानों द्वारा MSP में वृद्धि की मांग (जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित है), बाजार में अक्षमता की ओर इशारा करती है।

आगे की राह

- राज्यों को विनियमित वस्तुओं की APMC अनुसूची से फलों और सब्जियों को हटाने के लिए राजी करने के बाद अन्य वस्तुओं को भी हटाया जाना चाहिए।
- राज्य सरकारों को विशेष रूप से निजी क्षेत्र में वैकल्पिक या विशेष बाजारों हेतु नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए भी राजी किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार में अपने उत्पाद के लिए किसानों को अधिकतम संभव मूल्य प्राप्त हो सके।

3.18. बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)

(Revenue Insurance Scheme For Plantation Crops: RISPC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने **बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (RISPC)** को मंजूरी दी है।

बागानी फसल के बारे में

- बागानी फसलें वे फसलें होती हैं जिनकी खेती व्यापक पैमाने पर एवं विशाल संलग्न क्षेत्र (large contiguous area) में की जाती है। इसका स्वामित्व और प्रबंधन एक व्यक्ति या एक कंपनी द्वारा किया जाता है।
- मुख्य बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबर, नारियल, आयल पाम, काजू, सुपारी आदि शामिल हैं।
- ये बागानी फसलें अत्यधिक आर्थिक महत्व की उच्च मूल्य वाणिज्यिक फसले हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इसकी निर्यात क्षमता अधिक होती है, रोजगार अवसरों का सृजन करती हैं एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में सहायता करती हैं।

RISPC के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को विभिन्न जोखिमों जैसे फसल हानि, कीट हमलों और अंतरराष्ट्रीय/ घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है।
- इस योजना को पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और सिक्किम में **2 वर्षों के लिए पायलट आधार पर** लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत **तंबाकू सहित** विभिन्न बागानी फसलों को कवर किया जाएगा।
- योजना के प्रदर्शन के आधार पर, इसका विस्तार अन्य जिलों में किया जाएगा।
- इस योजना को 2013 में समाप्त की गई **मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना** का उन्नत संस्करण माना जा सकता है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

- यह योजना वाणिज्य मंत्रालय के तहत **2003 में आरम्भ की गयी थी (2013 में समाप्त)** और इसके अंतर्गत सभी बागान फसलों को शामिल किया गया था।
- इसका उद्देश्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था।

3.19 ताम्र पोर्टल एवं खनन मंत्रालय

(TAMRA: Portal of Ministry of mines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- खनन मंत्रालय द्वारा **"ताम्र"** पोर्टल एवं मोबाईल एप्लीकेशन को विकसित एवं लांच किया गया है। खनन गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु इसका विकास किया गया है।
- TAMRA से तात्पर्य **ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन मॉनीटरिंग और रिसोर्स ऑगमेंटेशन (पारदर्शिता, बोली लगाने की निगरानी एवं संसाधन संवर्द्धन)** है।

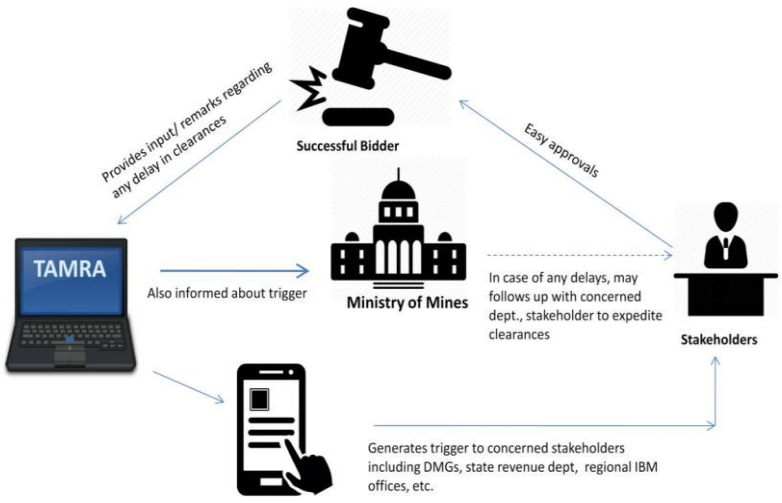

विशेषताएं

- यह नीलामी की जाने वाली खदानों की ब्लॉक-वार, राज्य-वार और खनिज-वार सूचनाओं को प्रदर्शित करता है।
- यह प्रत्येक मंजूरी (क्लीयरेंस) की वर्तमान स्थिति की भी सूचना प्रदान करेगा।

महत्व

- भारत में खनन उद्योग **मंजूरी में विलम्ब** एवं खनन पट्टों के **आबंटन में पारदर्शिता की कमी** जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह पोर्टल सभी हितधारकों के लिए परस्पर संवादात्मक मंच (इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराकर तथा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाकर **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस** को सुगम बनाएगा।

3.20 सेबी द्वारा एल्गोरिदम ट्रेडिंग के नियमों को सख्त किए जाने का प्रस्ताव

(SEBI to Tighten Algo Trading Rules)

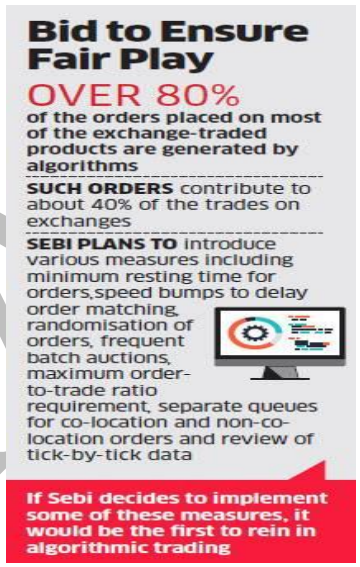

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (algorithmic trading) के नियमों को और सख्त करने की योजना बना रहा है।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग क्या है?

- एल्गोरिदम एक कार्य को पूर्ण करने की क्रमबद्ध (step-by-step) प्रक्रिया है।
- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बारीक गणितीय मॉडल पर आधारित ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए पूर्व-निर्धारित कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग कर बड़ी तेजी से सटीक व बड़े सौदे किए जाते हैं। मानव व्यापारी के लिए इस गति से ट्रेडिंग करना असंभव है।
- एल्गो-ट्रेडिंग निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
  - ✓ सर्वोत्तम संभव कीमतों पर ट्रेड निष्पादन।
  - ✓ निम्न लेनदेन लागत (transaction cost)।
  - ✓ कई बाजार स्थितियों पर एक साथ स्वचालित नियंत्रण।
  - ✓ ट्रेड में संभावित मैन्युअल त्रुटियों संबंधी जोखिम में कमी।
  - ✓ मानव व्यापारियों द्वारा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर आधारित त्रुटियों की संभावना में कमी।

इस पहल के पीछे का तर्क

- इस तरह की प्रणाली के दुरुपयोग की घटनाओं को कम करना, जिसका उपयोग एक बहुत ही जटिल व्यापारिक रणनीति को उच्च गति से निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सेबी ने गति में अचानक रोक का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत ऑर्डर की प्रोसेसिंग से पहले कई मिलिसेकंड की देरी की जाती है। सेबी ने कहा, इस व्यवस्था का संभावित असर अन्तर्निहित संवेदनशील रणनीतियों को हतोत्साहित करना है ताकि ऐसी देरी से अल्गो ट्रेडिंग प्रभावित हो, लेकिन गैर-अल्गो ऑर्डर पर असर न पड़े, जिसके लिए मिलिसेकंड की देरी महत्वपूर्ण नहीं है।
- एल्गो-ट्रेडिंग और नॉन-एल्गो-ट्रेडिंग उपयोगकर्ताओं के मध्य एकसमान प्रतियोगी अवसर सुनिश्चित करना।

3.21 व्हाइट लेबल ATM में 100% FDI

(100% FDI in White Labelled ATM)

सरकार ने व्हाइट लेबल ATM (WLA) के संचालन में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- WLA की स्थापना के लिए इच्छुक गैर-बैंकिंग इकाई की न्यूनतम नेट वर्थ नवीनतम वित्त वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जिसे हमेशा बनाए रखना होगा।
- यदि इकाई किसी अन्य 18 NBFC गतिविधियों में भी संलग्न हो, तो WLA स्थापित करने वाली कंपनी में हुए विदेशी निवेश को भी NBFC से जुड़ी गतिविधियों में विदेशी निवेश के लिए तय न्यूनतम पूंजीकरण मानकों के अनुरूप रखना होगा।

ATM के प्रकार:

- **बैंक ATM-** किसी विशिष्ट बैंक द्वारा स्थापित एवं संचालित होता है।
- **ब्राउन लेबल ATM**- जब बैंक अपने एटीएम-संबंधी कामकाज किसी तीसरे पक्ष को सौंप देते हैं, तो उस तीसरे पक्ष द्वारा लगाए गए ATM ब्राउन लेबल ATM कहलाते हैं। ATM पर उस बैंक का लोगो (Logo) लगा होता है, जिसने उस तीसरे पक्ष को काम सौंपा है।
- **व्हाइट लेबल ATM (WLA)**- गैर-बैंकिंग संस्था के स्वामित्व वाले ATM को WLA कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुथूट फाइनेंस ATM, टाटा इन्डिकैश इत्यादि। इन पर किसी बैंक का लोगो (Logo) नहीं लगा होगा।

VISION IAS

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1 भारत ने साइबर स्वच्छता केन्द्र लॉन्च किया

(India Launches Cyber Swachchta Kendra)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मैलवेयर (Malware) और बॉटनेट (Botnet) के विश्लेषण के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र- बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र (Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre) का शुभारंभ किया।

साइबर स्वच्छता केंद्र (CSK) के बारे में

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है।
- CSK वेबसाइट पर रजिस्टर करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के सिस्टम **कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)** द्वारा निःशुल्क स्कैन किए जाएंगे।
- इसके बाद यह सूचित (नोटिफाई) करके और सिस्टम की क्लीनिंग में सहायता करके एंड-यूज़र्स के सिस्टम को सुरक्षित बनाएगा ताकि भविष्य में संक्रमणों को रोका जा सके।
- यह केंद्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और उद्योग के साथ समन्वय में काम करेगा।
- यह केंद्र उनके उपकरणों (devices) को सुरक्षित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के साथ बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता भी बढ़ाएगा।

बॉटनेट

बॉटनेट उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना मैलवेयर से संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है और यह साइबर अपराधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आम तौर पर स्पैम ईमेल भेजते हैं, वायरस प्रसारित करते हैं और साइबर अपराध के अन्य कार्यों में संलग्न होते हैं।

मैलवेयर

"मैलवेयर" "मैलिशियस सॉफ़्टवेयर" (malicious software) का संक्षिप्त नाम है- ये उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना कंप्यूटर में घुसपैठ और क्षति के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम हैं।

आवश्यकता

- देश में IT एक्ट के तहत पंजीकृत साइबर अपराध के मामले 2011 से 2014 के बीच लगभग 300 प्रतिशत बढ़ गए हैं।
- देश में आधा बिलियन लोग ऑनलाइन रहते हैं और 250 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन और एक बिलियन मोबाइल फोन हैं।
- भारत डिजिटल इंडिया, गो कैशलेस अभियान का प्रचार कर रहा है।
- यह साइबर-हमले की सुरक्षा से संबंधित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगा।

CSK के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराए गए उपकरण हैं:

- **M कवच:** स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए विशेष एंटी-वायरस टूल।
- **USB प्रतिरोध:** यह USBs, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स आदि जैसे विभिन्न बाह्य भंडारण उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिए एक USB प्रोटेक्टर है।
- **AppSamvid** : यह डेस्कटॉप के लिए एक श्वेतसूची (whitelisting) उपकरण है।
- **ब्राउजर JSGuard**: यह वेब ब्राउज़ करते समय दुर्भावनापूर्ण (malicious) जावा स्क्रिप्ट और HTMLफाइलों को ब्लॉक करने में मदद करता है।
- **नि: शुल्क बॉट रिमूवल उपकरण**: यह एक क्विकहील (QuickHeal) पार्टनर टूल है।

साइबर स्वच्छता केंद्र के शुभारंभ पर की गई घोषणाएँ

- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र जून 2017 तक परिचालित होगा।
- क्षेत्रीय CERTs का निर्माण, जो CERT-In के तहत काम करेंगी। CERTs को राज्य स्तर पर भी स्थापित किया जाना है।
- 10 और STQC (मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन) परीक्षण सुविधा की स्थापना की जानी है। साइबर सुरक्षा के अनुसंधान में लगे किसी डिजिटल तकनीक के स्टार्ट-अप के लिए परीक्षण शुल्क 50% तक कम किया जाएगा।

VISION IAS

- साइबर-अपराध सिद्ध करने के लिए प्रमाणित प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत फोरेंसिक लैब्स को सशक्त बनाना।

साइबर हमले बढ़ने के कारण

- **इन्टरनेट की पहुँच में विस्तार:** इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता अपर्याप्त है।
- इसके अतिरिक्त, भारत सस्ते स्मार्टफ़ोन का उपयोग करता है, जिसमें सुरक्षा के मानक बहुत कम हैं।
- **सीमा रहित:** साइबर दुनिया के लिए कोई भौगोलिक बाधा नहीं है।
- अभी कोई **राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना नहीं** है, जो साइबर धमकियों की प्रकृति का आकलन कर सकती हो और उनका प्रभावी रूप से जवाब दे सकती हो।
- IT कुशल जनशक्ति की कमी है और स्थानीय पुलिस आई.टी. अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों और साइबर अपराधों से संबंधित IPC से अनभिज्ञ है।
- साइबर स्पेस में सम्मिलित एजेंसियों और विभागों जैसे CERT-In, NTRO आदि के बीच **समन्वय का अभाव**।

इस संबंध में क्या किया जा सकता है?

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2013 द्वारा सुझाए गए उपाय लागू किए जाने चाहिए।
- साइबर सुरक्षा के मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए साइबर सुरक्षा में R&D किया जाना चाहिए।
- भारत को अपनी खुद की आक्रामक टीम बनानी चाहिए जैसा चीन ने बनाई है।
- महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को इंटरनेट से पृथक करने वाली **एयर गैपिंग** की अवधारणा का उपयोग किया जाना चाहिए।
- भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की स्थापना जैसे संस्थागत कदम उठाए जाने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर सकते हैं।
- कॉर्पोरेट, सरकार, NGO आदि जैसे सभी हितधारकों के बीच समन्वय होना चाहिए। साइबर सुरक्षा में चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में आयोजित **ग्राउंड जीरो समिट (Ground Zero Summit)** एक अच्छा कदम थी।
- भारत को NSG की तर्ज पर साइबर हथियारों के उपयोग को कम करने के लिए वैश्विक मंच पर प्रयास करना चाहिए।
- भारत टैलिन मैनुअल (**Tallinn Manual**) का अनुसरण भी कर सकता है जो कि साइबर अपराधों पर लागू होने वाले कानूनों से संबंधित शैक्षणिक कार्य है, जिसका अमरीका जैसे विकसित देश अनुसरण कर रहे हैं।

मुख्य परीक्षा 2013

Q: कुछ रक्षा विश्लेषकों द्वारा साइबर युद्ध को अल क़ायदा या आतंकवाद से भी बड़ा खतरा माना जाता है। साइबर युद्ध से आप क्या समझते हैं? उन साइबर खतरों को रेखांकित कीजिए, जिनके लिए भारत असुरक्षित है और इनसे निपटने के लिए देश द्वारा की गई तैयारियों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए?

4.2. ट्रोपेक्स-17

(Tropex-2017)

- एक महीने की अवधि तक चलने वाले इस नौसैनिक अभ्यास में नौसेना, भारतीय वायु सेना (IAF) और थल सेना की युद्ध तैयारी (combat readiness) का परीक्षण किया गया, जिसमें 45 से अधिक जहाजों और 70 विमानों ने भाग लिया।
- थिएटर रेडीनेस आपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) नामक यह अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2015 में आयोजित किया गया था।
- सेना और IAF के साथ पूर्ण समन्वय में ट्रोपेक्स, सशस्त्र बलों के युद्ध-संघर्ष और संयुक्त युद्धक क्षमताओं के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कई चरणों में संपन्न हुई।
- ट्रोपेक्स के 2017 संस्करण में द्वीपीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 'आउट-ऑफ एरिया कन्टिन्जन्सी (out of area contingency)' का संचालन शामिल था।

4.3 भारतीय तटरक्षक बल

(Indian Coast Guard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया।

पृष्ठभूमि

- 1970 की नाग समिति ने तस्करी संबंधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक अलग समुद्री बल (भारतीय नौसेना के अतिरिक्त) के गठन करने की सिफारिश की।

- 1972 में, UNCLOS ने तटीय राज्यों के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का निर्णय लिया और भारत ने इस पर दावा करने के लिए समुद्री क्षेत्र अधिनियम (Maritime Zones Act) 1976 बनाया।
- अरब सागर में 1974 में वाणिज्यिक तेल संपत्ति की खोज के बाद, भारत ने तटीय क्षेत्रों में चोरी और तस्करी से निपटने के लिए उपाय सुझाने हेतु **रुस्तमजी समिति** को नियुक्त किया। समिति ने हमारे समुद्रों के देख-रेख और रक्षा तथा नियंत्रण के लिए **'तटरक्षक बल' की स्थापना की सिफारिश** की।
- अंत में तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत अस्तित्व में आया।

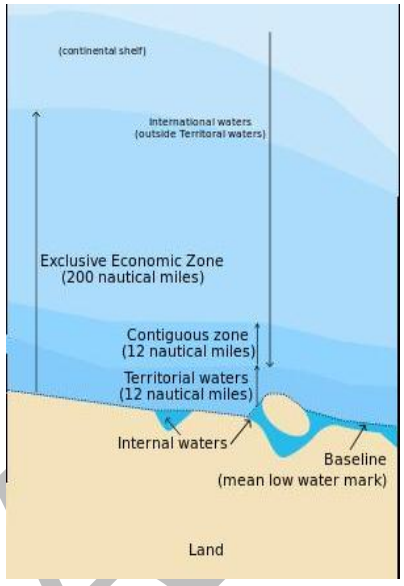

ऑपरेशन ओलिविया (Operation Olivia)

- यह भारतीय तट रक्षक बल और ओडिशा राज्य वन विभाग द्वारा गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के समुद्री जल के निकट शुरू किया गया एक मिशन है।
- इसका उद्देश्य ओलिव रिडले कछुओं के मध्य- समुद्री प्रजनन (mid-sea breeding) को सुरक्षित बनाने और अवैध मछली पकड़ने में शामिल मछली पकड़ने वाले जहाजों को घुसपैठ करने से रोकना है।

भारतीय तटरक्षक बल के बारे में

- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- यह महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में काम करता है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।
- प्रभावी कमांड और नियंत्रण के लिए, तट रक्षकों के समुद्री क्षेत्र (maritime zones) को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, उत्तर-पूर्व और अंडमान एवं निकोबार।
- **भारतीय तट रक्षक बल के कार्य हैं -**
  - कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय टर्मिनलों की सुरक्षा और संरक्षण
  - समुद्र में संकट के समय मछुआरों को सहायता देकर मछुआरों का संरक्षण।
  - समुद्री प्रदूषण जैसे तत्वों के रोकथाम द्वारा समुद्री पर्यावरण का संरक्षण।
  - तस्करी आपरेशनों की रोकथाम में कस्टम अधिकारियों को सहायता प्रदान करना।
  - तटरक्षक बल के जहाज वैज्ञानिक आंकड़ों के संग्रह में भी शामिल हैं।
  - भारतीय नौसेना के साथ मिलकर समुद्री कानूनों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का प्रवर्तन करना।
- प्रवर्तन का यह अधिकार क्षेत्रीय जल (territorial water) से अनन्य आर्थिक क्षेत्र (चित्र देखें) तक फैला हुआ है।

4.4 आउटर स्पेस संधि

(Outer Space Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आउटर स्पेस संधि ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

पृष्ठभूमि

- 1957 में रूसी अंतरिक्ष उपग्रह स्पुत्निक (Sputnik) के प्रक्षेपण और परिणामी **शीत युद्ध की परिस्थितियों ने अंतरिक्ष में प्रतियोगिता** को प्रेरित किया।
- अंतरिक्ष का उपयोग करने के संबंध में एक सुव्यवस्थित तंत्र के निर्माण हेतु, स्पुत्निक के प्रक्षेपण के बाद **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: COPUOS)** बनाई। इसने 1967 में संधि की स्थापना को प्रेरित किया।

संधि के बारे में

- संधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले कई प्रस्तावों पर आधारित थी -
  - **"अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में देशों की गतिविधियों को प्रशासित करने वाले कानूनी सिद्धांतों की घोषणा (Declaration of Legal Principles Governing the State Activities in the Exploration and Use of Outer Space)"** के बारे में **संकल्प 1962**।
  - **संकल्प 1884,** जो यह निर्दिष्ट करता है कि देशों को अंतरिक्ष में किसी भी **परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों को रखने से बचना** चाहिए।
- संधि के कुछ **अन्य प्रावधान** निम्नलिखित हैं -
  - आउटर स्पेस में अन्वेषण और इसके उपयोग की सभी को अनुमति है और इसका उपयोग **सभी देशों और मानव जाति के हित में** किया जाना चाहिए।
  - आउटर स्पेस संप्रभुता, व्यवसाय, या अन्य मायनों में **राष्ट्रीय दावों के अधीन नहीं** है।

VISION IAS

- चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों का उपयोग **केवल शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु** किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों और सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान के लिए **सम्बंधित देश उत्तरदायी** होंगे।
- भारत भी आउटर स्पेस संधि का सदस्य है।

यू एन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स (UNOOSA) (1958)

- यह आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- यह UNGA की आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- यह आउटर स्पेस में प्रक्षेपित किए गए पिंडों के लिए संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर को भी स्थापित करता है।
- यह आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना हेतु संयुक्त राष्ट्र मंच (UN Platform for Space based Information for Disaster Management and Emergency Response: UN -SPIDER) का प्रबंधन करता है।
- अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से संबंधित मुद्दों को निःशस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament) द्वारा नियंत्रित किया जाता है न कि UNOOSA द्वारा।

संधि की आवश्यकता

- **वैश्विक रूप से उभयनिष्ठ अंतरिक्ष**- अंतरिक्ष एक संसाधन है जो कि किसी एक देश की राजनीतिक पहुंच से बाहर है। इसलिए **अंतरिक्ष तक निष्पक्ष और समान पहुंच** सभी के लिए आवश्यक है।
- भू-राजनीतिक रूप से, **अंतरिक्ष राष्ट्रीय सैन्यीकरण और संप्रभुता का एक साधन बनता जा रहा है**। प्रभावी मानकों द्वारा इसे शांतिपूर्ण और प्रगतिशील क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए।
- अंतरिक्ष यात्रा, क्षुद्रग्रह खनन, प्रयोगात्मक विज्ञान आदि जैसे अंतरिक्ष के बढ़ते व्यावसायीकरण के फलस्वरूप बेहतर विनियमन वाली एक संधि उपयोगी हो सकती है।

संधि का महत्त्व

- विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए यह एकमात्र संधि है।
- यह अब तक अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष को रोकने में सफल रही है।

संधि के समक्ष चुनौतियां

- वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र को चुनौती देने वाले कई मुद्दे प्रकट हुए हैं जैसे कि -
  - अंतरिक्ष अन्वेषण का निजीकरण
  - अत्यधिक उपग्रह अवशेष का खतरा
  - गोपनीयता के अनैतिक उल्लंघन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग
  - क्वांटम भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम कम्प्यूटिंग का उदय

संधि की सीमाएं

- सामूहिक विनाश के हथियार, आउटर स्पेस आदि जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषा इसके दुरूपयोग की संभावना को बढ़ा देती है।
- हालाँकि, यह संधि **सैन्य प्रौद्योगिकी की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है, यह केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति देती है** जिसका कभी-कभी कमियों (लूप-होल) के रूप में दुरुपयोग किया जाता है।
- यह 21 वीं सदी के डिजिटल युग में (जहाँ पारंपरिक हथियारों की जगह साइबर डिजिटल हथियारों ले ली है) 20 वीं सदी की संधि है। संधि अभी भी पुरानी अवधारणाओं पर केंद्रित है।
- किसी भी देश की ज्यादतियों के खिलाफ संधि के प्रावधानों को लागू कराने के लिए **'स्पेस पुलिस' का अभाव इसे प्रभावहीन** कर देता है।

आउटर स्पेस से सम्बंधित चार अन्य प्रमुख संधियां

1. **राहत समझौता (Rescue Agreement)**: संकट की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता और बचाव के लिए देशों द्वारा कदम उठाना।
2. **उत्तरदायित्व कन्वेंशन (Liability Convention)**: प्रक्षेपण करने वाला देश अपनी प्रक्षेपित पिण्ड की वजह से पृथ्वी की सतह, हवाई क्षेत्र और अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
3. **पंजीकरण कन्वेंशन (Registration Convention)**: सभी प्रक्षेपणों का सर्वसुलभ रजिस्टर
4. **चन्द्र संधि (Moon Treaty)** – जब भी चंद्रमा के संसाधनों का दोहन संभव हो, इसे नियंत्रित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।

आगे की राह

- यह अंतर्संबद्ध उत्तर आधुनिक वैश्वीकृत दुनिया द्वारा सामने लाई गई अनोखी चुनौतियों से निपटने के लिए संधि की पुनःसमीक्षा करने और सभी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लाभों को अधिकतम करने का समय है। साथ ही, भारतीय संसद को अपने हितों की रक्षा के लिए आउटर स्पेस संधि की तर्ज पर एक समर्पित अंतरिक्ष कानून (dedicated space law) पारित करना चाहिए।

VISION IAS

भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरिक्ष कानून

- भारत में सार्वभौम, सार्वजनिक या वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए कोई अंतरिक्ष कानून नहीं है
- वर्तमान में भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों का मार्गदर्शन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है -

✓ आउटर स्पेस संधि जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष समझौते
✓ संविधान और कुछ राष्ट्रीय कानून
✓ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (SatCom) पॉलिसी (2000), संशोधित रिमोट सेंसिंग पॉलिसी (2011)।

- **प्रस्तावित कानून के प्रावधान -**

✓ इसमें एक नियामक शामिल होगा
✓ निजी ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण और लाइसेंस
✓ अंतरिक्षीय पिंडों के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा और मुआवजा
✓ अंतरिक्ष पर्यटकों के बचाव, पर्यावरण क्षति और बौद्धिक संपदा मामलों से निपटने जैसे विविध मुद्दे।

- **कानून के लाभ** - यह अंतरिक्ष के व्यावसायिक उपयोग को सुलभ बनाने, अंतरराष्ट्रीय संधियों और व्यवस्था नियामक तंत्र की सहायता करने में सरकारों की मदद करेगा।

4.5 म्यांमार से लगी पूर्वी सीमा की बाड़बंदी

(Fencing the Eastern Border Along Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- म्यांमार द्वारा सीमा की हालिया बाड़बंदी ने भारत-म्यांमार सीमा पर लोगों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है।

सर्जिकल स्ट्राइक

यह एक सैन्य हमला है जो **आस-पास के क्षेत्रों को कम या कोई संपार्श्विक (collateral) क्षति पहुंचाए बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य को क्षतिग्रस्त** करता है।

पृष्ठभूमि

- म्यांमार, **प्रभावी सीमा प्रबंधन** के लिए सीमांकित सीमा रेखा से 10 मीटर की दूरी पर अपने **नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र** में बाड़ का निर्माण करेगा।
- NSCN-K जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठन छिद्रिल सीमाओं (porous border) के कारण दोनों देशों के मध्य निर्बाध आवागमन करते हैं।
- भारत में हमले करने के बाद वे सीमा पार सुरक्षित स्थान भी पा जाते हैं।
- 2015 में, विद्रोहियों द्वारा सेना के एक दस्ते की हत्या के जवाब में भारत ने सीमा पार करके NSCN-K के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से पश्चिमी सीमा की तरह पूर्वी सीमा की बाड़बंदी करने के लिए कहा है।

संबंधित मुद्दे

- **संप्रभुता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा** - भारत द्वारा हाल ही में किये गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह सवाल उठता है कि एक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को अन्य देश की संप्रभुता पर प्राथमिकता दी जा सकती है या नहीं। बाड़बंदी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आजीविका और व्यापार का अधिकार** - 1,624 किमी लंबी भारत-म्यांमार की सीमा आदिवासियों को बिना वीज़ा के दोनों तरफ 16 किमी तक यात्रा की सुविधा प्रदान करती है (इसे मुक्त आवागमन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है)। बाड़बंदी इन व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है लेकिन इससे विद्रोहियों के निर्बाध आवागमन को रोका जा सकता है।

बाड़ लगाने में चुनौतियां

- भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार द्वारा सीमा पर बाड़बंदी स्थानीय लोगों द्वारा सशस्त्र संघर्षों का कारण बन सकती है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- अप्रतिबंधित बाड़बंदी के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रणनीतियों को अपनाया जा सकता है -

✓ आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए **चयनात्मक बाड़बंदी** और प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग।
✓ **सीमा-पार आवागमन का विनियमित प्रवाह।**

- ऐसी योजनाओं को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन से पहले **दोनों सरकारों और स्थानीय लोगों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत** आवश्यक है।

आगे की राह

- लोगों के मध्य संपर्क और सीमा-पारीय व्यापार पहलों के विकास पर अधिक जोर देने के साथ विनियमित सीमाओं से, एक बंद सीमा के मुकाबले अधिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने की संभावना है, बंद सीमाएं जन असंतोष के साथ अशांत सुरक्षा परिवेश पैदा कर सकती हैं।

VISION IAS

4.6. 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' की आवश्यकता

(Need of A Chief of Defence Staff)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में एक वर्ष में एक एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार पद गठित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2000 में कारगिल समीक्षा समिति और एक मंत्रिमंडलीय समूह दोनों ने तीनों सशस्त्र सेवाओं में समन्वय बढ़ाने हेतु एक रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS) के पद के गठन की अनुशंसा की थी।
- 2011 में, उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधारों के लिए नरेश चंद्रा ने भी यही अनुशंसा की।

निहित मुद्दा

- वर्तमान संरचना के तहत, प्रत्येक सेना प्रमुख द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रक्षा मंत्रालय को सलाह देने के कारण रक्षा मंत्रालय (MoD) खंडित रूप से सैन्य सलाह प्राप्त करता है।

स्टाफ प्रमुखों की समिति (Chief of Staff Committee)

- इसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख सम्मिलित हैं।
- इसकी अध्यक्षता तीनों सेना प्रमुखों में से वरिष्ठतम प्रमुख द्वारा रोटेशन में की जाती है, वरिष्ठतम प्रमुख के सेवानिवृत्त होने तक अध्यक्षता करते हैं।
- यह एक मंच है जहां तीनों सेना प्रमुख, महत्वपूर्ण सैन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

रक्षा स्टाफ प्रमुख पद की विशेषताएं

- **2000 में गठित मंत्रिमंडलीय समूह** ने CDS से संबंधित निम्नलिखित अनुशंसा की -
  - ✓ यह सरकार का एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार होने के कार्यभार के साथ एक **पांच स्टार वाला सैन्य अधिकारी** होगा।
  - ✓ यह स्टाफ प्रमुखों की समिति (चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी : CoSC) की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- **नरेश चंद्रा समिति (2011)** ने एक चार स्टार वाले CDS की अनुशंसा की जो CoSC के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- यह अनुशंसा की गई थी कि CDS देश की निम्नलिखित त्रि-सेवा (tri-service) कमांड का प्रभारी भी होगा -
  - ✓ सामरिक बल कमांड (SFC)- भारत की परमाणु शक्तियों का कार्य देखने के लिए
  - ✓ अंडमान व निकोबार कमांड (ANC)

सशस्त्र बलों में समन्वय को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक अन्य सुधार

- संसाधन उपयोग को इष्टतम करने हेतु एक संचालन इकाई के तहत **वायु, भूमि और समुद्री संपत्ति को एकीकृत करने के लिए युद्धक्षेत्र कमांड (theatre commands) की स्थापना** की आवश्यकता है।
- भारत के पास **अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों जैसे विशेष ऑपरेशन के लिए विशेषीकृत कमांड** होने चाहिए।
- DRDO जैसे अनुसंधान संस्थानों की सशस्त्र बलों एवं रक्षा मंत्रालय के साथ सहक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता है

महत्व

- यह परियोजनाओं और संसाधन साझाकरण में वर्तमान त्रि-सेवा उपागम के एकीकरण द्वारा सैन्य कमांड में आपसी सहयोग में सुधार करेगा।
- यह नौकरशाही के साथ समय और लागत की अत्यधिक वृद्धि को समाप्त कर रक्षा अधिग्रहण के मामलों में सशस्त्र बलों की क्षमता में भी सुधार करेगा।

चुनौतियां

- फाइव स्टार रैंकिंग वाला जनरल, रक्षा संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में **असैनिक नौकरशाही की उपेक्षा** करेगा।
- यह सुस्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बिना मात्र एक औपचारिक पद बन सकता है।

आगे की राह

- भारत सरकार को एक एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार के लिए दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए जो कि नौकरशाही परेशानियों से मुक्त हो तथा सशस्त्र बलों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायता करे।

4.7. सशक्त बलों को शक्ति प्रदान करने हेतु UAVs

(UAVS to Power Armed Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के 3 बिलियन डॉलर के घरेलू बाजार का लाभ उठाने के लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों द्वारा **एयरो इंडिया 2017** में **मानव रहित वायुयानों (UAVs)** का व्यापक प्रदर्शन किया गया था।

एयरो इंडिया 2017

- यह वायुसेना (एयरफोर्स) स्टेशन, येलहांका, कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
- यह अन्तर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करेगा।
- यह रक्षा मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

मानव रहित वायुयान (UAVs)

- यह **ऐसा विमान है जिस पर कोई पायलट नहीं** होता है।
- UAVs रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट हो सकते हैं (अर्थात् पायलट द्वारा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से विमान का मार्गनिर्देशन किया जाता है) या प्री-प्रोग्रैम्ड फ्लाइट प्लान या अपेक्षाकृत अधिक जटिल डायनामिक ऑटोमेशन सिस्टम्स के आधार पर उड़ सकते हैं।
- मानव रहित यान, भूमि और समुद्र में भी विद्यमान रह सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत भूमि, समुद्र और वायु के मानवरहित यानों के विकास में भारी निवेश कर रहा है।
- DRDO, नेशनल एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विभिन्न ड्रोन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
- DRDO, 2020 तक ड्रोन के लिए नीतिगत दस्तावेज बनाने की भी योजना बना रहा है।

आगामी परियोजनाएं

- रक्षा PSUs अब **मिनी-यूएवी (mini-UAVs)** विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनका निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इनकी युद्धक सुविधाओं में *स्टील्थ फैसिलिटी* भी शामिल होगी।
- DRDO की एक प्रयोगशाला, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (CVRDE) अपनी **Muntra परियोजना** के तहत विभिन्न **अन्मैन्ड ग्राउंड व्हीकल (UGV)** का विकास कर रही है।

✓ Muntra-N को परमाणु, जैविक और रासायनिक (NBC) प्राथमिक सर्वेक्षण (reconnaissance) के लिए तैयार किया गया है।

✓ Muntra-M को खनन अन्वेषण मिशनों के लिए तैयार किया गया है।

- नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापट्टनम, नौसेना युद्ध के लिए विभिन्न स्वचालित अन्तर्जलीय वाहनों का विकास कर रही है।

UAV नियमों का प्रारूप

- भारत में संचालित सभी UAVs हेतु DGCA द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) की आवश्यकता होगी।
- सभी सिविल UAVs को DGCA से ऑपरेटर परमिट प्राप्त करना होगा।
- UIN, भारतीय नागरिक या ऐसी कंपनी, जिसका अध्यक्ष और उसके कुल निदेशकों में से दो-तिहाई भारतीय नागरिक हों, को प्रदान की जायेगी।
- ऐसे UAVs को DGCA की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को बेचा या दिया नहीं जाएगा।
- यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के रिमोट पायलटों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ नियंत्रित वायुक्षेत्र के नियमों हेतु दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध करता है।
- ड्रोनों के आयात हेतु DGCA से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- अनियंत्रित वायुक्षेत्र में केवल 200 फीट AGL (above ground level) पर या उससे अधिक ऊँचाई पर मानवरहित एयरक्राफ्ट (UA) ऑपरेशन के लिए DGCA से परमिट की आवश्यकता होगी।
    - सिविल UAVs के अंतर्राष्ट्रीय संचालन और/या अंतर्राष्ट्रीय जलीय निकायों के ऊपर संचालन को कठोरता से प्रतिबंधित किया जाएगा।

वर्तमान में भारत में विभिन्न मानवरहित वायुयान

- **रुस्तमः** DRDO के अंतर्गत बेंगलुरू के **एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (ADE)** द्वारा इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं:

✓ यह एक मध्यम ऊंचाई दीर्घ स्थायित्व (24 घंटे) वाला UAV है।

✓ यह सशस्त्र बलों के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रीकानिसन्स (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance :ISR) भूमिकाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

✓ यह विभिन्न छोटे और लंबी दूरी के पेलोड्स साथ ले जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी प्राप्त कर सकता है।

- **निशांत**: इसे **ADE** द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं:

✓ यह **युद्धक्षेत्र निगरानी और प्राथमिक सर्वेक्षण**, लक्ष्य की ट्रैकिंग और आर्टिलरी फायर करेक्शन हेतु विकसित किया गया था।

VISION IAS

- ✓ इसे प्रक्षेपक द्वारा लांच किया जा सकता है और पैराशूट का प्रयोग कर पुन:प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार इससे **रनवे की आवश्यकता को समाप्त** किया जा सकता है।
- ✓ विभिन्न दुर्घटनाओं के बाद सेना ने भविष्य में इनको शामिल न करने का निर्णय किया है।

- **पंछी**: इसे ADE द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं:

- ✓ यह UAV **निशांत का पहियेदार संस्करण (wheeled version)** है। यह छोटी हवाई पट्टियों पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है।
- ✓ **निशांत की तुलना में यह हल्का UAV है** इसमें बेहतर स्टील्थ (stealth) विशेषताएं भी हैं।

- **लक्ष्य**: यह एक पुन: प्रयोज्य एरियल टारगेट सिस्टम है। इसकी विशेषताएं हैं

- ✓ सशस्त्र बलों के लिए बंदूक एवं मिसाइल चालक दल और एयर डिफेन्स पायलटों के प्रशिक्षण हेतु एरियल टारगेट प्रदान करने के लिए इसे भूमि से रिमोट द्वारा संचालित किया जा सकता है।

दक्ष: यह DRDO द्वारा विकसित बम के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक भूमि आधारित ड्रोन है।

महत्व

- इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा खतरों के मामले में सैनिकों को किसी भी नुकसान से बचाता है।
- इन्हें **जंगल या दलदल जैसे कठिन भूभाग, जहां पहुंचना मुश्किल हो, के प्राथमिक सर्वेक्षण** हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
- बम एवं बारूदी बम नियंत्रण जैसे एक ही तरह के एवं तकनीकी कार्यों के लिए भी ऐसे वाहनों की आवश्यकता होती है।
- *स्टेट* और *नॉन स्टेट एक्टर्स* में भय पैदा करने के लिए **UAVs दूरस्थ युद्ध करने में सक्षम** है।

चुनौतियां

- सैन्य और गैर-सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए UAVs का काफी उपयोग किया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि **निजता का उल्लंघन करने के लिए UAVs का दुरुपयोग** किया जा सकता है।
- हमारे ड्रोन की हैकिंग जैसी गतिविधियों से सुरक्षा के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना नहीं है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा हाल ही में UAV नियमों को जारी किया गया है। ये नियम प्रभावी तरीके से लागू किये जाने चाहिए।
- भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक है। यह अन्य देशों विशेष रूप से इज़राइल से UAVs भी आयात करता है। इसलिए **आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने हेतु UAV का स्वदेशी उत्पादन भी आवश्यक है**।

4.8 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(Modernization of Police Force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गृह मंत्रालय के बजट में 30% की वृद्धि के बावजूद, पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस के बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं।

पृष्ठभूमि

2000 में, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित हेतु **पुलिस बल का आधुनिकीकरण (MPF) स्कीम** शुरू की गई थी

- पुलिस का आधुनिकीकरण करने और **अर्धसैनिक बलों पर निर्भरता कम करने के लिए**।
- पुलिस को **नवीनतम उपकरणों** और बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए।
- पुलिस गतिशीलता, हथियार, उपकरण, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा, कम्प्यूटरीकरण और फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए।
- वित्त पोषण के लिए, राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है -

- ✓ श्रेणी A राज्य: पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू एवं कश्मीर- केंद्र और राज्यों द्वारा वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में।
- ✓ श्रेणी B राज्य: केंद्र और राज्य द्वारा वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में।

- **बजट 2017-18 -** हाल ही में पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए **बजटीय आवंटन में वृद्धि** (पिछले वर्ष की तुलना में) की गई।

पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित अन्य योजनाएं

- **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) स्कीम -**

- ✓ इसका लक्ष्य पुलिस स्टेशनों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस से जोड़कर अपराध और अपराधियों की जांच में सहायता के लिए सिविल पुलिस के जांच अधिकारियों को उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रदान करना है।
- ✓ इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन आदि जैसे अन्य कई क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है।
- ✓ यह अभी भी पूरा होने से काफी दूर है।

- पुलिस आधुनिकीकरण को **राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना (NeGP)** के अंतर्गत एक **एकीकृत मिशन मोड परियोजना (MMP)** के रूप में शामिल किया गया है।

- सात शहरों में मेगा सिटी पुलिसिंग (MCP) योजना का प्रारंभ किया गया है- इसके तहत मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण का महत्व

- पुलिस बल का आधुनिकीकरण दो व्यापक मुद्दों पर केंद्रित है -
  - ✓ भौतिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण - उदा. अधिक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण
  - ✓ पुलिस बल का आधुनिकीकरण - उदा. हथियारों और उपकरणों आदि में सुधार
- कानून और व्यवस्था में सुधार और पुलिस को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए, इस तरह के सुधार आवश्यक हैं।
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण 'स्मार्ट (SMART)' पुलिस को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, जैसाकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है।

चुनौतियां

- कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए केंद्र-राज्य सहयोग आवश्यक है।
- कुछ राज्यों में, जहां जिले दूर-दूर हैं, **कनेक्टिविटी और सर्वर संबंधी मुद्दे** एक बड़ी समस्या है।
- **कैग की रिपोर्ट में MPF स्कीम के कामकाज में निम्नलिखित चुनौतियों का पता चला है:**
  - ✓ राज्य पुलिस द्वारा उन्नयन के लिए **योजना बनाने में लगातार देरी** हुई।
  - ✓ **नए बुनियादी ढांचा जैसे वाहनों की खरीद में काफी देरी** हुई।
  - ✓ आधुनिकीकरण **श्रमशक्ति में पर्याप्त वृद्धि के बिना** हुआ। उदाहरण के लिए, कई जिला नियंत्रण कक्ष बिना किसी श्रमशक्ति के बनाए गए।
  - ✓ फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और फिंगरप्रिंट ब्यूरो जैसी मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है।
  - ✓ आधुनिक उपकरणों और प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त **पुलिस प्रशिक्षण** का अभाव है।

आगे की राह

- एक संसदीय समिति ने जल्द से जल्द पुलिस आधुनिकीकरण करने की सिफारिश की है। आंतरिक सुरक्षा खतरों के भौतिक के साथ ही डिजिटल डोमेन में भी विस्तारित होने से, राज्य और गैर-राज्य दोनों कर्ताओं से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण समय की मांग है।

स्मार्ट (SMART) पुलिस

2014 में, भारत के प्रधान मंत्री ने स्मार्ट पुलिस का संक्षिप्त नाम दिया जिसका अर्थ है:

- **S** - सख्त और संवेदनशील (Strict and Sensitive)
- **M** - आधुनिक और गतिशील (Modern and Mobile)
- **A** - सावधान और जवाबदेह (Alert and Accountable)
- **R** - विश्वसनीय और प्रतिक्रियाशील (Reliable and responsive)
- **T** - तकनीकी रूप से सक्षम और प्रशिक्षित (Tech savvy and Trained)

4.9 तटरेखा की सुरक्षा में वृद्धि

(Strengthening Security Along Coastline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- गृह मंत्रालय ने कहा है कि तटीय राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में समुद्री पुलिस बल के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक व्यापक तटीय सुरक्षा योजना (CSS) कार्यान्वित की जा रही है।

पृष्ठभूमि

- 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से तट के करीब उथले क्षेत्रों, की **गश्ती और निगरानी को मजबूत करने की और अधिक आवश्यकता महसूस की गई।**
- सर्वोच्च स्तर पर **समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के बारे में राष्ट्रीय समिति (NCSMCS)**, समुद्री और तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करती है।
- वर्तमान में, देश के तटीय राज्यों के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा है।
  - ✓ संबंधित तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के **पुलिस बलों** को तट से 12 समुद्री मील (नॉटिकल मील) तक का क्षेत्राधिकार है।
  - ✓ भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना का 200 समुद्री मील तक पूरे समुद्री क्षेत्र के ऊपर क्षेत्राधिकार है, जिसमें 12 समुद्री मील का क्षेत्रीय जल क्षेत्र भी शामिल है।

VISION IAS

CSS के बारे में

- CSS तटीय क्षेत्रों की गश्त और निगरानी को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- **गश्त:**

✓ इस योजना के तहत, तटीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 183 तटीय पुलिस स्टेशनों (CPSs) का संचालन करते हैं। ये CPSs तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में संचालित किए गए हैं।

✓ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में तटीय चेक पोस्ट की स्थापना की गई है।

✓ 280 चार पहिया और 546 दोपहिया वाहनों के साथ-साथ, सभी तटीय क्षेत्रों में 204 नौकाओं और जहाजों को तैनात किया गया है।

- **निगरानी:**

✓ पूरे तट को बिना किसी अन्तराल के कवर करने के लिए, 74 स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) रिसीवर्स की एक श्रृंखला और 46 ओवरलैपिंग तटवर्ती रडारों की एक श्रृंखला के रूप में आधुनिक तकनीकी उपायों को लागू किया गया है।

✓ **नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3I)** AIS और रडार श्रृंखला सहित कई तकनीकी स्रोतों से प्राप्त हमारे सभी समुद्री जहाजों, डाउ (dhows), मछली पकड़ने की नावों और हमारे तट के पास संचालित अन्य सभी जहाजों के बारे में आंकड़ों का मिलान करता है।

✓ इन इनपुट का गुड़गांव स्थित सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) में मिलान और विश्लेषण किया जाता है, जो तटीय सुरक्षा के लिए संकलित इस कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर (Common Operating Picture) को भारत के तटीय क्षेत्र में फैले नौसेना और तटरक्षक बल के सभी 51 केन्द्रों को भेजता है।

- तटीय सुरक्षा के लिए **कमांड और कंट्रोल हब** के रूप में भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में **संयुक्त संचालन केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
- अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए उत्तर भारत में नदी के खुले मैदानों की भी निगरानी कर रहे हैं।
- NCSMCS समुद्र से खतरे के संबंध में समय-समय पर सभी हितधारकों के साथ तटीय सुरक्षा की समीक्षा करता है।
- उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं:

✓ एकल केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ सभी मछुआरों को पहचान पत्र (ID कार्ड) जारी करना।

✓ जहाज की पहचान और ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे तट से दूर संचालित 2 लाख से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाजों का पंजीकरण और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को उपयुक्त उपकरणों से लैस करना।

4.10. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

(National Security Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने 2017-18 के बजट में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 333 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 33 करोड़ रुपये की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) क्या है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है।
- परिषद प्रधान मंत्री को सामरिक महत्व के मामलों और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों से संबंधित सुरक्षा के मुद्दों पर सलाह देने के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं।
- यह **सामरिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB)** और **संयुक्त खुफिया समिति के एक सचिवालय** से मिलकर बनी हैं।

NSAB: राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण करने और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए

सामरिक नीति समूह (Strategic policy Group): NSC को नीतिगत सिफारिश करने के लिए।

संयुक्त खुफिया समिति (Joint Intelligence Committee): देश में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इंटेलिजेंस डेटा का विश्लेषण करती है।

4.11. बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली

(Harbour Defense and Surveillance System)

- भारतीय नौसेना ने मुंबई के नौसैनिक बंदरगाह में **एकीकृत जलमग्न बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली (इंटीग्रेटेड अंडरवाटर हार्बर डिफेन्स एंड सर्विलांस सिस्टम: IUHDSS)** स्थापित किया है।

- इसे **ELTA** नामक **इज़राइली एयरोस्पेस इंडस्ट्री** द्वारा डिजाइन किया गया है, इसमें **तटीय निगरानी रडार, हाई पावर अंडरवाटर सेंसर** और **डायवर (गोताखोर//पनडुब्बी) डिटेक्शन सोनार** शामिल हैं।
- यह बंदरगाह की सुरक्षा हेतु सभी प्रकार के सतही और उप-सतही खतरों का **पता लगाने, पहचानने, ट्रैकिंग** और उनके संबंध में **चेतावनी जारी** करने में सक्षम है।
- यह एकीकृत प्रणाली (**कोच्चि** और **विशाखापत्तनम** में पहले से ही स्थापित) निगरानी और विश्लेषण के लिए व्यापक वास्तविक-समय (रियल-टाइम) चित्र प्रदान करके **मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड** की सुरक्षा को बढ़ाएगी।
- **सागर प्रहरी बल** का निर्माण, **फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट** को शामिल करना और **IUHDSS** की कमीशनिंग आदि 26/11 के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए गए नौसेना के कुछ उपाय हैं।

4.12. नेत्र

(NETRA)

- ब्राजील के एम्ब्रेअर -144 जेट पर स्थापित किए गए प्रथम स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम **(AEW&C)** जिसे **नेत्र** कहा गया है, को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।
- नेत्र को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है।
- **अमेरिका, रूस** और **इज़राइल** के बाद भारत ऐसा चौथा राष्ट्र है, जिसने इस तरह की तकनीक विकसित की है।
- वर्तमान में भारतीय वायु सेना **3 इजरायली फाल्कन अवाक्स** (AWACS: एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) का इस्तेमाल करती है जो रूसी IL -76 भारी लिफ्ट विमानों पर स्थापित हैं। इन फाल्कन AWACS की रेंज 400 किमी. और 360-डिग्री कवरेज है।
- नेत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं:
  - ✓ **200 किमी.** की रेंज (आने वाले विमानों और मिसाइलों से हवाई खतरों का पता लगाने की क्षमता)
  - ✓ **240 डिग्री** कवरेज (विमान के दोनों ओर के क्षेत्र को एक साथ स्कैन कर सकता है)
  - ✓ अत्यधिक उन्नत सक्रिय **इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार**
  - ✓ द्वितीयक निगरानी रडार
  - ✓ इलेक्ट्रॉनिक और संचार काउंटर (प्रत्युत्तर) उपाय
  - ✓ लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट से परे डेटा लिंक
  - ✓ वॉयस संचार प्रणाली और स्व-रक्षण सूट (Voice communication system and self-protection suit)

4.13 अश्विन इंटरसेप्टर मिसाइल

(Ashwin Interceptor Missile)

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने स्वदेशी सुपरसोनिक **एडवांस एयर डिफेन्स (AAD)** इंटरसेप्टर मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप (जिसे **व्हीलर द्वीप** के नाम से भी जाना जाता है) से सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- आने वाली किसी भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल को 15-30 किलोमीटर (अंतः-वायुमंडलीय (endo-atmospheric)) की कम ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम, **अश्विन मिसाइल** ने परीक्षण के दौरान 15 किमी की ऊंचाई पर आने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट किया।
- यह **7.5 मीटर लंबी, एकल चरणीय, ठोस ईंधन रॉकेट चालित** निर्देशित मिसाइल है जिसमें एक जड़त्वीय (Inertial) नेविगेशन प्रणाली, एक उन्नत कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्टिवेटर है।
- सफल परीक्षण भारत द्वारा विकसित की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स (BMD) प्रणाली की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है।
- यह भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और इज़राइल के अनन्य क्लब में रखता है जिनके पास पूर्ण विकसित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेन्स (BMD) सिस्टम के बारे में

- यह आने वाली बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों के खिलाफ एक प्रभावी मिसाइल कवच प्रदान करता है।
- भारत का BMD एक द्वि-स्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर (एन्डो) और वायुमंडल के बाहर (एक्सो) दुश्मन मिसाइलों को ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है।
- इसमें दो इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल हैं, अर्थात्:
  - ✓ **पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (PDV)** मिसाइल, बाह्य वायुमंडलीय रेंज (50 किमी. से अधिक ऊंचाई) के लिए।
  - ✓ **एडवांस एयर डिफेन्स (अश्विन)** मिसाइल, अंतःवायुमंडल रेंज (15-30 किलोमीटर की ऊंचाई) के लिए।
- DRDO को 2020 तक BMD प्रणाली विकसित करने की उम्मीद है।

VISION IAS

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. ग्रीष्म लहर कार्ययोजना की तैयारी पर कार्यशाला

(Workshop on Preparation of Heat Wave Action Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और तेलंगाना सरकार ने 2017 में आसन्न ग्रीष्म लहर के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीष्म लहर कार्ययोजना (Heat Wave Action Plan) की तैयारी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

ग्रीष्म लहर क्या है?

- ग्रीष्म लहर गर्मियों के महीनों में असाधारण उच्च तापमान (अधिकतम सामान्य तापमान से अधिक) की अवधि है।
- यह मुख्य रूप से मार्च-जून के दौरान भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में प्रभावी रहती है। कुछ भागों में, यह जुलाई तक विस्तारित होती है।
- **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने ग्रीष्म लहर के लिए निम्न मानदंडों को रेखांकित किया है:

✓ ग्रीष्म लहर तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि किसी विशेष स्थान का तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस (मैदानों के लिए) और 30 डिग्री सेल्सियस (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) न हो।

✓ जब किसी स्थान का अधिकतम सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है, तो सामान्य तापमान में 5 से 6 डिग्री की वृद्धि को ग्रीष्म लहर माना जाता है, जबकि 7 डिग्री की वृद्धि को गंभीर ग्रीष्म लहर माना जाता है।

✓ यदि किसी स्थान का सामान्य तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो बिना कोई विचार किए उसे ग्रीष्म लहर घोषित किया जाता है।

- ग्रीष्म लहर प्राय: जल की कमी, तनाव, गर्मी से थकान और कभी-कभी घातक हीट स्ट्रोक (heat stroke) का कारण बन जाती है।
- **NDMA ने 2016 में 'कार्ययोजना की तैयारी हेतु दिशानिर्देश-ग्रीष्म लहर की रोकथाम और प्रबंधन'** (Guidelines for Preparation of Action Plan – Prevention and Management of Heat Wave) जारी किए थे।
- बेहतर तैयारियों और अल्पीकरण मानकों को अपनाकर ग्रीष्म लहर के कारण होने वाले हताहतों की संख्या को समाप्त नहीं परन्तु कम तो किया ही जा सकता है।

5.2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-बफर ज़ोन

(Solid Waste Management-Buffer Zone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने भरावक्षेत्र अपशिष्ट निपटान के प्रभाव को कम करने / रोकने हेतु भराव क्षेत्र (landfills) के चारों ओर बफर ज़ोन को बनाए रखने के प्रस्ताव का ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किया है।
- प्रस्तावित दिशानिर्देश भविष्य के सभी प्रशोधन संयंत्रों (treatment plants) पर लागू होंगे, जबकि विद्यमान संयंत्रों को वृक्षारोपण और गंध मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे उपायों को सम्मिलित करना होगा।

बफर ज़ोन

- बफर जोन ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमे कोई निर्माण-कार्य नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को दो क्षेत्रों को (पर्यावरण संरक्षण के लिए) पृथक करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
- सर्वप्रथम, सरकार द्वारा **नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग नियम), 2000** [Municipal Solid Waste (Management and Handling Rules), 2000] में बफर ज़ोन शब्द निर्दिष्ट किया गया था।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2016 के तहत संशोधित नियमों में बफर ज़ोन से सम्बद्ध दिशानिर्देश जारी करना CPCB का कर्तव्य बना दिया गया है।
- SWM नियम, 2016 के अनुसार, "प्रति दिन पांच टन की स्थापित क्षमता में वृद्धि कर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण केंद्र के चारों ओर निर्माण/विकास रहित बफर ज़ोन को बनाए रखा जाएगा।"

वर्तमान स्थिति

- भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान प्रथाओं में **कम्पोस्टिंग, कृमि-कंपोस्टिंग, बायोगैस, कचरे से व्युत्पन्न ईंधन (refuse derived fuel -RDF), पेलेटाईजेशन (गोले बनाना) और अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के उपाय** जैसे कई विकल्प सम्मिलित हैं।
- भारत में अपशिष्ट भरावक्षेत्रों (लैंडफिल साइटों) में कचरे के निपटान को न्यूनतम वरीयता दी जाती है, परन्तु यह एक व्यापक विकल्प है। यह अपशिष्ट निस्तारण/प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करता है।

VISION IAS

- ये अपशिष्ट भरावक्षेत्र वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि कर आस-पास के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।
- देश में प्रत्येक वर्ष 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। इसमें से, 43 मिलियन टन का संग्रह किया जाता है और मात्र 12 मिलियन टन का शोधन किया जाता है।
- अब तक अपशिष्ट भरावक्षेत्रों के लिए एकमात्र दिशानिर्देश यह है कि वे रिहायशी क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए।

पक्ष

- प्रस्तावित बफर जोन एक अवरोध के रूप में कार्य करेगा तथा भंडारण एवं परिवहन के दौरान कचरे के दोषपूर्ण प्रबंधन के विरुद्ध सहायता प्रदान करेगा।
- यह ठोस अपशिष्ट भरावक्षेत्रों के नकारात्मक प्रभावों से आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने में सहायता करेगा।
- यह जिम्मेदार/जवाबदेह भूमि प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देगा।

विपक्ष

- CPCB ने अपने ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण करने वाले विद्युत संयंत्रों को आवासीय क्षेत्रों के **20-100 मीटर** के भीतर स्थापित करने की अनुमति दी है।
- यह दूरी **स्वच्छ भारत मिशन** के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल में निर्दिष्ट **300-500 मीटर** से अत्यंत कम है।
- पहले के विपरीत, ड्राफ्ट दिशानिर्देश अपशिष्ट निस्तारण के तरीकों में से एक "जलाए जाने" का उल्लेख करते हैं।

5.3. कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध के आदेश का प्रारूप

(Draft Order on Ban on Pesticides)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **अनुपम वर्मा कमेटी** की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है।

एंडोसल्फान (Endosulfan)

- एंडोसल्फान एक खतरनाक कीटनाशक है जोकि 80 देशों में प्रतिबंधित है।
- 1970 के दशक के बाद टी मॉस्कीटो (tea mosquito) से निपटने के लिए **कर्नाटक के काजू विकास निगम** एवं **केरल सरकार** ने काजू बागान पर इसका प्रयोग किया।
- इसे दोनों संबंधित राज्यों के निवासियों में विभिन्न मानसिक और शारीरिक विकृतियों के लिए जिम्मेदार पाया गया।
- **2011 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोसल्फान पर अखिल भारतीय प्रतिबंध लगा दिया।**

प्रतिबंध के बारे में और अधिक

- 1 जनवरी 2018 से 12 कीटनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होगा और शेष 6 कीटनाशकों को 31 दिसंबर, 2020 से प्रतिबंधित किया जाएगा।
- भारत सरकार ने अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से इस ड्राफ्ट आदेश पर आपत्ति और सुझाव मांगा है।
- **केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC)** भारत में कीटनाशकों के उपयोग को मंजूरी देती है।

अनुपम वर्मा समिति

- यह समिति जुलाई 2013 में उन 66 कीटनाशकों, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित या सीमित रूप से प्रयुक्त होते हैं, के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी, ।
- इस समिति ने, 2020 तक 6 कीटनाशकों को समाप्त करने और 27 अन्य कीटनाशकों की 2018 में समीक्षा करने के साथ 13 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
- समिति ने **एंडोसल्फान** के उपयोग की समीक्षा नहीं की, क्योंकि उस समय यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था।

प्रतिबंध का महत्व

- प्रतिबंध हेतु प्रस्तावित कीटनाशक न केवल मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि मृदा और जल में सम्मिलित होकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
- इसलिए, प्रतिबंध एक स्वागत योग्य कदम है।
- इससे उन देशों (जहां संबंधित कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है) में भारत की प्रतिष्ठा में सुधार होने की संभावना है जो भारत से खाद्य पदार्थ (निर्मित और कच्चे दोनों) आयात करते हैं।

5.4. केरल का चिकित्सकीय पौधा

(Medicinal Plant from Kerela)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान (जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट-JNTBGRI) के वैज्ञानिकों ने न्यूरोकेलिक्स कैलीसीनस (Neurocalyx calycinus) के कई चिकित्सीय गुणों की पुष्टि की है।

चोलनाइक्कन (Cholanaikkan) जनजाति

- यह केरल का विशिष्ट रूप से संवेदनशील (vulnerable) समूह है।
- ये **मलप्पुरम जिले के निलाम्बुर में करुलाई और चुंगथारा पर्वतों** के **पर्णपाती जंगलों** में रहते हैं
- यह भारत की एकमात्र **जीवित आखेटक संग्राहक जनजाति** है। ये कृषि कार्य में संलग्न नहीं हैं।
- यह एशिया का एकमात्र आदिवासी समुदाय है जो गुफा शैलाश्रयों (rock-cave shelters) में रहता है।

पौधे के बारे में

- इसका **उपयोग चोलनाइक्कन जनजाति द्वारा** सूजन/जलन और घावों का इलाज करने में किया जाता है।
- यह **पश्चिमी घाट और श्रीलंका का** स्थानिक पौधा है।
- स्थानीय भाषा में इसे 'पचा चेदी (pacha chedi)' के नाम से जाना जाता है।
- इसकी पत्तियों का **जलन-रोधी गुण** डाईक्लोफिनैक सोडियम जैसा ही होता है।
- पौधे में **उच्च विटामिन E** और इसकी कोशिकीय संरचना में साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी (cytoprotective activity) भी पाई जाती है, जोकि कैंसर-रोधी दवा के रूप में इसके प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ा देती है।

महत्व

- पूर्व नैदानिक परीक्षणों (प्री-क्लीनिकल ट्रायल) ने दर्दनाशक (analgesic), कैंसर-रोधी, एंटी-ऑक्सीडेंट, घाव और जलन को ठीक करने की क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र (immune system) के विकास आदि के रूप में कार्य करने में इस पौधे की प्रभावकारिता सिद्ध कर दी है।
- इसके हर्बल फार्मूलों का पेटेंट कराने से भारत के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
- इस पौधे के उपयोग के वाणिज्यिक लाभों से दुर्लभ चोलनाइक्कन जनजाति को भी फायदा हो सकता है।

5.5. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

(Kaziranga National Park)

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ वर्षों में कठोर संरक्षण प्रयासों के कारण **एक सींग वाले गैंडे की आबादी (वन हॉर्नड् राइनो)** (2015 में जनसंख्या - 2401) में लगातार वृद्धि हुई है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)

- **ब्रह्मपुत्र** नदी के किनारे स्थित यह भारत का सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण रिज़र्व है।
- 1950 में इसे **वन्यजीव अभयारण्य** घोषित किया गया था और बाद में 1974 में **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- यह **"बिग फाइव"** - एक सींग वाले गैंडे, बाघ, एशियाई जंगली भैंस, **पूर्वी स्वैम्प हिरण** और **हाथी** के निवास स्थान के रूप में लोकप्रिय है।
- यहाँ विश्व के समस्त एक सींग वाले गैंडों (विश्व भर की इनकी जनसंख्या का 68%) का दो-तिहाई भाग विद्यमान है।
- यह विश्व में जंगली बाघों के **उच्चतम घनत्वों** में से एक है और यह **पूर्वी स्वैम्प हिरण** की सम्पूर्ण आबादी का भी निवास स्थल है।
- **1985** में **UNESCO** द्वारा इसे अपने विशिष्ट प्राकृतिक पर्यावरण हेतु **विश्व विरासत स्थल** के रूप में तथा **2006** में **टाइगर रिजर्व** घोषित किया गया।

वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में कम से कम 3,000 ग्रेटर वन हॉर्नड् राइनो की वन्य आबादी प्राप्त करने के लिए **2014** में **इंडियन राइनो विजन 2020** (IRV 2020) लांच किया गया।

विभिन्न प्रकार के गैंडे

- **व्हाइट राइनो (स्क्वायर लिप्ड राइनो)**: यह गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति है तथा इसकी निम्नलिखित दो उप-प्रजातियाँ हैं:
  - ✓ **सदर्न व्हाइट राइनो**: IUCN में स्थिति- **नियर थ्रेटेन्ड** । यह मुख्यत: दक्षिण अफ्रीका में एवं केन्या, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अपेक्षाकृत कम स्थानांतरित आबादी में पाया जाता है।
  - ✓ **नॉर्दर्न व्हाइट राइनो**: IUCN में स्थिति- **क्रिटिकली इनडेंजर्ड** (वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 3 गैंडे जीवित हैं)।
- **ब्लैक राइनो (हुक लिप्ड राइनो /hook-lipped rhino)**: यह अफ्रीकी गैंडा प्रजातियों में से सबसे छोटी प्रजाति है तथा दक्षिणी एवं पूर्वी **अफ्रीका** में पाई जाती है। इसमें 4 उप प्रजातियां हैं:
  - ✓ **सदर्न सेंट्रल ब्लैक राइनो**: IUCN स्थिति - **क्रिटिकली इनडेंजर्ड**
  - ✓ **ईस्टर्न ब्लैक राइनो**: IUCN स्थिति- **क्रिटिकली इनडेंजर्ड**।
  - ✓ **साउथ वेस्टर्न ब्लैक राइनो**: IUCN स्थिति - **वल्नरेबल**
  - ✓ **वेस्टर्न ब्लैक राइनो**: **2011 में विलुप्त (Extinct)**

- **जावा राइनो (लेसर वन हॉर्नड् राइनो)**: ये पृथ्वी पर जीवित बचे सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। ये केवल उजुंग कुलोन नेशनल पार्क, पश्चिमी जावा, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। IUCN में स्थिति- **क्रिटिकली इनडेंजर्ड**
- **सुमात्रन राइनो (एशियन टू-हॉर्नड् राइनो या हेयरी राइनो)**: गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति। ये पूर्वोत्तर भारत सहित एशिया के दक्षिण-पूर्व भाग में पाए जाते हैं। IUCN में स्थिति-**क्रिटिकली इनडेंजर्ड**
- **इंडियन राइनो (ग्रेटर वन-हॉर्नड् राइनो)**: ये गैंडे की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति हैं। ये भारत और नेपाल में और विशेष रूप से हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। IUCN में स्थिति- **वल्नरेबल**

UPSC: प्रारंभिक परीक्षा 2013

प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये :

	राष्ट्रीय पार्क		**राष्ट्रीय पार्क के मध्य से बहने वाली नदी**
1.	कॉर्बेट	:	गंगा
2.	काजीरंगा	:	मानस
3.	साइलेंट वैली	:	कावेरी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 3 केवल (c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5.6 इरावदी डॉल्फ़िन

(Irrawady Dolphins)

- **ओडिशा राज्य वन विभाग** की 2017 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार **भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान** और **गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य** के जल निकायों में 55 इरावदी डॉल्फिन मौजूद हैं।
- हाल के वर्षों में **चिल्का झील** इन डॉल्फ़िनों के प्राथमिक आवास के रूप में उभरी है, इस वर्ष इनकी संख्या रिकॉर्ड 121 थी।
- इरावदी डॉल्फिन की सम्पूर्ण विश्व में **7500** से भी कम जनसंख्या होने का अनुमान है, **बांग्लादेश** में इनकी संख्या 6000 है।
- इरावदी डॉल्फ़िन के अतिरिक्त अन्य डॉल्फ़िन प्रजातियां जिनकी सूचना मिली है वे हैं-**हंपबैक, बोटलनोज और पैनट्रोपिकल स्पॉटेड डॉल्फ़िन प्रजातियां**।

इरावदी डॉल्फ़िन के विषय में (यह सामान्यतः स्नूबफ़िन डॉल्फ़िन के रूप में भी जाना जाता है)

- ये भारत में, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिणी भाग तक सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में नदियों, झीलों और समुद्रों में पाई जा सकती हैं।
- **प्रमुख खतरे**: गिलनेट्स और अन्य फिशरीज गियर (मछली पकड़ने के साज़ -सामान) में आकस्मिक मर्त्यता; बांधों, निर्वनीकरण, खनन (उदाहरण: रेत, बजरी खनन, आदि) के कारण आवास क्षति; प्रदर्शनात्मक प्रयोजनों के लिए उन्हें जीवित पकड़ना, कृषि रसायनों से प्रदूषण आदि।
- इनडेंजर्ड प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में स्थिति : **वल्नरेबल स्पीशीज**

UPSC: प्रारंभिक परीक्षा 2014

प्रश्न: गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं?

1. नदियों पर बांधों और बैराज का निर्माण।
2. नदियों में मगरमच्छ की संख्या में वृद्धि
3. मछली पकड़ने के जाल में डॉल्फिनों का गलती से फंस जाना ।
4. नदियों के आसपास के खेतों में कृत्रिम उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का प्रयोग।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

VISION IAS

5.7 नया महाद्वीप : ज़ीलैंडिया

(New continent: Zealandia)

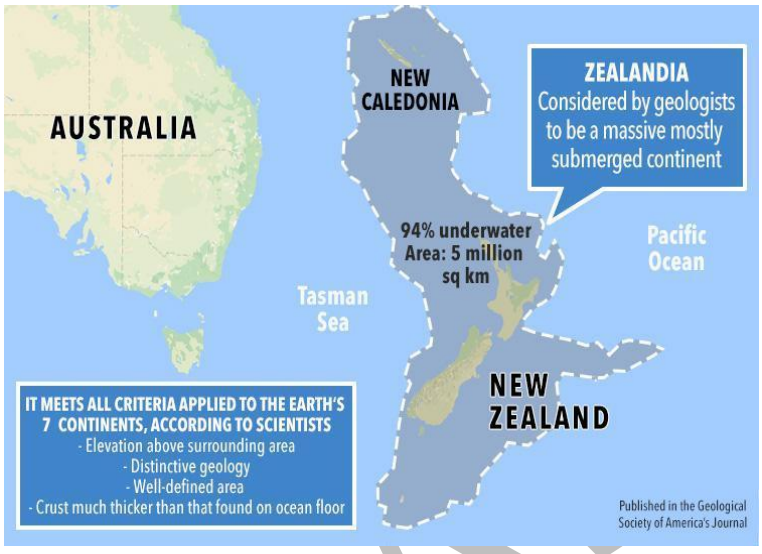

- जियोलाजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया, महाद्वीपीय क्रस्ट के 4.9 मिलियन वर्ग किमी एकल खंड का हिस्सा हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पृथक है।
- अपग्रेडेड सैटेलाइट बेस्ड एलिवेशन (upgraded satellite-based elevation) और ग्रैविटी मैप टेक्नोलॉजी (gravity map technology) का उपयोग करते हुए अध्ययन में पाया गया कि यह क्षेत्र 94 प्रतिशत जलमग्न है, जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप के टूटने से पहले क्रस्ट के पतले हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ था।
- अध्ययन में कहा गया है कि पूर्व मान्यता प्राप्त सिद्धांत, कि यह महाद्वीपीय द्वीपों और टुकड़ों का संग्रह था, के स्थान पर ज़िलैंडिया को एक भूवैज्ञानिक महाद्वीप माना जाना चाहिए।
- वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं जो आकार के अवरोही क्रम में इस प्रकार हैं: एशिया> अफ्रीका> उत्तरी अमेरिका> दक्षिण अमेरिका> अंटार्कटिका> यूरोप> ऑस्ट्रेलिया।

महाद्वीपों के लिए मानदंड
- आस-पास के क्षेत्र से उठाव
- विशिष्ट भूगर्भशास्त्र
- सुपरिभाषित क्षेत्र
- महासागरीय तल की अपेक्षा अधिक मोटी क्रस्ट

ज़ीलैंडिया के विषय में
- ज़ीलैंडिया आकार में ऑस्ट्रेलिया के आधे भाग के बराबर है, लेकिन इसका केवल 7 प्रतिशत भाग समुद्र स्तर से ऊपर है। अधिकांश स्थलीय भूमि न्यूजीलैंड के दो बड़े द्वीपों, नार्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड द्वीप का निर्माण करती है।
- ज़िलैंडिया, विवर्तनिक रूप से एक अत्यंत ही सक्रिय क्षेत्र है। इसका एक हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर है, जबकि दूसरा हिस्सा प्रशांत प्लेट पर स्थित है।
- साउथ आइलैंड के ठीक दक्षिण में स्टुअर्ट द्वीप और कई छोटे द्वीपीय क्षेत्र भी ज़िलैंडिया का भाग हैं।
- फ्रांस द्वारा शासित द्वीपों का एक समूह- न्यू कैलेडोनिया, ज़िलैंडिया के उत्तरी सिरे का निर्माण करता है।
- ज़िलैंडिया के जलमग्न भाग खनिज निक्षेपों से समृद्ध हैं।
- ज़िलैंडिया के जलमग्न जीवाश्म उस समयावधि के दौरान जीवन के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं।

5.8 फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफ़ॉर्म (FLRP)

(Food Legumes Research Platform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 15 फरवरी, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज (ICARDA) और इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के सहयोग से मध्य प्रदेश (अमलाहा, सिहोर) में फूड लैग्यूम्स रिसर्च प्लैटफ़ॉर्म (FLRP) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज (ICARDA)
- ICARDA 1977 में स्थापित कृषि अनुसंधान हेतु एक गैर-लाभकारी विकास संस्थान है।
- संगठन का उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व के शुष्क क्षेत्रों में संसाधन-विहीनों की आजीविका में सुधार करना है।

विशेष बिंदु
- कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान विभाग, FLRP की स्थापना एवं अनुबंध में सभी तकनीकी संशोधन हेतु ICAR और ICARDA के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

VISION IAS

- FLRP को पश्चिम बंगाल (दालों के लिए) और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), राजस्थान (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए) में सेटेलाइट हब प्रदान किए जाएंगे।
- मंत्रिमंडल ने FLRP की स्थापना के लिए ICARDA को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की।

दलहन (लेग्युम फसल/क्रॉप) के चार आयामी लाभ:

- **गरीबी कम करना**

✓ दलहन अन्य अनाज उत्पादों की तुलना में 2-3 गुना अधिक बाजार मूल्य प्रदान करते हैं।

✓ ये स्थानीय रूप से सामूहिक प्रयास, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं।

✓ फसल अवशेष मवेशियों को उच्च प्रोटीन युक्त चारा प्रदान करते हैं जिससे इसकी बढ़ती लागत में कटौती होती है।

- **खाद्य सुरक्षा**

✓ दलहन प्रोटीन का वहनीय स्रोत प्रदान करते हैं।

✓ कम कृषि-भूमि का उपयोग कर अधिक भोजन का उत्पादन करते हैं।

✓ सूखा सहन करने की क्षमता के कारण इन फसलों की कृषि में न्यून जोखिम रहता है।

✓ दलहन का प्राय: चक्रीय क्रम में उत्पादन किया जाता है। क्योंकि ये मृदा की पोषक आवश्यकताओं (नाइट्रोजन) की पूर्ति करते हैं।

- **पोषक तत्वों और स्वास्थ्य में सुधार**

✓ इनमें अनाजों की तुलना में 3-4 गुना अधिक प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं।

✓ यह कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन A जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं।

✓ ऐसी महिलाओं और बच्चों के लिए लाभकारी होता है, जिन्हें एनीमिया का खतरा है।

- **पर्यावरण के लिए संवहनीय**

✓ दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव आघात एवं लागत में कमी होती है।

✓ दलहनी फसलों का पत्तीदार आवरण मृदा अपरदन को रोकता है।

लैग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों है?

- खाद्य सुरक्षा सरकार के समक्ष एक विशाल जिम्मेदारी है। दलहन फसलों का अनुसंधान/रिसर्च इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- वैश्विक जलवायु पैटर्न परिवर्तित हो रहा है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार, फ़ूड लैग्यूम्स सम्बंधित अनुसंधान वर्तमान समय की मांग है।
- भारत में विश्व की 25% दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार, जीनोमिक्स तकनीकों का प्रयोग कर दलहनों की अधिक किस्मों और पौष्टिक दलहनों के उत्पादन को गति देने हेतु भारत को एक अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए यह प्लेट्फॉर्म आवश्यक है।
- यह प्लेट्फॉर्म गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा में सुधार, पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार तथा प्राकृतिक संसाधन आधार को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रिसर्च प्लेटफॉर्म के महत्व

- यह प्लेटफॉर्म "रिसर्च फॉर डेवलपमेंट (R4D)" फ्रेमवर्क तथा किसानों पर इसके प्रभाव के तहत कार्य करेगा।
- रेंजलैंड (rangeland) और चारागाह उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान किया जाएगा।
- ICARDA की शुष्क भूमि क्षेत्र में अनुसंधान की विशेषज्ञता है, इसका मध्य प्रदेश और राजस्थान के जल की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा।
- यह रिसर्च प्लेटफार्म, शुष्क क्षेत्रों में फसल-पशुधन प्रणाली, वैकल्पिक पशु-चारा संसाधनों और जल उत्पादकता पर कार्य करेगा।

5.9. भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी

(India's Only Active Volcano)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बैरन द्वीप सुमात्रा से म्यांमार तक विस्तृत ज्वालामुखी श्रृंखला पर **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी** है। इसके अतिरिक्त, यह भारत का भी **एकमात्र** सक्रिय ज्वालामुखी है।
- 23 जनवरी, 2017 को इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। 1787 में महत्वपूर्ण पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट को प्रथमत: रिकॉर्ड किया गया था। 1991 के बाद से इस ज्वालामुखी में छिटपुट गतिविधि होती रही है तथा 2005 में इसमें विस्फोट हुआ था।

भारत में अन्य ज्वालामुखी

- धोसी पहाड़ी, महेंद्रगढ़ (हरियाणा) की अरावली श्रृंखला के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है।
- धिनोधर हिल, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है।

VISION IAS

- अंडमान एवं निकोबार का नारकोंडम द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है तथा भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसे सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस द्वीप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के तहत सूचीबद्ध किया गया है तथा यह स्थान यहाँ के **स्थानिक जीव नारकोंडम हॉर्नबिल** के लिए प्रसिद्ध है।
- अंडमान का बारातांग द्वीप **मड ज्वालामुखियों** के लिए प्रसिद्ध है।

बैरन ज्वालामुखी द्वीप

- यह द्वीप, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के उत्तर-पूर्वी भाग में अंडमान सागर में स्थित है।
- यह एक अन्तर्जलीय उदगार ज्वालामुखी है, जो भारतीय एवं बर्मी प्लेट के सबडकशन जोन (subduction zone) पर स्थित है।
- यह निर्जन द्वीप है तथा किसी भी प्रकार की वनस्पति एवं वन्य जीव विहीन क्षेत्र है।

5.10 इंडिया एंड स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2017

(India and State Global Air Report 2017)

पृष्ठभूमि

- यह 1990 से 2015 तक के नवीनतम वैश्विक डेटा का प्रयोग कर, वायु की गुणवत्ता पर जारी प्रथम रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान; 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (US आधारित गैर-लाभकारी निगम) और द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान- यूनिवर्सिटी ऑफ़ वाशिंगटन) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।
- यह रिपोर्ट 'एयर पॉल्यूशन लेवल एंड ट्रेंड', 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज' और 'हेल्थ बर्डन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन' जैसे विभिन्न शीर्षकों के तहत जानकारी प्रदान करती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में विश्व की लगभग 90% जनसंख्या हानिकारक वायु क्षेत्रों में निवास करती थी।
- विशेष रूप से विकासशील देशों में, निम्न स्तरीय ओज़ोन की सघनता में 7% की वृद्धि हुई है।
- कोयले के दहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर वायु की गुणवत्ता पर दिखने वाले परिणाम शीघ्र परिलक्षित नहीं होंगे।
- मृत्यु के लिए पांचवां सबसे जोखिम कारक PM2.5 (पार्टिकुलेट मैटर) के एक्सपोजर को (सबसे अधिक या उच्चतम) माना जाता है, जो विश्व भर में लगभग 4.2 मिलियन लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है।
- 2015 में दहन स्रोत से संबंधित PM2.5 की उच्चतम सांद्रता दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और मध्य एवं पश्चिमी उप-सहारा अफ्रीका में विद्यमान थी।

इंडिया एंड स्टेट ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2017

- रिपोर्ट विशेष रूप से यह प्रदर्शित करती है कि 1990 के बाद से PM 2.5 के सूक्ष्म कणों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ये सूक्ष्म कण श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
- भारत में आउटडोर वायु प्रदूषण से मृत्यु दर में वृद्धि हुई है जो सर्वाधिक प्रदूषित देश चीन से भी अधिक है।
- 2015 में वायु प्रदूषण से चीन और भारत, दोनों देशों में 1.1 मिलियन समय पूर्व मृत्युओं के साथ भारत अब विश्व में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य समस्याओं में अग्रणी होने के लिए चीन से प्रतिस्पर्धा में है।
- रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत में प्रदूषण में वृद्धि के लिए अंतर्निहित कारणों में देश की आर्थिक संवृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो उद्योगों और ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कोयले की खपत से सम्बद्ध है।
- रिपोर्ट एक नए प्रदूषक 'ओजोन' के बारे में संज्ञान लेती है। यद्यपि भारत में ओजोन से होने वाली हताहतों की संख्या PM 2.5 से अत्यंत कम है। तथापि, ओजोन से संबंधित मृत्यु में वृद्धि की दर संकट की ओर इंगित करती है।
- वर्तमान में प्रयुक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की तुलना में यह रिपोर्ट अपेक्षाकृत अधिक व्यापक पॉल्यूशन मोनिटरिंग रोड मैप उपलब्ध कराने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

5.11. चेन्नई तेल रिसाव

(Chennai Oil Spill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चेन्नई के पास एन्नोर में कामराजार बंदरगाह पर दो जहाजों के बीच टक्कर से बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में फैल गया।

तेल रिसाव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट

- अन्य समुद्री जानवरों के साथ ही मछलियों, कछुओं और केकड़ों की क्षति।
- समुद्र में जाना सुरक्षित नहीं होने के कारण मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
- उपभोक्ताओं में समुद्री भोजन क्रय की अनिच्छा मछुआरों की समस्या में वृद्धि कर रहा है।

- तटीय क्षेत्रों को पर्यावरणीय क्षति।
- तेल के साथ निर्मुक्त भारी धातुएं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर समुद्री जीवन को विषाक्त बना देंगी।

तेल रिसाव को रोकना कठिन क्यों होता है?

- जब तेल समुद्री जल में पहुँचता है, तो इसकी सतह तेजी से हवा द्वारा फैला दी जाती है, जबकि समद्री धाराएं जल के संपर्क में निचली परतों में तेल को फैलाती हैं।
- यह **दोहरी क्रिया** एक विस्तृत और लगातार प्रसरणशील (ever-expanding) तेल की परत बनाती है जिसे **"स्लिक"** कहा जाता है।
- तट पर, तेल रेत और मलबे के साथ मिलकर एक मोटा चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जिसका धीरे-धीरे एक विषैले भूरे रंग के पदार्थ के रूप में ऑक्सीकृत हो होता है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा **"चॉकलेट मूस"** (**chocolate mousse**) कहा जाता है।

तेल रिसाव के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय

A HISTORY OF OIL SPILLS IN INDIA

- **August 2010: Merchant ships MSC Chitra and MV Khalija 3 collided off Mumbai's coast, spilling more than 800 tonnes of oil. All fishing activities were suspended for 15 days near the area after the catastrophic spill.**
- **January 2011: ONGC's Mumbai-Uran Trunk pipeline burst 80 km away off Mumbai's coast. The spill had reportedly spread to around 4 square km from the site of the leak.**
- **October 2013: Another oil spill was reported from the Mumbai-Uran Trunk after a rupture in the pipeline. ONGC said a few days later the leak was fixed.**
- **August 2013: Officials had reported an oil spill in the coastal areas of Gulf of Khambhat in Gujarat. The leak was from an ONGC pipeline near Bhadbhut village of the district.**

बायोरिमेडीऐशन तकनीक (Bioremediation techniques):

ऑयलजैपर

- यह अनिवार्य रूप से पांच भिन्न बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का एक मिश्रण है जो एक वाहक सामग्री (पाउडर ऑर्नकोब) के साथ स्थिर और मिश्रित होता है।
- ये कच्चे तेल और तैलीय गाद में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को खा लेते हैं और उन्हें हानिरहित CO_2 और जल में परिवर्तित कर देते हैं।

ऑयलिवोरस-S

- ये एक टैड है जो ऑयलजैपर से भिन्न है। इसमें एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो पहले को उच्च-सल्फर अवयव युक्त गाद और कच्चे तेल के विरुद्ध अधिक प्रभावी बनाता है।
- ऑयलज़ैपर और ऑयलिवोरस -S दोनों स्व-स्थाने प्रयोग किए जा सकते हैं, जो प्रभावित स्थान से बड़ी मात्रा में दूषित कचरे को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, इस प्रक्रिया में पर्यावरण पर और अधिक संकट उत्पन्न होने का खतरा होता है।

- **राष्ट्रीय तेल रिसाव-आपदा आकस्मिकता योजना (NOS-DCP),** जिसे 1996 में स्वीकृत किया गया था, इसको नियमित रूप से अद्यतन और संशोधित किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामक मानकों में नवीनतम को प्रदर्शित किया जा सके। लेकिन, यह जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफल रहा है।
- तट रक्षक बल द्वारा राज्यों से पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से, ऐसी आपदाओं से निपटने हेतु एक स्थानीय योजना प्रतिपादित करने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद एक भी **राज्य आकस्मिक योजना तैयार नहीं** की गई है।
- **इंटर्नेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल** लाइअबिलिटी फॉर आयल पोल्युशन, **1969,** भारत जिसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, तेल टैंकरों से हुई क्षति के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करता है और जहाज मालिकों के लिए कठोर जवाबदेयता सिद्धांत लागू करता है।
- परन्तु, पर्यावरणीय क्षति के लिए **घरेलू दायित्व व्यवस्था** (**domestic liability regime**) कमजोर और अविकसित है।

✓ **पर्यावरणीय क्षति की स्पष्ट परिभाषा का अभाव** है। यूरोप में कई अधिकार-क्षेत्र पर्यावरणीय क्षति में पारिस्थितिक और आर्थिक हानि को शामिल करते हैं, जबकि अधिकांश अन्य केवल आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति करने तक सीमित हैं।

✓ पारिस्थितिकीय क्षति का इस प्रकार का अपवर्जन समुद्री पर्यावरण, जैव-विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए दीर्घकालीन क्षति उत्पन्न करता है जो **अपूर्णीय** है।

आगे की राह

- पर्यावरणीय हानियों के लिए दोष और गैर-दोष आधारित उत्तरदायित्व के मुद्दों और इसके लिए नागरिक जुर्माना आरम्भ करने हेतु एक **व्यापक विधिक तंत्र** की आवश्यकता है।
- किसी भी व्यक्ति के तरफ से की जाने वाली **लापरवाही हेतु जिम्मेदारी** तय की जानी चाहिए।
- **गलतियों या चूक से सीखने और उन्हें सुधारने हेतु** एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

VISION IAS

5.12. विश्व की पहली ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली

(World's First Transit Rating System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

DMRC ने US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक (GBCI) के साथ मिलकर ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम हेतु विश्व की पहली लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाईन (LEED) की घोषणा की है।

LEED के बारे में

- यह USGBC द्वारा संचालित एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण है, जो ग्रीन बिल्डिंग के व्यावहारिक समाधानों की पहचान और कार्यान्वयन हेतु बिल्डिंग मालिकों और ऑपरेटरों को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- यह पर्यावरणीय एवं मानव स्वास्थ्य के **पांच मुख्य क्षेत्रों** में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करता है, जो: **ऊर्जा दक्षता, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, मेटेरिअल सेलेक्शन, सस्टेनेबल साईट डेवलपमेंट और वाटर सेविंग हैं।**

LEED ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम

- DMRC से प्राप्त इनपुट के साथ विकसित, नई **LEED ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम** पांच श्रेणियों - ऊर्जा, जल, अपशिष्ट, परिवहन, और मानवीय अनुभव के आधार पर मेट्रो स्टेशनों के कार्य का मूल्यांकन करेगी।
- यह परिचालित ट्रांजिट सुविधाओं (operational transit facilities) को बेंचमार्क दक्षताओं की अनुमति देगा और लगातार सुधार प्रदर्शित करेगा।
- DMRC अपने स्टेशन हेतु पायलट ट्रांजिट रेटिंग का अनुसरण करने वाला विश्व का पहला मेट्रो नेटवर्क होगा।
- ट्रांजिट रेटिंग प्रणाली से सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी एवं यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा।

5.13. विश्व आर्द्रभूमि दिवस

(World Wetlands Day)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष **भोज आर्द्रभूमि** पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया।
- 2017 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम **'वेटलेंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'** था।

भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत निर्दिष्ट 26 स्थलों में से एक है।

आर्द्रभूमियों के बारे में

- आर्द्रभूमियां भूमि के ऐसे क्षेत्र हैं, जहां **वर्ष के अधिकांश समय जलस्तर धरातल की सतह के समीप या इसके ऊपर** रहता है।
- आर्द्रभूमियों के कई प्रकार होते हैं जैसे मार्श, दलदल, लैगून, बॉग्स, फेंस एवं मैन्ग्रोव।

आर्द्रभूमियों का महत्व: आर्द्रभूमि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का सहारा प्रदान करती है तथा वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं:

- ये जलापूर्ति को बनाए रखने, प्रदूषित जल की सफाई, तटरेखाओं की रक्षा और भूजल ऐक्वफर (groundwater aquifers) के पुनर्भरण और भोजन, लकड़ी, पेयजल, औषधि प्रदान करने में मदद करती हैं।
- ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक हैं, तटीय क्षरण को रोकने और चक्रवातों और ज्वार की लहरों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं।
- आर्द्रभूमियां एक जल स्पंज के रूप में कार्य कर सकती हैं, अत्यधिक वर्षा के समय जल का भंडारण कर सकती हैं और खराब मौसम में क्रमशः जल स्रावित कर सकती हैं।
- आर्द्रभूमियों की व्यापक खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता इन्हें **'जैविक सुपरमार्केट'** बनाती है।

भारत में आर्द्रभूमियां और उनका संरक्षण

एशियन वेटलैंड्स (1989) की निर्देशिका के अनुसार, भारत के क्षेत्रफल में 18.4% भाग आर्द्रभूमियों का है।

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

1971 में, रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित आद्रभूमियों पर कन्वेंशन, **एक अंतरसरकारी संधि है जोकि आद्रभूमियों और उनके स्रोतों के संरक्षण एवं उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यकलाप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को एक ढांचा प्रदान करता है।**

कन्वेंशन के पक्षकार देशों के लिए बाध्यताएं:

- अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमियों की सूची में सम्मिलत करने हेतु आद्रभूमियों को नामित करें।
- जहां तक संभव हो, अपने क्षेत्र में आद्रभूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करें।

- विशेष रूप से सीमापारीय आर्द्रभूमियों, साझा जल तंत्रों (shared water system) और साझा प्रजातियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- आर्द्रभूमि रिज़र्व का निर्माण करना।

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP)

1985-86 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है, जिनके तत्काल संरक्षण और प्रबंधन पहलों की आवश्यकता है।

योजना का लक्ष्य: देश में आद्र्भूमियों के संरक्षण और समझदारी पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन ताकि आद्र्भूमियों के और अधिक निम्नीकरण की रोकथाम की जा सके।

योजना का उद्देश्य: -

- देश में आद्र्भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- प्राथमिकता प्राप्त आद्र्भूमियों के लिए गहन संरक्षण उपाय लागू करना;
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;
- भारतीय आद्र्भूमियों की एक सूची तैयार करना।

आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सुझाए गए अन्य उपाय

- आद्र्भूमि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन **जिला स्तरीय आपदा योजना प्रक्रियाओं** का एक भाग होना चाहिए।
- आद्र्भूमि प्रबंधन, संरक्षण और नवीनीकरण योजनाओं में पर्यावरणीय स्थिति पर आपदाओं के संभावित प्रभावों का समाधान करने हेतु **आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक अंतर्निहित घटक** होना चाहिए।
- राज्यों को आद्र्भूमियों के लिए एकीकृत नीति, नियोजन और नियमन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में आद्र्भूमि प्राधिकरण का गठन करना चाहिए।
- राज्य आद्र्भूमि प्राधिकरण में **आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- समाज के सभी क्षेत्र के हितधारकों विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को आद्र्भूमियों के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने हेतु **जन जागरूकता अभियानों** का आयोजन किया जाना चाहिए।

5.14. रिप ज्वार

(Rip Tides)

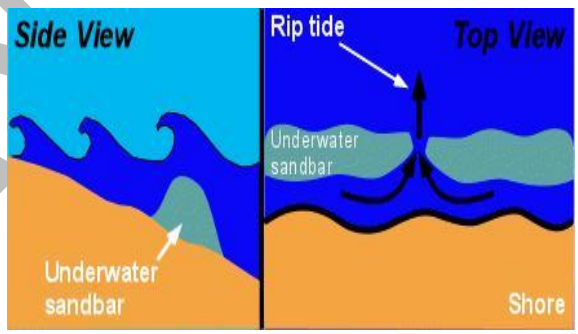

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ISRO ने गोवा सरकार द्वारा नियुक्त निजी लाइफगार्ड एजेंसी के सहयोग से गोवा के समुद्र तटों के किनारे रिप ज्वार पर एक अध्ययन (Ripex 2017) का आयोजन किया है।

रिप ज्वार क्या हैं?

- रिप ज्वार [ईब जेट (ebb jet) या टाइडल जेट (tidal jet) के रूप में भी जाना जाता है] तटों के लम्बवत चलने वाली शक्तिशाली धाराएं हैं।
- ये जल को वापस समुद्र की ओर ले जाते हैं।
- रिप ज्वार पद एक मिथ्या नाम है, क्योंकि ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण घटित होता है जबकि रिप धाराएं समुद्र तट की आकृति या सैंडबार के निर्माण के कारण बनती हैं।
- इन धाराओं का विस्तार 200 से 2,500 फीट लंबा और 30 फीट तक चौड़ा हो सकता है।
- रिप ज्वार खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे अनभिज्ञ तैराकों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उन्हें गहरे समुद्र में खींच ले जाते हैं।

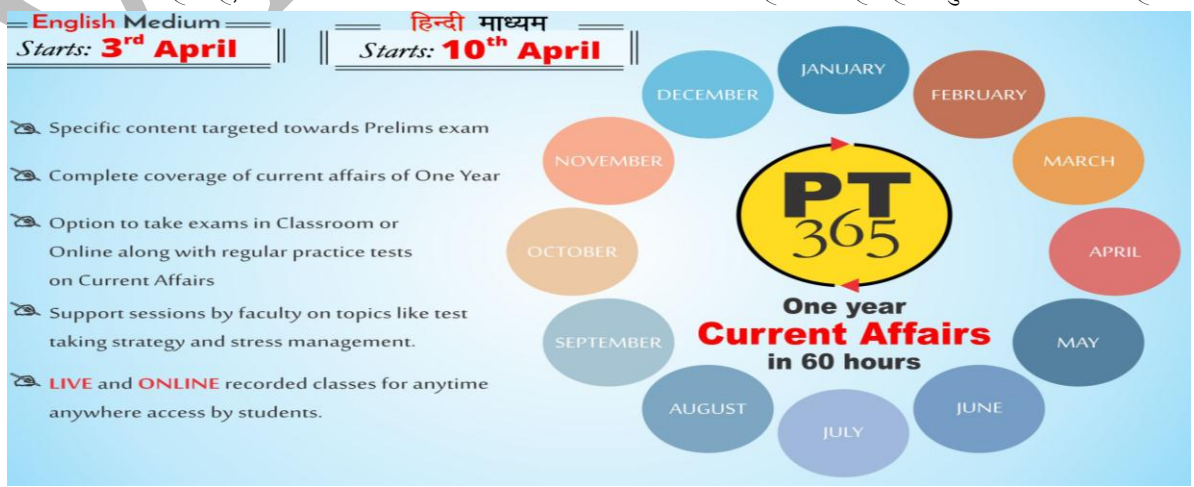

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. LIDAR तकनीक

(Lidar Technology)

- हाल ही में Google ने Uber पर अपने स्वयं के ऑटोनोमस व्हीकल के विकास में उसके LIDAR डिजाइनों को चोरी करने का आरोप लगाया है।
- ऑटोनोमस व्हीकल परिवेश में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने हेतु अवरोध की पहचान और उससे बचाव के लिए LIDAR का उपयोग करते हैं।
- Google और Uber जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली LIDAR तकनीक की अत्यधिक मांग है।

लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LIDAR)

यह क्या है?

- यह एक रिमोट सेंसिंग (दूरस्थ संवेदन) पद्धति है जो आसपास के परिदृश्य की एक 3-D छवि बनाने के लिए एक स्पंदित (pulsed) लेजर के रूप में रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है। लेजर की संकीर्ण किरण, उच्च रिज़ोल्यूशन के साथ वस्तुओं का नक्शा तैयार करने को संभव बनाती है।
- यह लेजर पल्स/स्पंद के निर्गमन और परावर्तित पल्स/स्पंद को प्राप्त करने के बीच के समय का मापन करके सेंसर से वस्तु के बीच दूरी का मापन और विश्लेषण करता है।
- स्थलीय मानचित्रण के लिए LIDAR निकट अवरक्त तरंगदैर्ध्य (near infrared wavelengt) (900-1064 नैनोमीटर) के लेजर का उपयोग करता है और समुद्री तल मैपिंग जैसे जल प्रवेश कार्य हेतु यह हरे रंग के प्रकाश (532 नैनोमीटर) का उपयोग करता है।
- एक सामान्य LIDAR उपकरण मुख्य रूप से एक लेजर, एक स्कैनर और एक विशेष जीपीएस रिसीवर से मिल कर बना होता हैं।
- LIDAR डेटा एकत्र करने के तीन तरीके हैं - हवाई (airborne), उपग्रहीय (satellite) और जमीनी (ground)। हवाई LIDAR डेटा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध LIDAR डेटा है।

LIDAR की उपयोगितायें

LIDAR डेटा के कई अनुप्रयोग हैं। जैसे:

- **शहरी नियोजन:** कम समय में लार्ज एरिया मॉडल बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग डिजिटल एलिवेशन मॉडल और आसपास के भवनों के सरफेस मॉडल बनाने के लिए भी किया जाता है।
- **तटीय प्रबंधन:** तटीय कटाव का पता लगाना, सटीक तटरेखा मानचित्रों का निर्माण करना।
- **पुरातत्व:** सूक्ष्म स्थलाकृति प्रकट करने के लिए उच्च रिज़ोल्यूशन के डिजिटल एलिवेशन मॉडल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।
- **तेल और गैस अन्वेषण:** हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के ऊपर गैसों की मात्रा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह ट्रैकिंग, वह क्षेत्र, जिसमें तेल और गैस भंडार विद्यमान हैं, को खोजने में सहायक होती है। इस प्रकार समय और धन दोनों की बचत होती है।

खान और खनिज:

- पर्यावरणीय प्रभावों का सही संकेत देता है।
- उपयुक्तता की जांच करने हेतु खनन क्षेत्र का त्वरित सर्वेक्षण करने में सहायता करता है।

सेलुलर नेटवर्क नियोजन: प्रस्तावित सेलुलर ऐन्टेना हेतु *लाइन ऑफ़ साईट* का निर्धारण करने के लिए विश्लेषण प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

वानिकी प्रबंधन और नियोजन: यह वितान (canopy) की ऊंचाई, इसकी घनत्व और सतह से उन्नयन निर्धारित कर सकता है। संभावित अग्नि क्षेत्र के मानचित्रण के माध्यम से वनाग्नि के प्रबंधन हेतु इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

बाढ़ मॉडलिंग:

- सटीक बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल बनाने में मदद करता है।
- उन्नत स्थलाकृतिक जानकारी प्रदान करने के लिए, राहत, बचाव और बाढ़ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में शामिल किया जा सकता है।

प्रदूषण मॉडलिंग:

- कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे प्रदूषकों का पता लगाने में मदद करता है।
- ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण का पता लगाना।

मैपिंग और कार्टोग्राफी:

- सड़कों, इमारतों और वनस्पतियों के मानचित्रण में सहायता करता है।

VISION IAS

- उच्च-रिज़ोल्यूशन समोच्च मानचित्र (contour maps) के विकास में उपयोगी।

परिवहन नियोजन: अबाधित नेविगेशन को सुसाध्य बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मैपिंग में सहायता प्रदान कर सकता है।

कृषि:

- फसल मैपिंग में मदद करता है और यह दर्शाता है कि अधिकतम फसल उपज के लिए किस क्षेत्र में उर्वरकों की आवश्यकता है।
- खेतों के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में मदद करता है और खेत की भूमि के ढलान और धूप के प्रति अनावरण का पता चलता है।
- **अंतरिक्ष यान और खगोल विज्ञान:**
- इसका उपयोग किसी खगोलीय पिंड की सतह के मानचित्रण में किया जा सकता है।
- यह अंतरिक्ष से वायुमंडलीय अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- **वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग:** इसका उपयोग क्लाउड प्रोफाइल, हवाओं को मापने, एयरोसोल का अध्ययन करने और विभिन्न वायुमंडलीय घटकों की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

6.2. सोयाबीन से ग्राफीन

(Graphene from Soybean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने सोयाबीन का प्रयोग विश्व की सर्वाधिक मजबूत सामग्री को वाणिज्यिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए किया है।

ग्राफीन के बारे में

कार्बन के अपरूप (एलोट्रोप) ग्राफीन में समतलीय शीट (planar sheets) (2 डी संरचना) निहित होती हैं जिनकी मोटाई एक परमाणु के समान होती हैं तथा ये सभी शीट परमाणुओं के साथ मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जालक (lattice) में व्यवस्थित होती हैं। यह षटकोणीय (हेक्सागोनल) जालक (लैटिस)में सम्बद्ध कार्बन परमाणुओं से बना है।

ग्राफीन के गुणधर्म

- इस्पात की तुलना में मजबूत
- उष्मा और विद्युत का सुचालक
- इस्पात के मुकाबले 200 गुना अधिक मजबूत
- ताम्बे की तुलना में अधिक सुचालक
- लगभग पारदर्शी

ग्राफीन के अनुप्रयोगों में पेंट्स और कोटिंग्स, स्नेहक, तेल और कार्यात्मक तरल पदार्थ, कैपेसिटर और बैटरी, थर्मल मैनेजमेंट एप्लीकेशन, डिस्प्ले सामग्रियों और पैकेजिंग, सौर सेल, स्याही और 3 डी-प्रिंटर की सामग्री और फिल्में शामिल हैं।

6.3 मेघ बीजन

(Cloud Seeding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में प्राय: सूखा पड़ने की समस्या से निपटने के लिए अगले तीन वर्षों के लिए मेघ बीजन (क्लाउड सीडिंग) प्रयोग करने का निर्णय लिया है।
- इस कार्यक्रम को **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** (Indian Institute of Tropical Meteorology) द्वारा समन्वित किया जाएगा और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के इस तथ्य को समझने के बड़े प्रयोग का एक हिस्सा है कि बादल और एयरोसोल कैसे अन्त:क्रिया करते हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं।

मेघ बीजन

मेघ बीजन (क्लाउड सीडिंग) को मौसम संशोधन तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, यह बादलों में नमी को प्रेरित करने का एक कृत्रिम तरीका है, ताकि वर्षा हो सके। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ (ठोस कार्बन डाईऑक्साइड) को वर्षा कारक बादलों पर छोड़ दिया जाता है।

मेघ बीजन के अनुप्रयोग

- इस पद्धति का उपयोग निर्धारित स्थान पर क्षेत्र विशेष में जहां वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता हो, वहाँ वर्षा की अधिक मात्रा के लिए किया जा सकता है।
- यह कृषि पर मॉनसून की अनियमितताओं के प्रभाव से बचाव के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में विकसित किया जा सकता है क्योंकि फसलों के लिए वर्षा का समय पर होना, मात्रा में अधिक होने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।
- समय पर और व्यापक वर्षा के द्वारा ही अधिकतम कृषि पैदावार होती है। इस प्रकार यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों के भरण पोषण में मदद करता है।

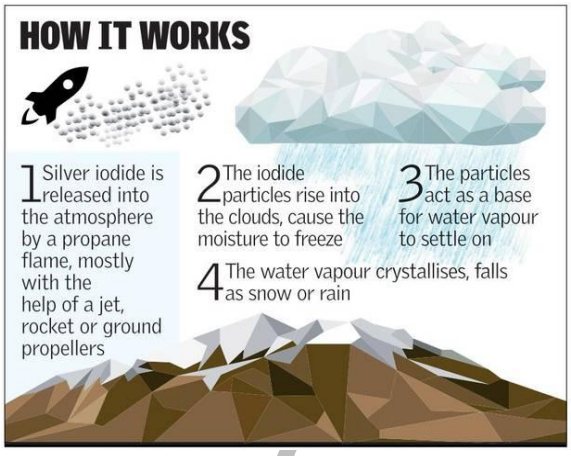

चिंतायें

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए पूरे भारत में इसके कई प्रयोग किए गए हैं। हालांकि वे बहुत प्रभावी नहीं रहे और उनके मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- साथ ही, यह विश्वसनीय कार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र विशेष पर दूसरे प्रकार के मेघ भी उपस्थित हो सकते हैं और इसी प्रकार एक ही प्रकार का बीजन सभी बादलों के लिए प्रभावी नहीं हैं।
- इसके अतिरिक्त बीजित मेघ किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और वर्षा करने में असफल हो सकते हैं, इस प्रकार इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।
- वातावरण में हानिकारक रसायनों के प्रसार जैसे पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।
- यदि ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो मेघ बीजन के परिणामस्वरूप बाढ़, तूफान, ओले आदि जैसी अनचाही मौसमी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- अंततः यह अत्यंत महंगी तकनीक है।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे

- यह 1962 में स्थापित किया गया था और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।
- यह मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने के लिए प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।
- यह मानसून मौसम विज्ञान में बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

UPSC के पूर्व के प्रश्न

सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर प्रारंभ और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितंबर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत में एलनीनो और ला-नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने हेतु तैयारी की गतिविधियों पर चर्चा कीजिए। *(मुख्य परीक्षा 2014)*

6.4. ब्लेज़ार्स

(Blazars)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नासा के फर्मी गामा-रे स्पेस टेलिस्कोप ने सबसे दूरस्थ गामा-रे ब्लेज़ार्स को पहचान लिया है।

ब्लेज़ार्स क्या हैं?

- ब्लेज़ार एक आकाशगंगा है, जिसमें किसी क्वेसर (quasar) की भाँति, एक अति उज्ज्वल केंद्रीय नाभिक होता है जिसमें अत्यंत विशाल ब्लैक होल होता है।
- हालांकि, एक ब्लेज़ार में उत्सर्जित प्रकाश में कभी-कभी अत्यधिक उच्च ऊर्जा युक्त गामा किरणें भी शामिल होती हैं, जो कि कभी-कभी उच्चतम ऊर्जा की एक्स-रे की तुलना में 10 करोड़ गुने से भी अधिक ऊर्जावान होती हैं।
- समग्र उत्सर्जन में कई अन्य विशिष्ट गुण हैं, जिनमें इसकी तीव्रता का समय के साथ नाटकीय ढंग से परिवर्तित होना हो सकता है।

6.5 2023 तक डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन पर स्विच करें

(Switch to digital terrestrial transmission by 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रसारण नियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने चरणबद्ध तरीके से प्रसारण सेवाओं के लिए डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (DTT) आरम्भ करने और 2023 के अंत तक एनालॉग ट्रांसमिशन को पूर्णतः बंद करने की अनुशंसा की है।

VISION IAS

- ट्राई ने अनुशंसा की है कि DTT को चरण 1 में दिसंबर 2019 तक महानगरों में तैनात किया जाना चाहिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 2021 दिसंबर तक और शेष भारत 2023 तक कवर किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, भारत में स्थलीय टीवी प्रसारण दूरदर्शन (प्रसार भारती), लोक सेवा प्रसारक के अनन्य क्षेत्र के तहत है और यह मुख्य रूप से एनालॉग है।
- मौजूदा टेरेस्ट्रियल टीवी प्लेटफ़ॉर्म केवल कुछ चैनल ही उपलब्ध कराते हैं जो दर्शकों को मूल्य के अनुरूप सेवा नहीं प्रदान करते है।

DTT के बारे में मूल तथ्य

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (स्थलीय संचरण) एक प्रकार का प्रसारण है जिसमें सिग्नल एक स्थलीय ट्रांसमीटर से रेडियो तरंग से प्रेषित होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं:

एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (ATT)

एनालॉग टेरेस्ट्रियल टेलीविजन प्रसारण में एक आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) चैनल पर केवल एक सिग्नल दिया जाता है और प्रसारित होता है।

डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (DTT)

डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन (DTT) प्रसारण से संबंधित तकनीकी मानकों के आधार पर और वांछित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर, एक एकल आवृत्ति चैनल में लगभग 10 या अधिक डिजिटल सेवाओं के प्रसारण की अनुमति देता है।

DTT के उपभोक्ता लाभ

- डिजिटल रिसेप्शन के माध्यम से सुस्पष्ट चित्र और उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो।
- बेहतर समग्र रिसेप्शन, खासकर सिग्नल कमजोर होने की दशा में।
- नए मुफ्त और निश्चित मूल्य वाले टीवी चैनलों तक पहुंच।
- कम बिजली की आवश्यकता इसलिए मोबाइल उपकरणों द्वारा सिग्नलों का उपयोग किया जा सकता है।
- **SDTV, HDTV, UHTV, मोबाइल टीवी चैनल, रेडियो सेवा** और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं का एक मूल्यवान समूह प्रदान कर सकता है।

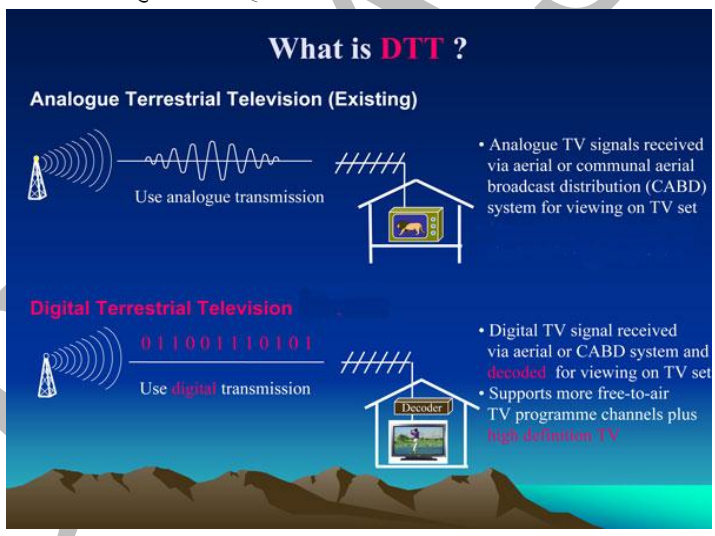

DTT के सरकार को फायदे

- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की संभावना।
- अतिरिक्त आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसीज़) तक पहुंच प्रदान करता है जिसका आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- वायु में डेटा संचारित करने के लिए प्रयुक्त स्पेक्ट्रम दुर्लभ है। इस मूल्यवान संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, एनालॉग से डिजिटल ट्रांसमिशन पर स्विच करने हेतु, 2006 में 156 से अधिक देशों ने ITU समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल ट्रांसमिशन अपनाने से भारत लक्समबर्ग जैसे DTT युक्त देशों की लीग में शामिल हो सकता है।
- DTT को अपनाने से डिजिटल भारत कार्यक्रम में संवर्धन होगा और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुंच संभव हो पाएगी।

6.6 प्रधानमन्त्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) को मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

- शिक्षा पर NSSO के 71वें सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 6% ग्रामीण परिवारों में कंप्यूटर है।
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (16.82 करोड़ परिवारों में से 94% परिवारों) के पास कंप्यूटर नहीं है।
- इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में इन परिवारों के डिजिटल रूप से असाक्षर (digitally illiterate) होने की संभावना है।

PMGDISHA के बारे में

- PMGDISHA के **विश्व में सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों** में से एक बनने की उम्मीद है।
- इस योजना के तहत, 25 लाख लोगों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशिक्षित किया जाएगा; वित्तीय वर्ष 2017-18 में 275 लाख; और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 300 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- **एकसमान भौगोलिक पहुंच** सुनिश्चित करने के लिए 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक द्वारा औसतन 200-300 अभ्यर्थियों को रजिस्टर करने की उम्मीद है।
- इस योजना का कार्यान्वयन, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्राधिकृत उनकी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी (DeGS) आदि के साथ सक्रिय सहयोग के द्वारा सम्पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किए गए PMGDISHA द्वारा डिजिटली साक्षर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ परिवारों कवर किया जाएगा।
- यह **सूचना तक पहुँच, ज्ञान और कंप्यूटर / डिजिटल एक्सेस डिवाइसों के संचालन का कौशल** प्रदान करके नागरिकों को सशक्त बनाएगा।

चिंता / चुनौतियां

- **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स,** जो 140 देशों की सूचना और संचार क्षमता का आकलन करता है, के अनुसार, भारत 2013 में 68वें स्थान पर था लेकिन **2016 में** भारत पीछे खिसककर **91वें** स्थान पर आ गया है।
- लोगों को अपनी लेन-देन के लिए कंप्यूटर या अन्य उपकरणों का उपयोग करते समय अपनी वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है।
- **भारतनेट (BHARATNET) परियोजना** ग्रामीण पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम नहीं हुई है। इस प्रकार PMGDISHA की सफलता बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

6.7 FLU गैस टेक्नोलॉजी

(Flu Gas Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **(MoEFCC)** ने नई पर्यावरण सूचना के बाद तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए **फ्लू-गैस डीसल्फराइजेशन** (**Flu-Gas Desulfurization**) का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

विषय के बारे में

- **MoEFCC** द्वारा नई अधिसूचना के अनुसार, प्रदूषकों के उत्सर्जन जैसे- कणिकीय पदार्थों (पार्टिकुलेट मैटर) के उत्सर्जन को 65% तक; नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स (NOx) के उत्सर्जन को 70% तक और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 85% तक कम करने की आवश्यकता है।

फ्लू-गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रौद्योगिकी

- फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD), **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)** को जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों द्वारा विमुक्त फ्लू गैसों और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाली अन्य प्रक्रियाओं से होने वाले **SO_2** उत्सर्जन को हटाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली **तकनीकों का एक समूह है।**
- SO_2 को हटाने के लिए प्रयुक्त सामान्य विधियां हैं: वेट स्क्रबिंग विधि, स्प्रे-ड्राई स्क्रबिंग विधि, वेट और ड्राई लाइम स्क्रबिंग विधि, SNO_X विधि, ड्राई सोर्बेंट इंजेक्शन विधि आदि।
- एक सामान्य कोयला आधारित पावर स्टेशन के लिए, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) फ्लू गैसों से 90% या अधिक SO_2 को पृथक कर सकता है।
- सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन अम्ल वर्षा में एक प्राथमिक योगदानकर्ता है और विश्व के प्रत्येक औद्योगिक देश द्वारा विनियमित किया गया है।

<u>विज्ञान और पर्यावरण केंद्र</u>

- यह नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक हित अनुसंधान और एडवोकेसी संगठन है।
- यह टिकाऊ और न्यायसंगत विकास के लिए शोध, लॉबिंगऔर इसकी तात्कालिक आवश्यकता के लिए प्रचार करती है

<u>इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स:</u> यह एक निस्यंदन उपकरण है जो गुजरने वाली गैस के आयनीकरण द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का उपयोग कर कणिकीय पदार्थ जैसे महीन कणों को हटाता है।

<u>रेट्रोफ़िट बॉयलर</u>

<u>फ्लू गैस</u>

- यह **गैसों का मिश्रण** है जो विद्युत् संयंत्रों और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन और अन्य सामग्रियों के दहन द्वारा उत्पन्न होता है और नलिकाओं (ducts) के माध्यम से वातावरण में निष्कासित किया जाता है।
- इसमें मुख्य रूप से **नाइट्रोजन के ऑक्साइड** सम्मिलित होते हैं जो वायु,, **कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, अतिरिक्त ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड,** कालिख जैसे **कणिकीय पदार्थ** के दहन से उत्पन्न होते हैं।

VISION IAS

6.8 भारत का राष्ट्रीय वैक्सीन विनियामक प्राधिकरण

(India's National Vaccine Regulatory Authority)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- WHO ने हाल ही में **भारतीय राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण** को उपयोगी घोषित किया है और इसे सर्वोच्च रेटिंग 4 से सम्मानित किया है, जिसका अर्थ है WHO बेंचमार्किंग का 100% अनुपालन, निरंतर सुधार प्रवृत्ति के साथ अच्छे परिणाम तथा विकसित देशों और यूरोपीय संघ के अनुसार वैक्सीन का कठोर नियामक।

NRA क्या है?

- जैसा कि WHO द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, NRAs राष्ट्रीय विनियामक एजेंसियां हैं जो निर्यात या सार्वजनिक वितरण के लिए वैक्सीन उत्पादन में गुणवत्ता और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरण, भारत का फार्माको-सतर्कता कार्यक्रम (Pharmaco-vigilance Programme of India: PvPI) और केंद्र तथा राज्य स्तर पर AEFI (एडवर्स इवेंट फ़ॉलोइंग इम्यूनाइजेशन) संरचना शामिल हैं।

भारत के लिए महत्व

- इसका मतलब है कि भारत को अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों जैसे विकसित देशों के साथ वैक्सीन के एक कठोर नियामक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- चूंकि दवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी, अत: यह भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश और प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देगा।
- भारतीय औषधीय उत्पाद में वैश्विक विश्वास में बढ़ोत्तरी के बाद निवेश और तकनीक के अंत:प्रवाह के कारण यह मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- भारत यूनिसेफ, WHO और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 100 से अधिक देशों में वैक्सीन आपूर्ति करता है, का प्रमुख वैक्सीन आपूर्तिकर्ता है। इसलिए यह नए बाजारों के अवसर उपलब्ध करा सकता है, जिससे स्थिर विदेशी मुद्रा आय बढ़ेगी।

6.9 इसरो (ISRO) में नवीनतम विकास

(Latest Developments At Isro)

6.9.1. PSLV-C37 द्वारा एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण

(Launch of 104 Satellites in A Single Flight by PSLV-C37)

- इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C37 ने 103 सह-यात्री उपग्रहों के साथ 714 कि.ग्रा. वजन के कार्टोसैट- 2 श्रेणी के उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- PSLV-C37 द्वारा ले जाए गए सभी 104 उपग्रहों का कुल वजन 1378 कि.ग्रा. था।
- यह PSLV का लगातार 38वां सफल मिशन था।
- अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के 96 उपग्रहों और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजरायल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में से प्रत्येक का एक उपग्रह सह-यात्री उपग्रहों में शामिल था।

PSLV

- PSLV विश्व के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहनों में से एक है जिसमें चार चरणों का समावेश है।
- यह 20 वर्षों से सेवा में है और इसने चन्द्रयान -1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, IRNSS इत्यादि जैसे ऐतिहासिक मिशनों को लांच किया है।
- यह 600 किमी. ऊंचाई की सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं के लिए 1,750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है और भू-तुल्यकालिक और भू-स्थैतिक कक्षाओं में 1,425 किलोग्राम के पेलोड ले जा सकता है।

6.9.2. चन्द्रमा की सतह पर इसरो का रोवर

(ISRO Rover on Lunar Surface)

- इसरो, चंद्रयान-2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को तैनात करने की योजना बना रहा है।
- 100 किमी. चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के बाद, रोवर को साथ लेकर लैंडर, ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा।
- इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर एक निर्दिष्ट स्थल पर आराम से उतरेगा और रोवर को तैनात करेगा।

- 6 पहियों वाला रोवर लैंडिंग स्थल के आस-पास **सेमी-ऑटोनोमस मोड** में स्थानांतरित होगा, जैसा कि ग्राउंड कमांड द्वारा तय किया जाएगा।
- रोवर पर लगाए गए उपकरण चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेंगे और **चंद्रमा की मिट्टी के विश्लेषण** के लिए उपयोगी आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजेंगे।
- इस मिशन में **मिट्टी और चट्टानों अवक्षेप के नमूना-संग्रहण की योजना नहीं** है।

चंद्रयान 2, चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन, पिछले चंद्रयान-1 मिशन का एक उन्नत संस्करण है।

- इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है।
- इसके 2018 की पहली तिमाही के दौरान लांच होने की उम्मीद है।

6.9.3. टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड प्रोसेसर (TTCP)

(Telemetry and Telecommand Processor (TTCP))

- TTCP का उपयोग निम्न भू कक्षा, भू-स्थैतिक कक्षा और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यान के एकीकृत अंतरिक्ष यान परीक्षण में किया जाता है।
- निम्न भू-कक्षा अंतरिक्ष यान आमतौर पर टेलीमेट्री और टेलीकमांड के लिए इसरो प्रारूप का उपयोग करता है, जिसके लिए स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
- हालांकि, अंतरग्रहीय अंतरिक्ष यान एक अंतरराष्ट्रीय मानक का उपयोग करता है, जिसे CCSDS (कंसल्टेटिव कमेटी फॉर स्पेस डाटा सिस्टम्स) कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इन उपकरणों का आयात किया जा रहा है।
- मेक इन इंडिया अभियान के भाग के रूप में इसरो द्वारा TTCP का स्वदेशी विकास किया जा रहा है।
- यह प्रणाली अब CCSDS और ISRO दोनों के मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

6.10 अपराधियों की डीएनए टैगिंग

(DNA-Tagging of Convicts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आंध्र प्रदेश सरकार एक कानून का प्रारूप तैयार कर रही है जोकि एक केंद्रीकृत डेटाबेस में DNA फिंगरप्रिंट के संग्रहण और भण्डारण को सक्षम बनाएगा जिससे अपराधियों का पता लगाया जा सकेगा।

DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है?

- DNA फिंगरप्रिंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जोकि आपराधिक जांच में जैविक साक्ष्य और किसी संदिग्ध के मध्य कड़ी का कार्य करती है।
- DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग पितृत्व को सिद्ध करने, सीड स्टॉक की पहचान, उपभोक्ता उत्पादों की प्रामाणिकता और चिकित्सा निदान के लिए भी किया जाता है।

DNA फिंगरप्रिंटिंग के लाभ

- **यथार्थता**- अधिकांश मामलों में जहां एक से अधिक व्यक्तियों के DNA पाए जाते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग माध्यम से अन्य लोगों में से अपराधियों की पहचान की जा सकती है।
- **विश्वसनीयता**- यह नार्को एनालिसिस जोकि व्यक्तिपरक (subjective) होता है से अधिक विश्वसनीय है और DNA फिंगरप्रिंटिंग में जालसाजी भी नहीं हो सकती है।

चुनौतियां

- साक्ष्य के रूप में DNA परीक्षण का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 के अंतर्गत प्रावधान नहीं है।
- केंद्र ने 2012 में इसी तरह का ड्राफ्ट तैयार किया था, जोकि निजता के अधिकारों के उल्लंघन के कारण विवाद में आ गया था।
- **अवैज्ञानिक जांच**: भारत में फोरेंसिक जांचकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बजाय एक अप्रशिक्षित कांस्टेबल सबसे पहले घटनास्थल पर जाता है, जिसे यह नहीं पता होता कि वैज्ञानिक रूप से साक्ष्यों को कैसे एकत्र किया जाता है और इस प्रक्रिया में वह महत्वपूर्ण DNA साक्ष्यों को नष्ट कर देता है।

6.11 सुपरबग

(Superbugs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में बारह " सुपरबग्स" की एक सूची प्रदान की है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

- WHO ने चिकित्सा विशेषज्ञों और दवा शोधकर्ताओं से आगे यह भी आग्रह किया कि इन रोगजनकों के बीच पहले सबसे खतरनाक रोगजनकों से निपटने पर पहले ध्यान केंद्रित करें।

सुपरबग

- ये जीवाणुओं के एक प्रकार हैं जोकि लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में रहने के कारण एंटीबायोटिक दवाओं के प्रहार के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं।
- इसलिए, दवाइयां अप्रभावी हो जाती हैं और शरीर में संक्रमण बना रहता है, जिससे दूसरों में भी इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
- एंटीबायोटिक के **अधिक उपयोग** (नियत मात्रा से अधिक एंटीबायोटिक लेना) और **दुरुपयोग** (निर्धारित एंटीबायोटिक को गलत तरीके से लेना या एंटीबायोटिक से वायरल संक्रमण का इलाज करना) **सुपरबग** निर्माण के प्रमुख कारण हैं।

Species	Type of Antibiotic Resistance
Critical*	
Acinetobacter baumannii	Carbapenem resistant
Pseudomonas aeruginosa	Carbapenem resistant
Enterobacteriaceae†	Carbapenem resistant Third-generation cephalosporin resistant
High	
Enterococcus faecium	Vancomycin resistant
Staphylococcus aureus	Methicillin resistant Vancomycin intermediate and resistant
Helicobacter pylori	Clarithromycin resistant
Campylobacter	Fluoroquinolone resistant
Salmonella spp	Fluoroquinolone resistant
Neisseria gonorrhoeae	Fluoroquinolone resistant Third-generation cephalosporin resistant
Medium	
Streptococcus pneumoniae	Penicillin nonsusceptible
Haemophilus influenzae	Ampicillin resistant
Shigella spp	Fluoroquinolone resistant

- WHO द्वारा बताये गए कुछ प्रमुख सुपरबग हैं : MRSA (मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रैफिलोकोकस ऑरियस), नेइसेरिया गोनोराहॉए, क्लेबिसिला, ई-कोलाई (E. coli)।
- क्लेबिसाइला बैक्टीरिया ने हाल ही में कार्बापेनम्स नामक एंटीबायोटिक्स के एक शक्तिशाली वर्ग के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है।

6.12 वैम्पायर स्टार

(Vampire Star)

भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला, एस्ट्रोसैट (ASTROSAT) ने एक दुर्लभ परिघटना का पता लगाया है जिसमें एक छोटा 6 अरब वर्षीय वैम्पायर स्टार एक बड़े आकाशीय पिंड को **"नष्ट"** कर रहा है।

छोटा तारा अपने बड़े साथी तारे से द्रव्यमान और उर्जा खींचता है तथा यह अपेक्षाकृत अधिक विशाल, ऊष्म एवं नीला होकर वैम्पायर स्टार कहलाता है।

- एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है।
- एस्ट्रोसैट विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम) के ऑप्टिकल, UV, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्रों में ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण/अवलोकन करता है जबकि अधिकांश ऐसे उपग्रह केवल तरंग दैर्ध्य की एक संकीर्ण परास को देखने में सक्षम होते हैं।

6.13 पृथ्वी की आतंरिक कोर क्यों नहीं पिघलती है?

(Why Doesn't Earth's Inner Core Melt?)

सूर्य की सतह की अपेक्षा अधिक गर्म होने के बावजूद पृथ्वी की क्रिस्टलीकृत आयरन कोर क्यों नहीं पिघलती है?

- पृथ्वी के भीतर घूमता एवं पिघला हुआ कोर (क्रोड़) एक क्रिस्टल बॉल है, जोकि लगभग शुद्ध क्रिस्टलीकृत लोहा है और लगभग चंद्रमा के आकार का है। वैज्ञानिक वर्षों से इन क्रिस्टलों की परमाणु संरचना को जानने का प्रयास कर रहे हैं।
- लौह कण कमरे के तापमान पर और उच्च तापमान पर अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित (पैक्ड) होते हैं।
- यद्यपि शोधकर्ताओं ने पाया है कि लोहे के कणों की यह पैकिंग/व्यवस्था पृथ्वी के कोर में भी समान ही रहती है।
- अत्यधिक उच्च दबाव के कारण, आतंरिक कोर के किनारों पर, क्रिस्टल संरचना के टुकड़े अपने मूल विन्यास में पुनःप्रवेश के लिए लगातार पिघलते और फैलते रहते हैं।
- यह ऊर्जा वितरण चक्र क्रिस्टल को स्थिर और कोर को ठोस बनाये रखता है।

6.14 भारत QR कोड

(Bharat QR Code)

- भारत QR कोड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह मास्टर कार्ड/वीजा/ रुपे प्लेटफार्मों के लिए समान इंटरफ़ेस के रूप में काम करता है और आधार-सक्षम भुगतान और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) की स्वीकृति की सुविधा भी देता है।

लाभ

- यह डिजिटल भुगतान के लिए कार्ड स्वैपिंग मशीनों का उपयोग करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **इंटरऑपरेबिलिटी**- भारत QR कोड का उपयोग करते हुए व्यापारियों को एक से अधिक की अपेक्षा केवल एक QR कोड दिखाने की आवश्यकता होगी।
- यह गलत भुगतान राशि दर्ज करने की अनिश्चितता को भी समाप्त कर देगा, क्योंकि ग्राहक को केवल स्कैन और प्रमाणित करना होगा।

QR कोड (क्विक रिस्पांस कोड) एक द्वि-आयामी (मैट्रिक्स) मशीन-रीडेबल (machine-readable) बारकोड होता है जिसमें सफ़ेद और काले वर्ग से बने बार कोड होते हैं। यह कोड स्मार्टफोन के कैमरे द्वारा रीड किया जा सकता है।

- यह 360 डिग्री (सभी दिशाओं में), तीव्र गति से पढ़े जाने पाने में सक्षम है।
- QR कोड में 7089 डिजिट संग्रहित किये जा सकते हैं जबकि पारंपरिक बार कोड में अधिकतम 20 डिजिट ही संग्रहित किये सकते हैं।
- इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों ओर सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें त्रुटि सुधार (एरर करेक्शन) की क्षमता है और इसमें संग्रहीत डेटा को रीस्टोर किया जा सकता है भले ही वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या मलिन (dirty) हो गया हो।

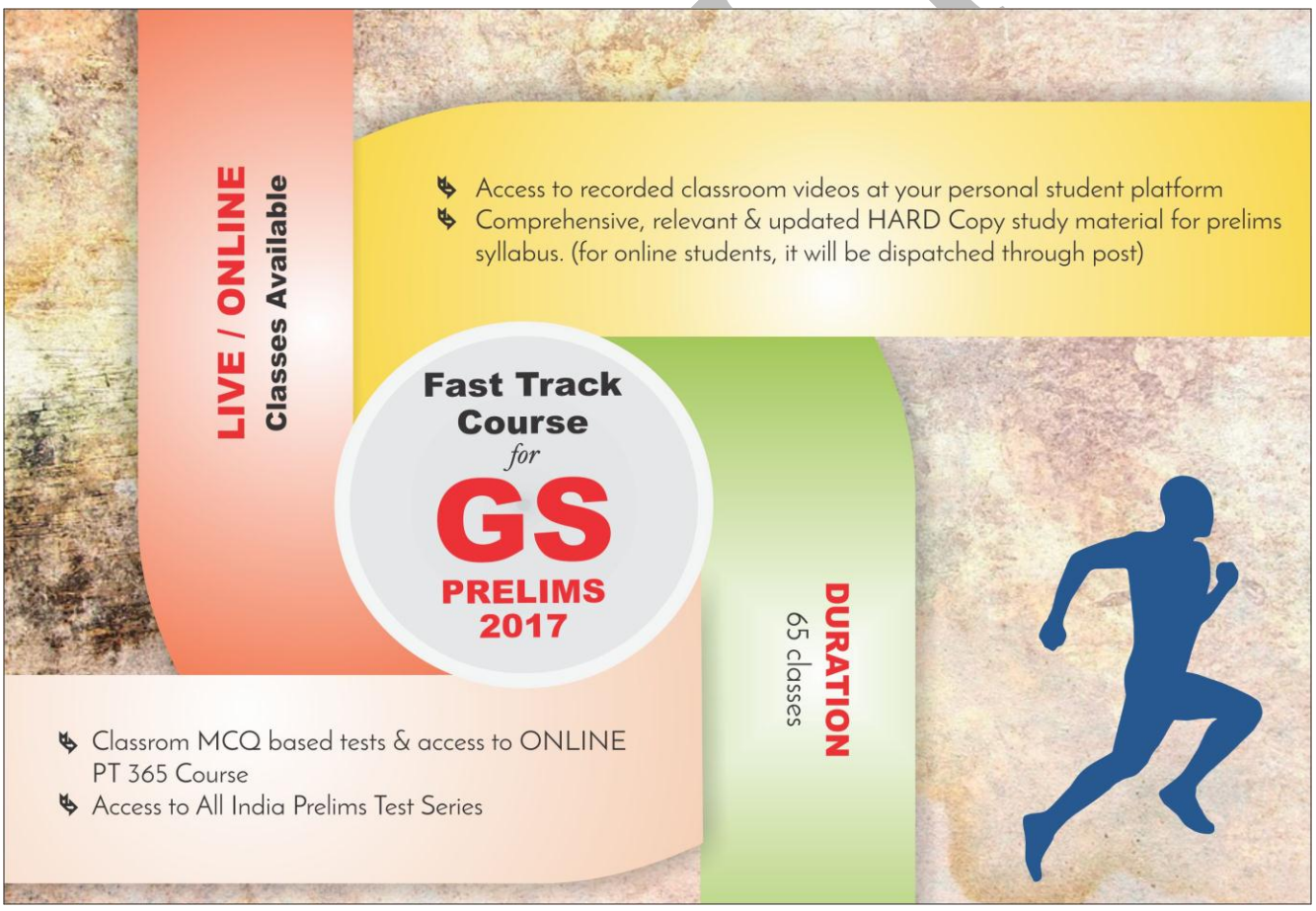

7. सामाजिक

(SOCIAL)

7.1. सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2017 का प्रारूप

(Draft Public Health Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदा का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन) विधेयक, 2017 (Public Health (Prevention, Control and Management of Epidemics, Bio-Terrorism and Disasters) Bill, 2017) का ड्राफ्ट जारी किया है।

उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य निम्नलिखित का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करना है:

- महामारी;
- आपदाओं से उपजे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम, और
- जैव आतंकवादी घटनाएं या इसके खतरे।

विधेयक की आवश्यकता

- ड्राफ्ट विधेयक का **उद्देश्य महामारी रोग अधिनियम, 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897)** को निरस्त करना है।
- पिछले कई वर्षों के दौरान, इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां आ गई हैं। इन कमियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन में परिवर्तित होती हुई प्राथमिकताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

✓ महामारी अधिनियम 1897 खतरनाक महामारी रोग की परिभाषा पर मौन है।

✓ इसके अतिरिक्ति, एक शताब्दी पुराना होने के नाते, इस अधिनियम की क्षेत्रीय सीमाओं पर फिर से दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

ड्राफ्ट विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- ड्राफ्ट विधेयक '**सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातस्थिति (public health emergency)**' को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे की किसी आकस्मिक परिस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सम्मिलित हैं:

✓ मनुष्यों, जानवरों या पौधों को प्रभावित करने वाले किसी भी संक्रामक या सांसर्गिक (छुआछूत) रोग या कीटों का विस्तार या प्रसार,

✓ खतरनाक महामारी रोग का होना या खतरा, और

✓ रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली आपदा या जैव-आतंकवाद या संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति।

- प्रस्तावित विधेयक 33 महामारी प्रवण रोगों को सूचीबद्ध करता है। इसमें अन्य के साथ-साथ एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, HIV / AIDS, यलो फीवर (पीत ज्वर), रेबीज, प्लेग, खसरा (measles), काला-जार सम्मिलित हैं।
- प्रारूप विधेयक संभावित जैव आतंकवाद एजेंट भी सूचीबद्ध करता है। इसमें अन्य के साथ-साथ टाइफाइड बुखार, कालरा, प्लेग के जीवाणु (बैक्टीरिया), और ईबोला, डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस आदि के वायरस (विषाणु) सम्मिलित हैं।
- यह विधेयक महामारियों और जैव आतंकवाद जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए उचित कदम उठाने हेतु केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी रेखांकित करता है।

7.2. महिला शक्ति केन्द्र

(Mahila Shakti Kendra)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2017-18 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया कि 14 लाख ICDS आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्राम स्तर पर **महिला शक्ति केन्द्रों** की स्थापना की जाएगी।

महिला शक्ति केंद्र के संबंध में

- महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।
- महिला शक्ति केंद्रों से महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी।

चुनौतियां

VISION IAS

- **अपर्याप्त आवंटन**: यदि 14 लाख आंगनवाड़ियों के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, तो प्रत्येक महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना के लिए यह मात्र 3,571 रुपये ठहरेगा।
- **ICDS आगे और कमजोर होगा**: सरकार पिछले 2 वर्षों से ICDS के प्रति धनराशि में कटौती कर रही है। इससे आंगनवाड़ियों का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ है। इस प्रकार, एक और योजना जोड़ने से ICDS आगे और कमजोर होगा।
- **अधिक बोझ तले दबे कार्यकर्ता:** एक और योजना कार्यान्वित करने के लिए आंगनवाड़ी का उपयोग करने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अत्यधिक बोझ तले दब जाएंगे। वह भी प्राय: अपने न्यूनतम मजदूरी से भी कम अर्जन के साथ।
- **सभी सहायता सेवाएं प्रदान करना कठिन**: ऐसे केन्द्रों की परिकल्पना की गई है जहां महिलाओं को रोजगार और कौशल विकास से लेकर स्वास्थ्य और डिजिटल साक्षरता तक सब कुछ के लिए सहायता मिल सकती है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/कार्यकर्त्री की क्षमता से बाहर है। ऐसा महिला समाख्या कार्यक्रम (जिसे पिछले वर्ष रोक दिया गया था) के अंतर्गत श्रेष्ठतर ढंग से किया जा सकता था।

7.3. कोरोनरी स्टेंट की कीमत की अधिकतम सीमा निश्चित की गई

(Coronary Stent Price Capped)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority-NPPA) ने कोरोनरी स्टेंट की अधिकतम कीमत उसकी वर्तमान बजार दर से 40 प्रतिशत कम निश्चित की हैं।
- यह भारत में बेची जाने वाले सभी स्टेंट के लिए मान्य है - चाहे घरेलू हों या आयातित।

स्टेंट क्या है?

- यह नलिका के आकार की युक्ति है। इसे अवरुद्ध रक्त वाहिका में डाला जाता है।
- यह कभी-कभी भौतिक साधनों (नग्न धातु स्टेंट) के माध्यम से और प्राय: औषधियों के माध्यम से जिसे यह धीमी दर से देता है (ड्रग ईल्युटिंग स्टेंट) धमनियों में अवरोध दूर करने में सहायता करता है।
- स्टेंट जितना अधिक पतला होता है उतना ही इसे परिष्कृत और महंगा माना जाता है।

पृष्ठभूमि

- 2016 में, कोरोनरी स्टेन्ट को आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (2015) में सम्मिलित किया गया था।
- आगे चलकर भेषज विभाग (Department of Pharmaceuticals) ने इसे 'अनुसूचित फॉर्मूलेशन (scheduled formulation)' बनाते हुए कोरोनरी स्टेन्ट को औषधि कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 की अनुसूची I में सम्मिलित कर दिया।

आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM)

- WHO के अनुसार, जनसंख्या की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य देखभाल आश्यकताएं पूरी करने वाली औषधियां आवश्यक औषधियां हैं।
- NLEM 2015 में 376 औषधियां सम्मिलित हैं।
- इस सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु मानदंडों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, लागत प्रभावी औषधि आदि सम्मिलित हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित कोर कमेटी NLEM में सम्मिलित औषधियों की समीक्षा और संशोधन करती है।

मूल्य सीमा की आवश्यकता

- वर्तमान में भारतीयों द्वारा स्वास्थ्य पर जेब से वहन किए जाने वाले उच्च व्यय का लगभग दो-तिहाई औषिzयों पर होता है।
- लैंसेट अनुसंधान से चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के तर्कहीन उपयोग में वृद्धि का पता चला है। इसमें हृदय संबंधी स्टेंट और घुटने का प्रत्यारोपण सम्मिलित है।
- भारतीय स्टेंट बाजार लगभग 500 मिलियन डॉलर का है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह की घटनाओं में वृद्धि के कारण इसमें आगे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- भारत में कोरोनरी धमनी का रोग बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन रहा है। इसलिए यह कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाने वाला पहला चिकित्सकीय उपकरण बन गया है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012

- किसी भी वस्तु की कीमत की सीमा निर्धारित करने के लिए मानदंड की गणना उस विशिष्ट उत्पाद के उन सभी ब्रांडों के साधारण औसत के रूप में की जाती है, जिसकी कम से कम 1 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी होती है।

इस आदेश का महत्व

- इस आदेश से स्टेन्ट जैसे चिकित्सीय उपकरणों की कीमतों में होने वाले 'अनैतिक मार्कअप' में कमी आएगी। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं अधिक सस्ती होंगी।

VISION IAS

- NPPA की रिपोर्ट से पता चला है कि तर्कहीन तरीके से चिकित्सा उपकरणों की कीमतें बढ़ाकर 'अनैतिक मुनाफाखोरी' की जाती थी। इस आदेश से इस व्यवहार पर अंकुश लगेगा।
- यदि निगरानी पर्याप्त नहीं होगी तो स्टेंट के गुणवत्ता स्तर में गिरावट आ सकती है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

- यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन भेषज विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र निकाय है।
- इसके कार्य हैं:
  - ✓ नियंत्रित थोक औषधियों की कीमतें और फॉर्मूलेशन को नियत / संशोधित करना।
  - ✓ औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995/2013 के अंतर्गत औषधियों की कीमतें और उपलब्धता प्रवर्तित करना।
  - ✓ उपभोक्ताओं से नियंत्रित औषधियों के लिए निर्माता द्वारा प्रभारित अधिक राशि पुन: प्राप्त करना।
  - ✓ इन्हें उचित स्तर पर रखने के लिए विनियंत्रित औषधियों की कीमतों की निगरानी करना।

आगे की राह

- औषधिओं और चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए द्विआयामी रणनीति की आवश्यकता है:
  - ✓ सरकार को समुदाय की साझेदारी के साथ संयुक्त रूप से होने वाले व्ययों पर दृष्टि रखनी चाहिए,
  - ✓ सरकार को, जहां आवश्यकता हो, विनियमन का उपयोग करना चाहिए और स्वास्थ्य पर होने वाले सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए।
  - ✓ जेनरिक औषिधियों को बढ़ावा देना चाहिए।
- इसके साथ ही जिला अस्पतालों को भी पूरे भारत में हृदय संबंधी उपचार के कवरेज का विस्तार करना चाहिए ताकि इस आदेश से अधिकतम आबादी लाभान्वित को सके।

7.4. औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का विनियमन

(Regulating Online Sale of Medicines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- औषधियों की ऑनलाइन बिक्री का परीक्षण करने के लिए औषध परामशदात्री समिति द्वारा गठित उप-समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

पृष्ठभूमि

- ई-कॉमर्स के उत्थान से औषधियों की ऑनलाइन बिक्री में तेजी आई है।

संबंधित मुद्दे

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) में भेषज उद्योग में **ई-कॉमर्स व्यापारियों के लिए कोई भी दिशानिर्देश नहीं हैं**। हालांकि, 'अनुसूचित' औषधियां चिकित्सक के पर्चे के सहारे केवल लाइसेंस प्राप्त औषधालयों द्वारा बेची जानी चाहिए।
- **ऑनलाइन औषधियों तक सुगम पहुंच से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को बढ़ावा मिल सकता है।**
- ऑनलाइन औषधालय गुणवत्ता परक नहीं हो सकते हैं। इससे वर्तमान में बाजार में संदिग्ध गुणवत्ता वाली औषधियों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

औषधि परामर्शदात्री समिति (Drugs Consultative Committee)

- यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय है।
- यह पूरे भारत में इस अधिनियम की एकरूपता पर केंद्र, राज्य सरकारों को सलाह देती है।
- इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक होने पर यह बैठक करती है।
- इसके पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति है।

उप-समिति की अनुशंसाएं

- ऑनलाइन औषधि बिक्री का संचालन और निगरानी करने के लिए नोडल मंच के रूप में **राष्ट्रीय पोर्टल** बनाया जाए।
- ई-औषधालय पंजीकृत करने के लिए तंत्र विकसित किया जाए।
- ई-औषधालयों के परिचालन में भौगोलिक सीमाबंधन होना चाहिए।
- ऑनलाइन औषधि बिक्री करने के लिए खुदरा औषधि बिक्री के लाइसेंस राष्ट्रीय पोर्टल पर भी पंजीकृत किए जा सकते हैं।
- नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक औषधियां, प्रशामक (tranquilizers) आदि जैसी कुछ संभावित दुरूपयोग प्रवण औषधियां ऑनलाइन बिक्री से बाहर रखी जानी चाहिए।
- ऑफ़लाइन और ऑनलाइन औषधियों की बिक्री औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 से विनियमित होना जारी रहेगी।

ऑनलाइन औषधालय की सीमाएं

- निर्देशित (prescription) औषधियों की ऑनलाइन अविनियमित बिक्री स्वयं से औषधि लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

VISION IAS

- सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है क्योंकि ई-कॉमर्स के व्यापारी खुदरा औषधालय के समतुल्य करों से बच निकलते हैं।

आगे की राह

- सरकार ऑनलाइन माध्यम से स्वयं से औषधि लेना रोकने के लिए सुलभ और सस्ती जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार को औषधियों की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में दिशानिर्देश भी तैयार करना चाहिए।
- सरकार को एक स्वतंत्र स्वास्थ्य नियामक का गठन करना चाहिए जिसके दायरे में ऑनलाइन बिक्री भी आती हो। उसके पास कानून तोड़ने वालों के लिए दंडात्मक शक्तियां भी होनी चाहिए।

7.5. सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

(Ensuring Qualityof Drugs in Government Supply Chain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित औषधि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आपूर्ति श्रृंखला में 10 प्रतिशत से भी अधिक **औषधियां मानक गुणवत्ता की नहीं (not of standard quality-NSQ)** होती हैं।

इस सर्वेक्षण पर और अधिक जानकारी

- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (NIB)**, **नोएडा** द्वारा नकली और मानक गुणवत्ता से निम्न स्तर की दवाओं की समस्या के प्रसार **(एक्सटेंट ऑफ़ प्रोब्लम्स ऑफ़ स्प्युरिअस एंड नॉट ऑफ़ स्टैण्डर्ड क्वालिटी ड्रग्स)'** का सर्वे किया गया।
- सर्वे की डिजाइन में आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (2011) की 15 अलग-अलग चिकित्सीय श्रेणियों से संबंधित 224 औषधि अणु सम्मिलित किए गए थे।
- 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की खुदरा दुकानों, सरकारी स्रोतों, विमान पत्तनों और समुद्री पत्तनों से 47,000 से भी अधिक औषधियों के नमूने लिए गए थे।
- इस सर्वेक्षण में कुल 3.16% औषधियां NSQ पाई गईं थीं जबकि 0.0245% प्रकृति में अप्रामाणिक पाई गई थीं।
- खुदरा दुकानों की तुलना में सरकारी स्रोतों से ली गई औषधियों में NSQ औषधियां उच्च प्रतिशत में पाई गई थीं।

आगे की राह

- अर्हता प्राप्त करने वाले निर्माताओं के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा कठोर दिशा निर्देश लागू करने की आवश्यकता है।
- प्रत्येक खेप की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच करवानी चाहिए (राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड-National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories)
- सरकारी गोदामों, मेडिकल स्टोर के डिपो और औषधालयों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि आवश्यक तापमान, आर्द्रता का अनुरक्षण, वातानुकूलित स्थान और रेफ्रिजरेटर्स।
- निर्माताओं से मानक गुणवत्ता का पालन करवाने के लिए कड़े कानून होने चाहिए।

7.6. ब्रेन डेड के लिए मानदंड

(Norms for Brain Death)

ब्रेन डेड और अंग दान

- ब्रेन डेड घोषित होने के बाद, रोगी का हृदय सामान्यत: कुछ ही समय के भीतर धड़कना बंद कर देता है।
- इससे जीवित अंग निकालने के लिए बहुत कम समय बचता है।
- यही वह समय है जब परिवार की सहमति प्राप्त की जाती है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (The National Organ and Tissue Transplant Organization-NOTTO) ने पूरे देश में ब्रेन डेड प्रमाणन पर एकसमान दिशानिर्देश तैयार करना आरंभ कर दिया है।

मानदंडों की आवश्यकता

- **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 (Transplantation of Human Organs and Tissues Act)** ब्रेन डेड के प्रमाणीकरण के लिए नियम निर्धारित करता है लेकिन ये अनिवार्य रूप से नैदानिक मापदंड हैं।
- नवीन दिशानिर्देश **चिकित्सीय-कानूनी समस्याओं** का समाधान करेंगे।
- **मस्तिष्क मृत्यु के संबंध में समझ की कमी** भारत में कम अंग दान के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक है। SOPs से इसे दूर करने में सहायता मिलेगी।

मानदंडों का महत्व

- **ब्रेन डेड प्रमाणन के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (Standard Operating Protocol-SOP)** से स्याह क्षेत्र दूर करने और साथ ही गहन देखभाल कर्मियों का सशक्तीकरण करने में सहायता मिलेगी।
- भारत में, निजी अस्पतालों में मृतक अंग दान सरकारी क्षेत्र से पीछे है। यदि SOPs का विकास होता है, तो इस अंतराल को भरा जा सकेगा।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन

- NOTTO एक **नोडल एजेंसी** है। यह अंग दान और **प्रत्यारोपण से जुड़े नीतिगत दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करती है**।
- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई है।
- इसमें निम्नलिखित दो प्रभाग हैं:

✓ राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कर्षण और भंडारण नेटवर्क (National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)

✓ राष्ट्रीय जैवसामग्री केंद्र (National Biomaterial Centre)

चुनौतियां

- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निजी और सरकारी अस्पतालों में एक समान प्रोटोकॉल रहा है। नवीन SOP से परस्पर **व्यापन और भ्रम पैदा** होगा।

आगे की राह

- भारत अभी भी 'अनुमानित सहमति पद्धति' का पालन नहीं करता है। इसमें यदि स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया होता है, तो रक्त संबंधी की सहमति के बिना अंग निकाले जाते हैं। यह भारत में अंग दान कम होने की समस्या हल करने का समाधान हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, अधिक स्वैच्छिक अंगदाताओं को आकर्षित करने के लिए अधिक जागरूकता प्रणाली की आवश्यकता है।

7.7. UGC की वित्तपोषण शक्तियां

(UGC's Funding Powers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने उच्च शिक्षा के पहरूए को उसकी वित्तीय शक्तियों से वंचित करने और उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) को सौंपने का निर्णय लिया है।

निहितार्थ

- यह शैक्षिक सुधारों की दिशा में एक कदम है। इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होगी और वह अंततः केवल एक प्रमाणन संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- इस प्रयोजन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले सप्ताह **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency-HEFA)** की स्थापना करने के लिए **केनरा बैंक** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। **HEFA अंतत: UGC की वित्तीय शक्तियां अधिग्रहीत** कर लेगा।
- HEFA अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ से IIT और IIM सहित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का वित्त पोषण आरंभ कर देगा।

सुधार क्यों

- UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं की **उपेक्षा और वर्षों से उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करने में उसकी विफलता**।
- इसके साथ ही, UGC और HRD मंत्रालय के बीच विभिन्न मुद्दों का परीक्षण करने के लिए केन्द्र द्वारा स्थापित **विशेष समिति** ने UGC की **वित्तीय शक्तियां वापस लेने की अनुशंसा** की है।

आगे की राह

TSR सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं और अन्य अनुशंसाओं के आधार पर भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए व्यापक सुधार किए जाने चाहिए।

7.8. कदियाम श्रीहरी समिति

(Kadiyam Srihari Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विषयों की जाँच-पड़ताल के लिए **कदियाम श्रीहरी** की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ एडवाइजरी एजुकेशन (CABE) की एक उप-समिति का गठन किया है।

CABE:

- शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए यह सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था है।
- **केन्द्रीय HRD मंत्री** इसके प्रमुख हैं और **लोकसभा व राज्यसभा** के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति इसके नामित सदस्य होते हैं।
- CABE का प्रमुख कार्य समय-समय पर शिक्षा के प्रगति की समीक्षा करना, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा शिक्षा नीति को कैसे और किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है, इसका मूल्यांकन करना और उन्हें इस विषय पर उपयुक्त परामर्श देना है।

7.9. अशोक कुमार रुपनवाल आयोग की रिपोर्ट

(Ashok Kumar Roopanwal Commission Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- HRD मंत्रालय ने हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में **रोहित वेमुला की मृत्यु की घटना की जाँच** करने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए इस एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

रिपोर्ट की सिफारिशें :

- पेशेवर सलाहकारों सहित **परामर्श केंद्र** स्थापित किए जाने चाहिए।
- विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों के विरुद्ध अपील करने के लिए विश्वविद्यालय को एक **अपीलीय तंत्र विकसित** करना चाहिए।
- छात्रों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों से सम्बन्धित मुद्दों पर मार्गदर्शन के लिए एक **निगरानी समिति के गठन की आवश्यकता है**। गम्भीर मुद्दों को तुरंत ही कुलपति के संज्ञान में लाया जाए।
- **UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता प्रोत्साहन) 2012** के नियमों के अनुसार, **एक भेदभाव विरोधी अधिकारी** की अगुवाई में **एक समान अवसर सेल** को क्रियाशील बनाना चाहिए।
- UGC (शिकायत निवारण) 2012 नियमों के अनुसार **ओम्बड्समैन (लोकपाल) की अगुवाई में एक शिकायत निवारण समिति** को प्रभावी बनाना चाहिए और उसके द्वारा प्रति सप्ताह शिकायतों का निवारण किया जाना चाहिए।
- बाहर से आये छात्रों के लिए एक **सशक्त प्रेरण कार्यक्रम**, एक **स्थानीय अभिभावक की व्यवस्था** तथा नए आये छात्रों के बेहतर अनुकूलन एवं उनको सहज बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के एक उपयुक्त स्वयंसेवी समूह द्वारा मदद की जानी चाहिए।
- अकादमिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था।
- छात्रावास के आवंटन और प्रबन्धन में प्रवेश के नियमों और **निर्देशों का सख्ती से अनुपालन**।

7.10. तेजस्विनी परियोजना

(Tejaswini Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में **विश्व-बैंक** ने **झारखण्ड** राज्य की किशोरियों और नवयुवतियों को सशक्त बनाने के लिए तेजस्विनी परियोजना हेतु **$63 मिलियन का ऋण** प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

तेजस्विनी के सम्बन्ध में

- इसका लक्ष्य किशोरियों और नवयुवतियों (14 से 24 वर्ष के बीच) को **बुनियादी जीवन कौशल** से सशक्त बनाना है और इसके साथ ही उन्हें अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरी करने और बाजार संचालित कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। विश्व-बैंक ने इस कार्यक्रम की स्वीकृति वर्ष 2016 में दी थी।
- परियोजना को **झारखण्ड के 17 जिलों** में कार्यान्वित किया जाएगा और इस कार्यक्रम से लगभग 6.8 लाख किशोरियों और नवयुवतियों के लाभान्वित होने की आशा है।
- भारत में **विश्व-बैंक की यह पहली ऐसी परियोजना** है जिसका पूरा ध्यान किशोरियों और नवयुवतियों के कल्याण पर केन्द्रित है।

तेजस्विनी परियोजना के सम्बन्ध में और अधिक:

परियोजना की विशेषताएं:

इसके **3 मुख्य घटक हैं,** जिनके नाम इस प्रकार हैं:

- सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों का विस्तार करना।
- सघन सेवा वितरण।
- राज्य की क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन में सहयोग।

परियोजना का संचालन **दो स्तरों पर** होगा:

- **समुदायिक स्तर:** इसमें समुदाय आधारित मंच जैसे **क्लब/केन्द्रों** में जीवन कौशल शिक्षा और आजीविका समर्थन सेवाओं के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, और किशोरियों एवं नवयुवतियों के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी का प्रसार किया जाएगा।
- **संस्थागत स्तर:** सहयोगी संस्थाएं लक्षित समूहों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कारोबारी कौशल प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगी।

जीवन कौशल शिक्षा के चार मुख्य मॉड्यूल हैं:

- **लचीलापन और सॉफ्ट स्किल**: इसमें संवाद और समस्या-समाधान कौशल, लक्ष्य निर्धारण और कठिन समय में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की तकनीक सम्मिलित हैं।
- **अधिकार और संरक्षण**: इसका सम्बन्ध बाल-विवाह, बाल-श्रम, सुरक्षित प्रवासन, लिंग-आधारित हिंसा और सेवाओं और अधिकारों से

है।

- **स्वास्थ्य और पोषण**: इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वयं और बच्चों की पोषण सम्बन्धी आदतें और लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्मिलित हैं।
- **वित्तीय साक्षरता**: यह मॉड्यूल गणना, बचत, बजट की शिक्षा और ऋण एवं वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में सहायक होगा।
- बैठकों/ सत्रों के आयोजन और आम लोगों को सामान्य रूप से और किशोरियों एवं नवयुवतियों को विशेष रूप से इस योजना और इसके परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाने में गैर-सरकारी संगठन बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

7.11. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project) (NCLP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैलाश सत्यार्थी ने **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** के बजट में केवल 8% की वृद्धि पर निराशा व्यक्त की है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

यह श्रम मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका मूल उद्देश्य रोजगार से हटाये गये बच्चों का उपयुक्त पुनर्वास करना है जिससे पहले से ज्ञात बालश्रम के सघन क्षेत्रों में बालश्रम की व्यापकता में कमी लाई जा सके।

NCLP निम्नलिखित के लिए प्रयासरत है:

सभी प्रकार के बालश्रम का निम्न उपायों से उन्मूलन:

- परियोजना क्षेत्र में बालश्रम की पहचान करना और सभी बच्चों को वहां से हटाना।
- काम से हटाये गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना।
- बच्चों और उनके परिवारों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- खतरनाक व्यवसायों से सभी **बाल श्रमिकों को हटाना** और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को सुगम बना कर, वर्तमान कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से उनकी कुशलता का दोहन अन्य उपयुक्त व्यवसायों के लिए करना।
- सभी हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच **जागरूकता बढ़ाना** और 'बाल श्रम' और 'खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को काम पर लगाने' के विरुद्ध NCLP और अन्य पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देना।
- **बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम** का निर्माण।

लक्षित समूह

- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में **14 वर्ष से कम आयु** के सभी बाल श्रमिक।
- लक्षित क्षेत्र में **खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम** के काम पर लगाये गये बाल श्रमिक।
- पहचान किए गए लक्षित क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार।

कार्यनीति

- लक्षित क्षेत्र में एक ऐसा सक्षम माहौल बनाना, जहाँ विभिन्न उपायों के द्वारा बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए और काम से दूर रहने के लिए प्रेरित हों।
- परिवारों के आय स्तर में सुधार के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।
- इसका कार्यान्वयन राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के बेहतर समन्वय से किया जाएगा।
- बालश्रम के उन्मूलन का संयुक्त उत्तरदायित्व रोजगार एवं श्रम मन्त्रालय और राज्य सरकारों का है।

अपेक्षित परिणाम:

- सभी प्रकार के बालश्रमों की पहचान और उन्मूलन में योगदान।
- लक्षित क्षेत्र में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत किशोरों की पहचान करना और उन्हें वहां से हटाना।
- बालश्रम से हटाये गए सभी बच्चों को सफलतापूर्वक नियमित विद्यालयों की मुख्य धारा में लाना और NCLPs के माध्यम से पुनर्वासन करना।
- खतरनाक व्यवसायों से हटाये गए उन किशोरों को, जो कौशल प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं, जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी रूप से स्वीकृत व्यवसायों से उन्हें सम्बद्ध करना।
- सोशल मोबिलाइजेशन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक् बेहतर जानकारी वाले समुदायों , लक्षित समूह और जनमानस को बालश्रम के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना।
- प्रशिक्षण के द्वारा NCLP कर्मचारियों और अन्य पदाधिकारियों की बालश्रम के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्षमता का निर्माण करना।

VISION IAS

7.12. हमारी धरोहर योजना

(Hamari Dharohar Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **"हमारी धरोहर योजना"** के अंतर्गत **सांस्कृतिक सद्भाव सम्मेलन समिति** की पहली बैठक कुछ समय पूर्व आयोजित की गई थी।
- इस समिति का गठन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया गया था, जो भारत की अल्पसंख्यक संस्कृति और धरोहर के सम्बन्ध में जागरूकता के प्रसार में सहायक हों।

हमारी धरोहर

- **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2014 में** अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध धरोहर को समग्र भारतीय संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए एक **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना** की शुरुआत की थी।
- इस योजना के क्रियान्वयन से यह उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और धरोहर से सम्बन्धित जागरूकता में वृद्धि होगी और देश की सामाजिक सरंचना सशक्त बनेगी।
- **प्रदर्शनियाँ, साहित्य/दस्तावेजों का सरंक्षण, सुलेखन को प्रोत्साहन और R&D** जैसी कुछ गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** में छह अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया जाना है। वे इस प्रकार हैं: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध ,जैन और पारसी**।
- अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने के लिए ***पढ़ो प्रदेश* और *नई रोशनी*** जैसी अन्य योजनाओं को भी प्रारंभ किया गया है।

7.13. ब्रेल एटलस

(Braille Atlas)

- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने हाल ही में अपनी तरह के पहले **ब्रेल एटलस** की शुरुआत की है, जिससे विशेष रूप से नेत्रहीन लोगों को मानचित्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सके।
- **नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन** द्वारा स्वदेश में ही विकसित **सिल्क-स्क्रीन पेंटिग तकनीक** द्वारा इस एटलस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में विकसित किया गया है।
- एटलस में भौतिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं जैसे नदी प्रणाली, फसल पैटर्न, प्राकृतिक वनस्पति, फसलों, सड़कों और रेलवे आदि के विभिन्न विषयों पर **20 मानचित्र** शामिल हैं।
- इसमें उभरे हुए मानचित्र हैं जिन में अलंकृत सरल रेखाओं और बिंदु प्रतीकों का उपयोग किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता आकृति और बनावट के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र और उसकी व्यापकता को सरलता से समझ सकें।
- प्रत्येक मानचित्र के मार्गनिर्देशन में सहायता के लिए **ब्रेल लिपि** में एक किंवदंती/कथा और सन्दर्भ भी है।
- भारत में पहला ब्रेल मानचित्र वर्ष **1997** में बनाया गया था।

नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन (NATMO), कोलकता

- इसकी स्थापना **वर्ष 1954** में भारत के राष्ट्रीय एटलस संकलन के लिए **राष्ट्रीय एटलस संगठन** के रूप में की गई थी।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत यह एक प्रमुख संस्था है और मुख्य रूप से विभिन्न **विषयक (थीमैटिक) मानचित्र** और **एटलस** तथा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर और अन्य कई मोनोग्राम बनाने का कार्य करता है।

7.14. पीसा

(PISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **HRD मंत्रालय** ने वर्ष 2021 से **PISA (*प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट*)** में फिर से भाग लेने का निर्णय लिया है।

PISA क्या है?

- **OECD (आर्गेनाइजेशन फॉर इकनोमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट)** द्वारा वर्ष 2000 में प्रारम्भ की गई वैश्विक आंकलन व्यवस्था है।
- यह किशोरावस्था के छात्रों (**15 वर्ष तक के**) के **पढने कि क्षमता, गणित और विज्ञान** में उनके सीखने के स्तर का परीक्षण करता है।
- यह परीक्षण **प्रत्येक तीन वर्षों** में किया जाता है।
- भारत ने वर्ष 2009 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इसका बहिष्कार किया था।
- PISA के आंकड़ों के उपयोग से भारत की विद्यालय व्यवस्था में सुधार ला कर उसे वैश्विक मानकों के समकक्ष लाया जा सकता है।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन

(National Mission on Monuments and Antiquities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन के दयनीय कार्यान्वयन को हाल ही में देखी गई मूर्तियों की चोरी के कारणों में से एक माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- **पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972** पुरावशेषों के अनिवार्य पंजीकरण को आज्ञापित करता है।
- संस्कृति मंत्रालय ने भारत में (सार्वजनिक या निजी) पुरावशेषों का प्रलेखन करने के लिए **राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (2007)** (NMMA) लांच किया है।
- आरंभिक रूप से इसका अनुमोदन वर्ष 2007 से 2012 (ग्यारहवीं योजना) हेतु 5 वर्षों के लिए किया गया था। बाहरवीं योजना में भी केंद्रीय योजना के रूप में इसे विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- वर्ष **2013 में स्मारकों तथा पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण** पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा में भारत की अधिग्रहण, प्रलेखन एवं संरक्षण प्रणालियों की दयनीय स्थिति पाई गयी।
- हाल ही में CBI एवं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुभाष कपूर द्वारा बड़े पैमाने पर पुरावशेषों की चोरी को पकड़ा है। इसका एक कारण **मूर्तियों का दयनीय प्रलेखन एवं इसके लिए विशेष बल का अभाव** है।
- विरासतों को संरक्षित करने हेतु हमारे मूल कर्तव्य के बाद भी, कई स्मारकों का दुरुपयोग होता है और उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया जाता। जैसे -प्रदूषण से प्रभावित ताजमहल।

NMMA के संबंध में

- यह विरासत मामलों, **विरासत स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण पर दिशा-निर्देशों का गठन करने** एवं **विरासत विधानों में उचित संशोधनों का सुझाव देने के लिए** परामर्श प्रदान करता है।
- यह योजनाकारों, शोधकर्ताओं, सरकारों इत्यादि को जानकारी का प्रसार करने एवं उनके बेहतर प्रबंधन में सहायता करने के लिए **निर्मित विरासत एवं स्थलों पर उपयुक्त डेटाबेस का प्रलेखन (documentation) एवं निर्माण** करता है।
- यह निर्मित विरासत, स्थलों और पुरावशेषों के सांस्कृतिक पहलुओं पर जागरूकता को भी बढ़ावा देता है एवं लोगों को संवेदनशील बनाता है।
- यह संबंधित राज्य विभागों, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, स्थानीय समुदायों इत्यादि को विरासत के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित करता है एवं क्षमता निर्माण भी करता है।
- यह स्मारकों एवं पुरावशेषों के संबंध में प्रकाशन एवं शोध में भी संलग्न है।
- यह निर्मित विरासत, स्थलों और पुरावशेषों के राष्ट्रीय थीमैटिक एटलस की रूपरेखा भी निर्मित करेगा।
- प्रलेखीकरण ASI एवं साथ ही आउटसोर्सिंग द्वारा उपलब्ध की गई एजेंसियों द्वारा भी किया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अन्य मिशन

1. **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन –** यह 2003 में आरम्भ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत की पांडुलिपि विरासत की पहचान, प्रलेखन, संरक्षण करना एवं उनकी उपलब्धता प्रदान कराना है।
2. **राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन –**

- इसका लक्ष्य राष्ट्रीय भारतीय वर्चुअल पुस्तकालय का निर्माण करना है।
- इसका लक्ष्य मॉडल पुस्तकालयों की स्थापना एवं पुस्तकालय पेशेवरों का क्षमता निर्माण करना भी है।
- राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसकी नोडल एजेंसी है।

सुझाव

- NMMA के उद्देश्यों को पूर्ण करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर इतालवी मॉडल पर आधारित मूर्ति चोरी से संबंधित समर्पित शाखा का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस प्रकार के मामलों की जांच CBI करती है।
- विरासत को संरक्षित करने एवं इसके प्रलेखीकरण को पूरा करने के लिए **अधिक बजटीय और वैकल्पिक वित्तपोषण** समय की माँग है।
- NMMA के कार्यान्वयन पर बेहतर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इसे **डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी प्रमुख योजनाओं से जोड़ा जाना** चाहिए।

VISION IAS

आगे की राह

- स्मारक और पुरावशेष हमारी सांस्कृतिक विरासत के सौन्दर्यशास्त्रीय पहलू का निर्माण करते हैं। इसलिए इनका प्रलेखीकरण किया जाना चाहिए एवं इसे बनाए रखा जाना चाहिए। सरकार को पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाने के लिए संशोधित भी करना चाहिए।

8.2. गणतंत्र दिवस की झांकी

(Republic Day Tableau)

सुर्ख़ियों में क्यों?

68 वें गणतंत्र दिवस पर 17 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों और छह मंत्रालयों की झांकियों ने देश के विभिन्न ऐतिहासिक, कला और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया।

8.2.1. ओडिशा-डोला जात्रा

(Odisha-Dola Jatra)

- डोला जात्रा या डोला मेलना या डोला महोत्सव भगवान कृष्ण की मूर्तियों के समामेलन का महोत्सव है।
- माना जाता है कि पूरे वर्ष भर भक्त देवी-देवताओं के दर्शन करने जाते हैं किन्तु फाल्गुन के महीने में देवी-देवता भक्तों से मिलने आते हैं।
- यह त्योहार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से पूर्णिमा तक मनाया जाता है।
- विभिन्न गांवों एवं विभिन्न शाही भागवत घरों से भागवत देवी-देवता, डोला अर्थात् काष्ठनिर्मित विशेष रूप से अभिकल्पित मंदिर में मेलना-पडिया (मैदान) में आते हैं।
- इस समामेलन को सम्पूर्ण ओड़िशा में विभिन्न गांवों, शहरों में मनाया जाता है। ओडिशी और गोतिपुआ नर्तक भी विमान/डोला के सामने प्रदर्शन करते हैं।

8.2.2. याक नृत्य - अरुणाचल प्रदेश

(Yak Dance-Arunachal Pradesh)

- याक नृत्य अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध जनजातियों (महायान संप्रदाय) के प्रसिद्ध मुखौटा नृत्यों में से एक है।
- इसका प्रदर्शन लोसर महोत्सव के दौरान किया जाता है।
- व्यक्तियों द्वारा याक की वेशभूषा एवं मुखौटे पहने जाते हैं और वे याक का सम्मान करने के लिए याक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं।
- मुखौटा पहने हुए नर्तक उस परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करतें हैं जिसने लोकमान्यता के अनुसार कई वर्ष पूर्व जादुई पक्षी की सहायता से याक की खोज की थी।
- याक को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

8.2.3. लाई हरोबा-मणिपुर

(Lai Haroba-Manipur)

- लाई हरोबा का अर्थ "देवताओं का उत्सव" है, यह मणिपुर के सबसे बड़े नृजातीय समूह- मैतियों का स्थानीय त्योहार है।
- लाई हरोबा का त्योहार ब्रह्मांड के निर्माण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। त्योहार में बारह कार्यक्रम होते हैं जो सृष्टि रचना के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करते हैं।
- गीत और नृत्य प्रदर्शन इस महोत्सव की विशेषता है और इसे अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है।

8.2.4. कर्नाटक के लोक नृत्य

(Folk Dances Of Karnataka)

डोल्लू कुनिथा

- डोल्लू कुनिथा, कुनिथा नृत्य का एक प्रकार है। इसका अन्य प्रकार **सुग्गी** है।
- यह नृत्य फसल के मौसम के दौरान व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है।
- मुख्य रूप से **गड़रिया समुदाय** (जिसे **कुरुबा** के रूप में जाना जाता है) द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला यह नृत्य नगाड़ों की धुन पर नृत्य को समाविष्ट करता है।

बयालता नृत्य

- यह दक्षिणी कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो फसल कटाई मौसम के अंत को इंगित करता है।

VISION IAS

- यह नाटक और संवाद को सम्मिलित करने वाला एक धार्मिक नृत्य है।

यक्षगान नृत्य

- यक्षगान नृत्य और नाटक का मिश्रण है।
- रामायण, महाभारत महाकाव्यों और पुराणों से चित्रित कथाओं को मंच पर प्रदर्शित किया जाता है।
- एक कथावाचक कहानी कहता है और साथ ही संगीतकारों द्वारा पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाए जाते हैं एवं अभिनेताओं द्वारा कहानी का अभिनय किया जाता है।

नागमंडल नृत्य

- यह दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में सम्पन्न किया जाने वाला रात्रिपर्यन्त चलने वाला अनुष्ठान होता है।
- इसमें जनन क्षमता का प्रतीक माने जाने वाले नागों को प्रसन्न करने का पारंपरिक कर्मकांड समाविष्ट होता है।
- यह नृत्य रूप पुरुष नर्तकों (जिन्हें वैद्य कहा जाता है) द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो मादा सर्पों (नागकन्याओं) जैसी वेषभूषा धारण करते हैं।
- नर्तक पवित्र भूमि पर चित्रित की गई अल्पना, जो सर्प आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, के चारों ओर नृत्य करते हैं।

8.2.5. चंबा रूमाल-हिमाचल प्रदेश

(Chamba Rumal-Himachal Pradesh)

- चंबा रूमाल, सूती या मलमल कपड़े पर रेशम के धागों की सहायता से की गई कढ़ाई का एक प्रकार होता है।
- इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के निकट चंबा गांव से हुई है।

8.2.6. कराकट्टम-तमिलनाडु

(Karakattam-Tamil Nadu)

- करागम के रूप में भी पहचाने जाने वाले इस लोकप्रिय लोक नृत्य की उत्पत्ति तंजावुर से हुई और वहां से यह समीपवर्ती क्षेत्रों में प्रसारित हुई।
- यह अगस्त के महीने में संपन्न किया जाने वाला एक कर्मकांडीय नृत्य है जिसमें कलाबाजी के करतब सम्मिलित होते हैं। यह स्वास्थ्य और वर्षा की देवी मरिअम्मन के प्रति समर्पित होता है।
- इसे एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

8.2.7. होजागिरि-त्रिपुरा

(Hojagiri-Tripura)

- यह त्रिपुरी लोगों के रियांग कबीले द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है।
- यह होजागिरि त्योहार (लक्ष्मी पूजा) के दौरान सम्पन्न किया जाता है। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा के बाद आने वाली पूर्णिमा तिथि को आयोजित की जाती है।
- यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है जबकि पुरुष सदस्य गायन एवं संगीत वाद्ययंत्र का वादन करते हैं।
- नर्तकियाँ बलिंग, बेंत की बनी चावल की सफाई करने वाली विस्तृत वृत्ताकार वस्तु, घड़े या कलश, बोतल, घरेलू पारंपरिक दीपक, साधारण थाली और रूमाल जैसी रंगमंच सामग्रियों का उपयोग करती हैं।

8.3. गुरु गोबिन्द सिंह की 350 वीं जयंती

(350th Anniversary Of Guru Gobind Singh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में गुरु गोविन्द सिंह की 350 वीं जयंती मनाई गई थी।

गुरु गोबिन्द सिंह के संबंध में

- ये 10वें सिख गुरु थे, इनका जन्म बिहार में हुआ था।
- इन्होंने **लंगर (सामुदायिक रसोईघर), संगत और कीर्तन (सामूहिक प्रार्थना)** जैसी एकीकरणकारी एजेंसियों की भूमिका निभाने वाली सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पूर्ववर्ती सिख गुरुओं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया।
- ये कवि और दार्शनिक थे, जिन्हें **'दशम ग्रन्थ' लेखन** का श्रेय दिया जाता है, जो भजन, दार्शनिक लेखन, आत्मकथा इत्यादि के संग्रह थे।
- इन्हें **गुरु ग्रन्थ साहिब/आदि ग्रन्थ का पुनः संकलन करने का श्रेय भी दिया जाता है,** जो सिख धर्म के अन्तिम एवं शाश्वत गुरु बने।
- इन्होंने संस्कृत, फ़ारसी, ब्रज इत्यादि भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की।
- इन्होंने अन्याय से युद्ध करने अर्थात् सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध संघर्ष करने, औरंगजेब जैसे तानाशाहों के धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, **खालसा (संत सैनिकों) नामक योद्धा समुदाय की स्थापना की।**
- इन्होंने **जफरनामा** नाम से प्रसिद्ध औरंगजेब को लिखे अपने पत्र में मुगलों को सिखों के प्रति किए गए दुष्कर्मों की गंभीरता का निरूपण किया। इन्होंने 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में उससे युद्ध भी किया।

VISION IAS

गुरु गोबिन्द सिंह के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

- धार्मिक कट्टरता को भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में कोई स्थान प्राप्त नहीं हैं। उन्होंने **सामाजिक समानता, विश्वबन्धुत्व, परोपकारिता और सामाजिक सेवा** पर जोर दिया।
- इन्होंने भक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण का शक्ति या सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध होने हेतु नैतिक और शारीरिक बल से समन्वय किया।
- खालसा पन्थ में जाति वर्जित थी और गुरु गोबिन्द सिंह ने **'सम्पूर्ण मानव जाति को एक जाति'** माना।

खालसा के संबंध में: खालसा अनुयायियों के लिए **पांच 'क' धारण करना** अनिवार्य था–

- केश (लंबे बाल) – ईश्वर द्वारा अभिप्रेत रूप के प्रति स्वीकृति दर्शाने के रूप में बालों को नहीं कटाना।
- कंघा – स्वच्छता का प्रतीक।
- कड़ा (इस्पात का कंकण) – खालसा को आत्म संयम का बारम्बार स्मरण दिलाने के लिए।
- कच्छा (घुटने तक लम्बे शॉर्ट्स) – युद्ध में जाने हेतु सदैव तैयार रहने के लिए।
- कृपाण (तलवार) – स्वयं की एवं कमजोर वर्ग की रक्षा करने के लिए।

8.4. भारतीय शाही नौसेना का विद्रोह

(Rin Mutiny)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह की 70 वीं वर्षगांठ 18 फरवरी 2017 को मनायी गई।

RIN विद्रोह के संबंध में

- यह 18 फरवरी, 1946 को आरम्भ हुआ और इसे प्राय: 'विस्मृत विद्रोह' कहा जाता है। यह विद्रोह नस्लीय भेदभाव की प्रतिक्रिया के रूप में आरम्भ हुआ, किन्तु **यह विद्रोह उत्पन्न होने के कारक** कुछ समय से अपनी भूमिका निभा रहे थे।
- उन्होंने RIN का नाम परिवर्तित कर 'भारतीय राष्ट्रीय नौसेना' करने की घोषणा कर दी।
- उन्होंने यह भी निर्धारण किया कि उनका संघर्ष अहिंसक होगा और आज के बाद वे 'केवल राष्ट्रीय नेताओं से' आदेश लेंगे।
- यह विद्रोह शीघ्र ही कोच्चि, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कराची और कोलकाता तक प्रसारित हो गया।
- कराची में गोरखाओं ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया।
- स्थानीय लोगों ने सैनिकों को नि:शुल्क भोजन देकर एवं विद्रोह के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का आयोजन करके सैनिकों (रेटिंग) को समर्थन प्रदान किया।
- हालांकि यह खाद्य पदार्थों के लिए विद्रोह के रूप में आरम्भ हुआ था किन्तु शीघ्र ही मांगों की एक औपचारिक सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें निम्नलिखित मांगें सम्मिलित थीं:

✓ भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्ध बंदियों और नौसेना बंदियों सहित सभी भारतीय राजनीतिक कैदियों की रिहाई।
✓ इंडोनेशिया और मिस्र से भारतीय सैनिकों की वापसी,
✓ समान स्तर के वेतन और भत्ते।
✓ इसने औपचारिक रूप से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए भी कहा।

- सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद सैनिक (रेटिंग) आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुए।

8.5. दारा शिकोह

(Dara Shikoh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली में डलहौजी रोड का नाम परिवर्तित कर दारा शिकोह रोड किया गया।

दारा शिकोह के संबंध में

- यह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे जिन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में इनको वरीयता दी थी। इन्हें औरंगजेब के साथ उत्तराधिकार संबंधी युद्ध में पराजय प्राप्त हुई।
- इस्लाम के गूढ़ पहलुओं और रहस्यवाद तथा हिन्दू दर्शन में इन्होंने अपनी आरंभिक जीवन रुचि विकसित की थी।
- ये दार्शनिक, सहिष्णु और बहुलतावादी थे, जिसने इस्लाम और हिंदू धर्म में सर्वनिष्ठ सूत्र-सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास किया।
- इनका **मज़मा-अल-बहरीन** (दो महासागरों का मिलन) धर्मों की विविधता एवं इस्लाम और हिन्दू धर्म तथा अन्य धर्मों की एकता, दोनों का ही अन्वेषण करने हेतु आरम्भिक लेखन कार्यों में से एक है।
- पंडितों की सहायता से इन्होंने उपनिषदों के 52 खण्डों को **सिर्र-ए-अकबर** (सबसे बड़ा रहस्य) नामक बृहत् ग्रन्थ के रूप में **संस्कृत से फारसी भाषा में** अनुवादित भी किया।
- इन्होंने लाहौर, इलाहाबाद, मालवा, गुजरात, मुलतान, काबुल और बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवाएँ प्रदान की थीं।

8.6. बेट द्वारका दर्शन सर्किट

(Bet Dwarka Darshan Circuit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **शहरी विकास मंत्रालय** ने केंद्रीय योजना - राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय:HRIDAY) के अंतर्गत गुजरात में **6 किमी** लंबे **बेट द्वारका दर्शन सर्किट** के विकास का अनुमोदन कर दिया है।

बेट द्वारका दर्शन सर्किट

- यह सर्किट प्रसिद्ध **द्वारिकाधीश हवेली एवं हनुमान दांडी** को आपस में जोड़ेगा।
- इस प्रसार के साथ दो महत्वपूर्ण जल निकाय हैं: **रणछोड़ तालाब और शंकुधर झील**।
- इस परियोजना के अंतर्गत सम्पन्न किए जाने वाले विकास कार्यों में सम्मिलित हैं: सड़कों का विकास, वृक्षारोपण, बेंचों, विश्रामस्थलों इत्यादि की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY)

- यह विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए **शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में** लांच की गई केंद्रीय योजना है।
- इस योजना को 12 अभिनिर्धारित शहरों अर्थात **अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल** में कार्यान्वित किया गया है।

शिलोत्कीर्णन (petroglyph): ये चट्टान के एक भाग को तक्षित कर (नक्काशी) निर्मित की गई छवियाँ होती हैं।

शिलालेख (Petrograph): ये शैल सतह पर की गई चित्रकारियाँ या आरेखण होते हैं।

एडक्कल गुफाएँ (Edakkal Caves)

- एडक्कल गुफाओं की खोज 1895 में मालाबार राज्य के तत्कालीन पुलिस अधिकारी फ्रेड फावसेट द्वारा की गई थी।
- वे केरल के वायनाड जिले में सुल्तान बाथरी तालुक में अवस्थित हैं।
- ये गुफाएँ तीन विशाल गोलाश्मों के असामान्य निक्षेपों से प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं।
- एडक्कल गुफाओं को नवपाषाण युगीन शिलोत्कीर्णनों के लिए जाना जाता है।

थोवारी पहाड़ियाँ

- थोवारी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पेट्रोग्लिफ 1984 में खोजे गए थे।

8.7. प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल की खोज

(Prehistoric Rock Art Site Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पुरातत्वविदों ने केरल के **वायनाड जिले में सुल्तान बाथरी तालुक** स्थित गांव में **अंबुकुथी पहाड़ियों** की तलहटी में प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला स्थल देखा है।

स्थल के संबंध में और अधिक जानकारी

- इस स्थल पर एडक्कल गुफाओं एवं थोवारी पहाड़ियों के समान ही शिलोत्कीर्णन एवं शिलालेख पाए जाते हैं।
- शिलोत्कीर्णन एवं शिलालेख आमतौर पर शैलाश्रयों में पाए जाते हैं लेकिन अंबुकुथी में वे झील के किनारे स्वतंत्र रूप से स्थित छह छोटे ग्रेनाइट खण्डों पर पाए गए हैं।
- इनकी शैली, रूपांकन और कारीगरी आश्चर्यजनक रूप से थोवारी के समान हैं। इनमें एडक्कल गुफाओं की भाँति गतिशील मुद्रा में मनुष्यों या पशुओं का चित्रण नहीं पाया जाता है।

8.8. माधव नवमी महोत्सव

(Madhwa Navami Festival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में कर्नाटक के उडुप्पी जिले में **माधव नवमी महोत्सव** मनाया गया।
- यह वार्षिक महोत्सव महान भारतीय दार्शनिक **श्री माधवाचार्य** की बद्रीनाथ के लिए की गई **यात्रा** के उपलक्ष में मनाया जाता है, जहाँ वह अपने गुरु वेद व्यास से मिलने के लिए गए लेकिन कभी लौटे नहीं।

श्री मध्वाचार्य

- ये एक भारतीय दार्शनिक एवं **द्वैत (द्वैतवाद) दर्शन** के प्रमुख प्रतिपादक थे।
- इनका जन्म 1238 ई. में कर्नाटक के उडुप्पी जिले में हुआ था और इन्हें **आनन्दतीर्थ** या **पूर्णप्रज्ञ** के रूप में भी जाना जाता है।
- इनके अनुयायी जिन्हें **मध्वाओं** के रूप में जाना जाता है, इन्हें वायुदेव का अवतार मानते हैं।
- इनका मत **सार्वभौमिक मोक्ष** के परंपरागत हिन्दू विश्वास से पर्याप्त भिन्न था, जो यह मानता है कि सभी आत्माओं को अंततः मोक्ष प्राप्त होगा भले ही यह कई लाख पुनर्जन्म लेने के बाद हो।

VISION IAS

- इन्होंने आत्माओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, ये श्रेणियाँ हैं **मुक्ति योग्य** (मुक्ति की अर्हता प्राप्त आत्माएँ), **नित्य संसारिन** (अनन्त पुनर्जन्म के अधीन आत्माएँ) और **तमो योग्य** (ऐसी आत्माएँ जिन्हें अंततः भुगतना पड़ेगा)।
- इन्होंने अपने अनुयायियों के नियंत्रणाधीन सभी उपासना स्थलों में **देवदासी प्रणाली** को निषिद्ध कर दिया।

द्वैत दर्शन (द्वैतवाद)

- यह प्राचीन भारत के वेदांत दर्शन की एक शाखा है।
- यह घोषित करता है कि ईश्वर और आत्मा पृथक-पृथक सत्ताएँ हैं और यह कि आत्माओं को ईश्वर द्वारा नहीं **बनाया** गया है अपितु वे अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं।
- यह शंकराचार्य के **अद्वैत दर्शन** के विपरीत है जो **एकात्मवाद (अद्वैतवाद)** में विश्वास करता है।

8.9. निलम्बुर सागौन: भौगोलिक संकेतक टैग

(Nilambur Teak: Gi Tag)

- केरल का **निलम्बुर सागौन** शीघ्र ही भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने वाला है।
- निलम्बुर केरल के मल्लपुरम जिले में अवस्थित है और यहाँ विश्व का **सर्वाधिक पुराना** सागौन वन है। यह विश्व के प्रथम **सागौन संग्रहालय** के लिए भी जाना जाता है।
- GI टैग वाले केरल के अन्य उत्पादों में पोक्कली चावल, वज़ाकुलम अनानास, वायनादन धान की किस्में **जीराकसाला** एवं **गंधकसाला**, **तिरुर पान वाइन, केन्द्रीय त्रावणकोर गुड़**, **चेंग्लिकोडं नेन्द्रन केले** इत्यादि सम्मिलित हैं।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के संबंध में

- यह ऐसा **संकेत** है जो किसी उत्पाद को किसी स्थान विशेष से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है जो उस उत्पाद को विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता प्रदान करता है।
- भारत में **भौगोलिक संकेतक पंजीकरण** का प्रशासन **वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और सुरक्षा) अधिनियम**,1999 द्वारा किया जाता है, जो 2003 में प्रवर्तित हुआ।
- GI टैग प्रदान किए जाने के बाद यह अगले 10 वर्षों के लिए वैध होता है।

8.10. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

(Indian Council For Cultural Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-पाक संबंधों में हाल ही में आई अशांति के बाद भी **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** ने पाकिस्तान के **कराची साहित्य महोत्सव, 2017** को प्रायोजित किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संबंध में

- यह वर्ष 1950 में **स्वतंत्र भारत** के **पहले** शिक्षा मंत्री **मौलाना अबुल कलाम आजाद** द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।
- इसके मुख्य **उद्देश्य** हैं:

✓ भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए।
✓ अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए।
✓ संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को स्थापित करने और विकसित करने के लिए।

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. गुड समैरिटन लॉ

(Good Samaritan Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, एक ऐसे युवा व्यक्ति के संबंध में कहानी प्रकाशित हुई थी जो कोप्पल, कर्नाटक में रक्तस्राव की अवस्था में पड़ा रहा जबकि प्रत्यक्षदर्शी उसके फ़ोटो लेते रहे और वीडियो बनाते रहे।

शामिल मुद्दे

- प्रत्यक्षदर्शियों को पुलिस, अस्पताल स्टाफ आदि के हाथों किसी भी उत्पीड़न या अत्याचार से रक्षा करने हेतु **कर्नाटक में बेहतर समैरिटन कानून (मुसीबत में मदद करने वाले) होते हुए भी** कोप्पल जैसी घटनाएँ अभी भी घिटत होती हैं।
- **उपभोक्तावादी समाज में अन्य लोगों को महत्व देने और उनका ध्यान रखने में निरंतर कमी।** उदाहरण के लिए पीड़ित के जीवन की रक्षा करने के स्थान पर कोप्पल के प्रत्यक्षदर्शी उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने में अधिक रुचि रखते थे।

समाहित नैतिक प्रश्न	क्या किया जाना चाहिए?
1. क्या केवल समैरिटन कानून, या विनियमन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण जीवन बचाने में सहायता कर सकता है?	• कानून अधिनियमित करने के अतिरिक्त लोगों में आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों की सहायता करने हेतु, **प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए।** • इसके अतिरिक्त, कानून में लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए **कानून को कठोरतापूर्वक** लागू किया जाना चाहिए।
2. कभी-कभी सामाजिक प्रभाव सहायता करने के इच्छुक व्यक्ति को हतोत्साहित करता है।	• यदि जीवन बचाने का लक्ष्य हो, तो व्यक्ति को सामाजिक प्रभाव के भय से मुक्त होकर सहायता करनी चाहिए।

क्या किया जाना चाहिए?

- राज्य एजेंसी के संबंध में लोगों की धारणा को परिवर्तित करने का प्रयास करने वाला कोई कानून स्वयं **एजेंसी के व्यवहार में समांतर परिवर्तन की मांग** करता है। इस मामले में पुलिस जांच एवं कानून प्रवर्तन में सुधार किया जाना चाहिए।
- लोगों को अन्य लोगों की सहायता करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मुसीबत में सहायता करने वाले **अच्छे लोगों के नामों का प्रचार करने की आवश्यकता** है।
- गुड समैरिटन लॉ पर पुलिस प्रशासन द्वारा एवं साथ ही अस्पताल के स्टाफ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के **दिशा-निर्देशों का कठोर प्रवर्तन** समय की मांग है।
- **व्यावहारिक उदाहरणों और पाठ्यक्रम में परिवर्तन** के माध्यम से युवा पीढ़ी एवं लोगों को शिक्षित करना भी मुसीबत में मदद करने वाला बनने के लिए अग्रगामी कदम हो सकता है।
- दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने से टालने के लिए सभी को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सिखाए जाने की आवश्यकता है।

(गुड समैरिटन लॉ के दिशानिर्देशों के लिए, कृपया VISION IAS के 2015-16 के PT 365 सामाजिक मुद्दे माड्यूल का संदर्भ लीजिए।)

9.2. व्हिसल ब्लोइंग

(Whistle Blowing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में व्हिसल ब्लोअर संस्थानों ने आरोप लगाया कि दवा कंपनी फाइजर (Pfizer) द्वारा -
- भारत में किडनी कैंसर की दवा Torisel का अवैध रूप से आयात एवं उसकी अनुचित ब्रांडिंग की जा रही है।
- ✓ Medrol नामक एक स्टेरॉयड को विस्तारित एक्सपायरी डेट के साथ बेचा जा रहा है।
- ✓ इसकी न्यूमोकोकल वैक्सीन Prevenar का परीक्षण मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।
- व्हिसल ब्लोअर द्वारा कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग में आपत्तियाँ दर्ज कराए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवेदन दिया गया है।

शामिल मुद्दे

- **RTI और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे हाल ही के अधिनियमों** के साथ संगठन में व्याप्त आंतरिक समस्याओं को प्रकट करने वाले कई व्हिसल ब्लोअर उभरकर आए हैं।
- **केन्द्र राज्य समन्वय -** केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (Central Drug Standard Control Organization: CDSCO) केवल नीतिगत मामलों से संबंधित है। दवा विनियमन पर दैनन्दिन परिचालन गतिविधियाँ राज्य औषध विनियामक अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती हैं।

समाविष्ट नैतिक प्रश्न	क्या किया जाना चाहिए?
1. क्या व्हिसल ब्लोइंग सही है? क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रकार है?	• व्हिसल ब्लोइंग संगठन के निम्नस्तरीय आंतरिक शिकायत तंत्र का एक विकल्प है। • यदि व्हिसल ब्लोइंग सार्वजनिक हित के लिए सम्पन्न की जाती है तो इसे नैतिक माना जाता है। • अगर यह निजी हितों के लिए अपनाई जाती है, तो यह नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए व्हिसल ब्लोइंग द्वारा कंपनी के हितों को क्षति नहीं पहुँचाई जानी चाहिए, जैसे उनके व्यवसाय संबंधी रहस्यों को उजागर करना।
2. अपने उपभोक्ताओं के प्रति कंपनियों की जवाबदेही।	• अपने शेयरधारकों और हितधारकों दोनों को संरक्षित करना एवं उनके प्रति सच्चा होना, कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। • भारत में, कानून सर्वोच्च है। इसलिए व्यक्ति एवं यहां तक कि कंपनियाँ भी इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं।

व्हिसल ब्लोइंग के प्रभाव

- यह संगठन में होने वाले किसी भी **भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग को उजागर** करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में अनियमितताओं को उजागर किया था।
- यह व्यापक रूप से जनता के सामने सच्चाई को उजागर करने में सहायता करता है एवं **संगठनात्मक संचालनों में पारदर्शिता में सुधार करता है।**

क्या किया जाना चाहिए?

- **व्हिसल ब्लोअर की पहचान को सुरक्षित करने** एवं साथ ही व्हिसल ब्लोअर को संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सख्त कानून होना चाहिए।
- व्हिसल ब्लोअर को संरक्षित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने के सर्वोच्च निर्णय का कार्यान्वयन केन्द्र द्वारा किया जाना चाहिए।
- हितधारकों को व्यापक रूप से सामाजिक लेखा परीक्षाओं का नियोजन कर अधिक से अधिक जांच के प्रति सिम्मलित किया जाना चाहिए।.
- सरकारी विभागों को तत्काल पढ़ने योग्य और आसानी से **समझे जा सकने योग्य सिटिज़न चार्टर स्थापित करने का आदेश** दिया जाना चाहिए।
- यदि व्हिसल ब्लोअर सरकार की आधिकारिक गोपनीय जानकारी या कंपनी की व्यापार संबंधी गोपनीय जानकारियों को उजागर करने में संलग्न है तो एक स्वतंत्र जांच के बाद गंभीर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए।

आगे की राह

- हाल ही में उद्घाटित **सिटिजन्स व्हिसल ब्लोअर फोरम** उनका संरक्षण करने की दिशा मे सही कदम है। इसके अतिरिक्त सरकार को व्हिसल ब्लोइंग के संबंध में लंबित विधेयक भी पारित करना चाहिए। कंपनी की पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी सुधार होना चाहिए ताकि व्हिसल ब्लोइंग पर निर्भरता को कम करके न्यूनतम किया जा सके।

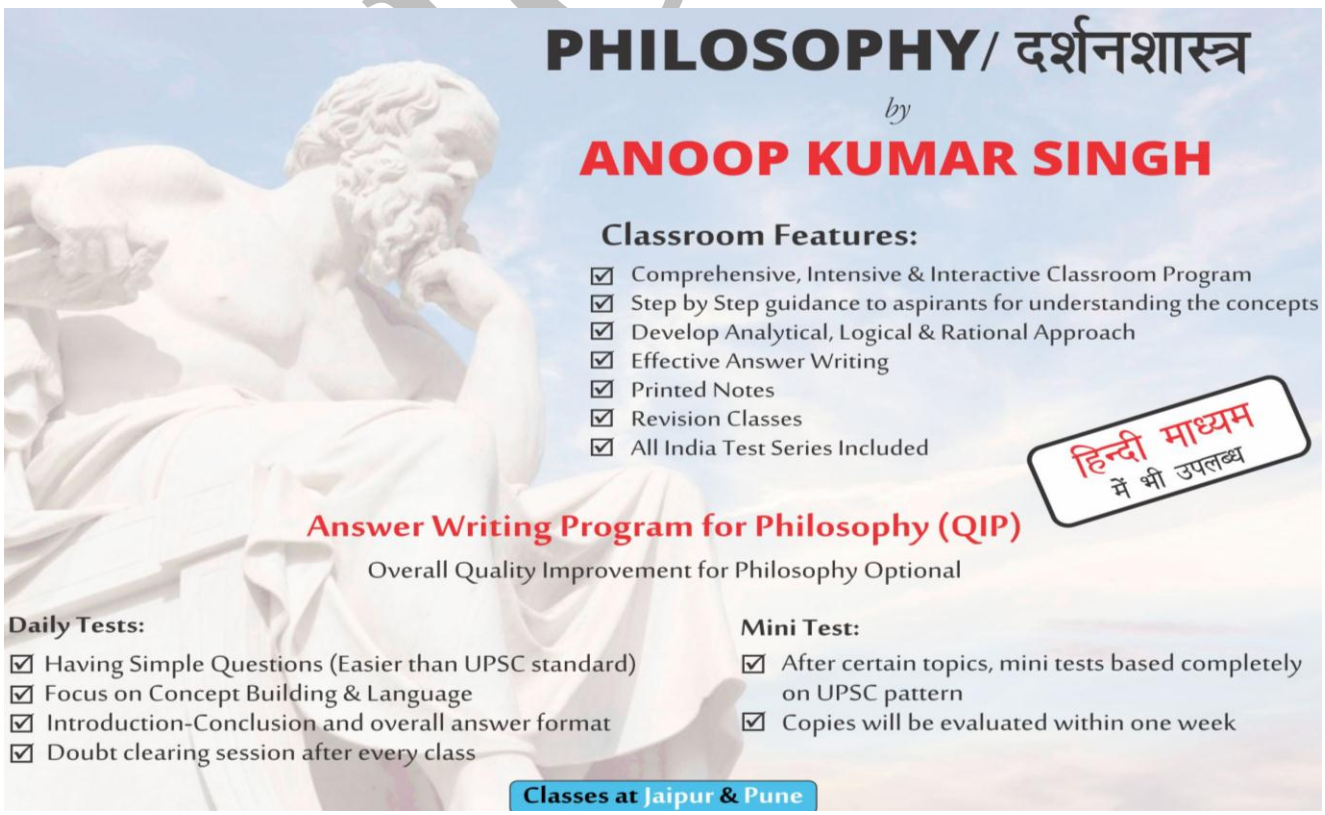

10. सुर्ख़ियों में:

(ALSO IN NEWS)

10.1. सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीश की नियुक्ति

(Supreme Court Gets Five Judges)

- सर्वोच्च न्यायालय में पांच और न्यायधीशों को शपथ दिलाई गयी जिससे न्यायधीशों की वर्तमान में कुल संख्या 28 हो गयी है।
- SC के न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 124 (2) के तहत् की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या:

- वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम संख्या 31 (एक मुख्य न्यायधीश और तीस अन्य न्यायाधीश) हो सकती है।
- वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के (न्यायधीशों की संख्या) अधिनियम, 2008 का अनुसरण करते हुए SC न्यायधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई है।
- मूल रूप से यह संख्या 8 थी जो वर्तमान में पांच गुना हो गई है।

10.2. बेनामी कम्पनियों के लिए अन्तर्विभागीय कार्यबल

(Inter-Departmental Task Force for Benami Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विभिन्न नियामक मंत्रालयों और प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों को सम्मिलित कर बेनामी कम्पनियों पर कड़ी कार्यवाही हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- बेनामी कम्पनियों के एक सूक्ष्म सैम्पल जाँच में जब यह पाया गया कि विमुद्रीकरण के पश्चात नवम्बर–दिसम्बर की अवधि में इन बेनामी कम्पनियों में 1,238 करोड़ रूपए नकद जमा किए गए तो उसके कुछ दिनों के पश्चात यह कार्यवाही की गयी थी।
- सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (Serious Fraud Investigation Office) ने 49 बेनामी कम्पनियों एवं अन्य प्रोपराईटर्स स्कीम के समूह का संचालन करने वाले प्रविष्टि संचालकों के विरुद्ध जाँच के पश्चात राष्ट्रीय राजकोष के साथ धोखाबाजी के कारण आपराधिक अभियोजन का मामला दर्ज किया।
- भारत में लगभग 15 लाख पंजीकृत कम्पनियां हैं, जिनमे से केवल 6 लाख अपना वार्षिक टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह संदेह होता है कि यह कम्पनियां वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त हैं।

कार्यबल के सम्बन्ध में

- राजस्व सचिव और कम्पनी मामलों के सचिव की सह-अध्यक्षता में कार्यबल का गठन विभिन्न एजेंसियों के कार्यों पर निगरानी हेतु किया गया है।
- इन बेनामी कम्पनियों के विरुद्ध, कठोर बेनामी लेन-देन (निषेद्ध) संशोधन अधनियम के अंतर्गत, उनके खातों के इस्तेमाल पर रोक लगाना और निष्क्रिय कम्पनियों का नाम हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
- जो व्यवसायी, कम्पनियों और प्रविष्टि संचालकों की अघोषित आय को बैंकिंग प्रणाली में व्हाईट मनी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10.3. विसल्ब्लोअर शिकायतों के लिए नागरिक मंच

(Citizens' Forum for Whistleblower Complaints)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रख्यात व्यक्तियों के एक समूह ने विसल्ब्लोअर की भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सुनने के लिए एक नागरिक विसल्ब्लोअर मंच (सिटीजन विसल्ब्लोअर फोरम :CWF) की स्थापना की है।
- विसल्ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम को संसद ने 2011 में पारित किया था। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक इस अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया है।

इस पहल के सम्बन्ध में

- इस मंच के संस्थापक सदस्यों में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऐ.पी.शाह (अध्यक्ष), प्रशांत भूषण, पूर्व CIC वजाहत हबीबुल्लाह, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय आदि हैं।
- शिकायतों की जाँच के पश्चात, मंच प्रत्येक मामले/केस के आधार पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेगा। इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं:

✓ सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष मुद्दे को प्रस्तुत करना।

- ✓ न्यायालयों में PIL दायर करना।
- ✓ मुद्दों को सार्वजनिक करना।

10.4.डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन

(Promoting Digital Transactions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने का उत्तरदायित्व नीति आयोग से सूचना प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रोनिक मंत्रालय (MEITY) को स्थानांरित कर दिया गया है।

महत्त्व

- डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व MEITY को स्थानांरित कर सरकार विशिष्ट मंत्रालयों की मूल दक्षताओं का उपयोग करने का प्रयास कर रही है।
- नीति आयोग की भूमिका निगरानी करना और सरकारी योजनाओं में सुधार के उपायों के बारे में सुझाव देना और IT-सक्षम सेवाओं का विकास करना है।

10.5. पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा

(East Coast Economic Corridor)

- भारत और ADB ने 800 किमी लंबे विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे, जो 2,500 किमी लंबे योजनाबद्ध पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारे का पहला चरण है, के विकास के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है।

पूर्वी-तटीय आर्थिक गलियारे के बारे में:

- यह भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है जो पश्चिमी बंगाल में कोलकता से लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरिन तक जाता है।

(अधिक जानकारी के लिए कृपया समसामयिकी के सितम्बर 2016 के अंक को देखें)

10.6. सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवाओं को वहनीय (सस्ता) बनाया

(Supreme Court Makes Legal Services Affordable)

- सर्वोच्च न्यायालय ने वहनीय (सस्ती) विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 'मध्यम आय समूह योजना' (मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम) प्रारम्भ की है, जिसके तहत योजना से सम्बद्ध अनुसूची के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा।
- यह योजना 'सर्वोच्च न्यायालय मध्यम आय समूह विधिक सहायता सोसायटी' नामक सोसाइटी द्वारा प्रशासित होगी, जिसका पंजीकरण इसी उद्देश्य से किया गया है। इस सोसायटी के मुख्य सरंक्षक भारत के मुख्य न्यायधीश तथा पदेन उपाध्यक्ष महान्यायवादी होंगे।
- इससे लाभ प्राप्त करने वाले सर्वोच्च न्यायालय में वे वादी होंगे, जिनकी कुल आय 60,000 रूपये प्रतिमाह या वार्षिक आय 7.5 लाख रूपये से कम है।

प्रासंगिक संविधानिक प्रावधान:

- नि:शुल्क विधिक सहायता या नि:शुल्क विधिक सेवा का अधिकार, एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गयी है तथा भारत के संविधान के **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायोचित स्वतंत्रता** के आधार का निर्माण करता है।
- अनुच्छेद 39-A में कहा गया है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

10.7. सिटी वेल्थ इंडेक्स

(City Wealth Index)

- इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसलटेंट नाईट एंड फ्रैंक द्वारा प्रकाशित सिटी वेल्थ इंडेक्स, 2017 (City Wealth Index) के अनुसार मुम्बई को 21वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई का स्थान टोरेन्टो, वाशिंगटन डी.सी और मास्को से पहले है।
- लोकप्रिय मत के विपरीत इस सूचकांक से ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात भारत में मुम्बई अभी भी सभी वित्तीय पहलुओं सहित कोरपोरेट हब के रूप में दिल्ली से आगे है।
- यह सूचकांक 89 देशों में बढती हुई अत्यंत समृद्ध आबादी पर नजर रखता है और उन मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो अल्ट्रा-हाई व्यक्तियों की शुद्ध सम्पत्ति, निवेश और जीवनचर्या के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

10.8. गतिशील श्रमिक अधिक उत्पादक हैं: ILO की रिपोर्ट

(Mobile Workers More Productive: ILO Report)

- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ (ILO) ने अपनी *"वर्किंग एनीटाइम, एनीव्हेयर: द इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क"* नामक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में यह कहा है कि वैतनिक कार्य को परम्परागत कार्यालय स्पेस से पृथक करने के चलन में वृद्धि हो रही है।
- औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लगभग 19% भारतीय गतिशील श्रमिक हैं।

गतिशील श्रमिकों के लाभ

- यात्रा के समय में कमी
- कामकाज में समय की बेहतर स्वायत्तता के परिणामस्वरूप संगठन के कार्यसमय एवं समग्र कामकाज और जीवन में बेहतर संतुलन तथा उत्पादकता।
- यह समावेशी श्रम बाजारों और समाजों को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि इससे श्रम बाजार में, कुछ अन्य विशेष समूह जैसे वृद्ध श्रमिक, युवा महिलाओं और बच्चों की भागीदारी में वृद्धि होती है।

भविष्य की चुनौतियाँ

- भारत में कम्पनियों और सरकारी की नीतियों में इस विषय पर चर्चा अभी आरम्भ ही नहीं हुई है। सभी भागीदारों को तेजी से बदलती हुई इस कार्यपद्धति को अपनाने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- शारीरिक रूप में दूर बिखरे हुए अधीनस्थो पर नियन्त्रण या निगरानी की असमर्थता के कारण, प्रबन्धक टेलीवर्किंग का विरोध कर सकते हैं।
- कार्यालय से कार्य करने वालों द्वारा किये गए ओवरटाइम के 60 प्रतिशत की तुलना में टेलीवर्कर्स द्वारा किए गए ओवरटाईम के 80 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जाता है।

10.9. ई-लाभ

(E-Laabh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- लक्षित लाभार्थियों को LPG की भांति सब्सिडी का नकद भुगतान करने हेतु पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग ने एक ई-लाभ सॉफ्टवेयर लांच किया है।

लाभ:

- प्रत्येक बार मवेशियों की चारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु पहले किसानों को कम से कम तीन बार उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती थी, परन्तु वर्तमान में केवल एक बार दस्तावेजों की प्रमाणीकरण के लिए जाना होगा।
- विभाग द्वारा नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से चारे की सरकारी खरीद एवं किसानों को चारा वितरण प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- अब किसानों के पास गुणवत्तायुक्त चारा खरीदने के विकल्प उपलब्ध हैं।
- दीर्घ काल में, यह उत्पादन में वृद्धि एवं बछड़ों के स्वास्थ्य में सुधार को भी प्रोत्साहित करेगा।
- संविदा प्रक्रिया, सरकारी खरीद, भंडारण और वितरण व्यय में विभाग को बचत होगा।
- यदि संकल्पना सफल हो जाती है तो यह यूनिवर्सल बेसिक इन्कम स्कीम की अग्रगामी बन जाएगी। इस प्रकार यह लाभार्थी को सभी योजनाओं में दी गयी सब्सिडी के कुल योग के बराबर नकद की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हुए यूनिवर्सल बेसिक इन्कम स्कीम की नीव रखेगी। कुल सब्सिडी को नगद के रूप में देने से सभी लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकेंगे।

सुनंदिनी योजना

- यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो वर्षीय कार्यक्रम है। इसमें डेयरी किसानों को सब्सिडी प्राप्त चारा, दो मादा बछड़ों की स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- इस योजना के द्वारा किसानों को दो वर्ष तक चारे की आपूर्ति की जाएगी।

10.10. इंडिया रेस्पोंसिबल बिजनेस इंडेक्स

(India Responsible Business Index)

- यह 2015 में प्रारंभ किया गया एक मापदंड है, जिसको यह अवलोकित करने हेतु प्रारंभ किया गया है कि कोई कंपनी सामाजिक रूप से कितनी समावेशी है।
- ऑक्सफैम इंडिया, कॉर्पोरेट रिस्पान्सबिलिटी वाच, प्रैक्सिस और पार्टनर इन चेंज का गैर-लाभकारी सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह सूचकांक, कारोबारियों द्वारा ऐसे वातावरण के निर्माण के प्रयास को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें श्रमिकों और आपूर्ति श्रंखला के अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है।

- यह BSE में सूचीबद्ध सर्वोच्च 100 कम्पनियों के प्रदर्शन को, पांच मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग करती है:
- ✓ आपूर्ति श्रृंखला की समग्रता
- ✓ व्यापार में एक भागीदार के रूप में समुदाय
- ✓ सामुदायिक विकास
- ✓ कर्मचारी की मान-मर्यादा और मानवाधिकारों का सम्मान
- ✓ कार्यस्थल पर भेदभाव रहित वातावरण
- वर्ष 2016 के सूचकांक में इन सभी तत्वों में अत्यल्प सुधार देखा गया है।

10.11. वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष शाखा

(Special Arm under commerce ministry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भविष्य की व्यापार नीति के लिए सरकार द्वारा अधिकृत एक वैश्विक परामर्शदाता फर्म की रिपोर्ट में "वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष शाखा" का सुझाव दिया गया है। वर्तमान समय में इसका संचालन PMO और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत के भविष्य व्यापार (नीति) प्रतिरूप का संचालन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए एवं विदेश मंत्रालय को इसकी सहायोगी भूमिका में होना चाहिए।
- देश के व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली सभी गतिविधियों में महानिदेशक, विदेश व्यापार (DGFT) को शीर्ष भूमिका प्रदान की जाए।
- व्यापार नीति और व्यवस्था के विषय में भारतीय व्यापार सेवा (ITS) की उच्चतर भूमिका के लिए सशक्त परिस्थिति का निर्माण करती है।
- वर्तमान समय में, व्यापार नीति के महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णयन के संबंध में IAS, IRS और IFS के अधिकारियों की ITS कैडर की तुलना में श्रेष्ठ भूमिका रहती है।
- कार्य निष्पादन के लिए व्यापक रूप से डिजिटल मंच का उपयोग किया जाना चाहिए।
- व्यापार नीति निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त पेशेवरों की भर्ती होनी चाहिए।

DGFT की क्या भूमिका है?

- विदेशों में व्यापार प्रतिनिधित्व, अनुसंधान और विकास, बाजार सूचना, व्यापारिक गठजोड़ सेवा के अतिरिक्त जन-सम्पर्क, विज्ञापन और बाजार सेवाएं प्रदान करना।

रूपांतरित DGFT की भूमिका (DGFT 3.0 उदारीकरण से पूर्व और पश्चात पहले के दो संस्करण हैं)

- (विदेश व्यापार) पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।
- निर्यात प्रोत्साहन अभियान चलाना
- औद्योगिक व्यापार मेले ।
- लघु और मध्यम फर्मों पर अधिक ध्यान देना।

महत्त्व:

- इससे भारत के ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार होगा (वर्तमान में इसका स्थान 130/190 है)
- डिजिटल तकनीक का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने से सीमा-पार व्यापार और व्यापार की सुगमता (ease of doing business) में सुधार होगा।
- दिसम्बर 2014 से हुए संकुचन और हाल के विमुद्रीकरण से प्रभावित वस्तुओं के निर्यात को दोबारा शुरू करना।
- व्यापारिक कामकाज में सरकार की समन्वयक और समर्थकारी भूमिका निर्वहन करने की नीति में यह लघु परंतु दक्ष (small yet efficient) के समान उचित रूप से फिट बैठता है।

10.12. रक्षा नवोन्मेष निधि

(Defence Innovation Fund)

- रक्षामंत्री ने रक्षा-क्षेत्र में निकट भविष्य में स्थापित होने वाली स्टार्ट-अप के प्रोत्साहन के लिए एक **रक्षा नवोन्मेष निधि (Defence Innovation Fund)** की स्थापना की घोषणा की है।
- 100 करोड़ रुपयों की इस निधि की स्थापना में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्राथमिक योगदान रहेगा।
- इस निधि से पहचान किए गए क्षेत्रों में नवोन्मेष और विकास को सहयोग प्रदान किया जाएगा और यह भारतीय और विदेशी फर्मों दोनों ही के लिए उपलब्ध होगा।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE

GS PRELIM cum MAINS 2018

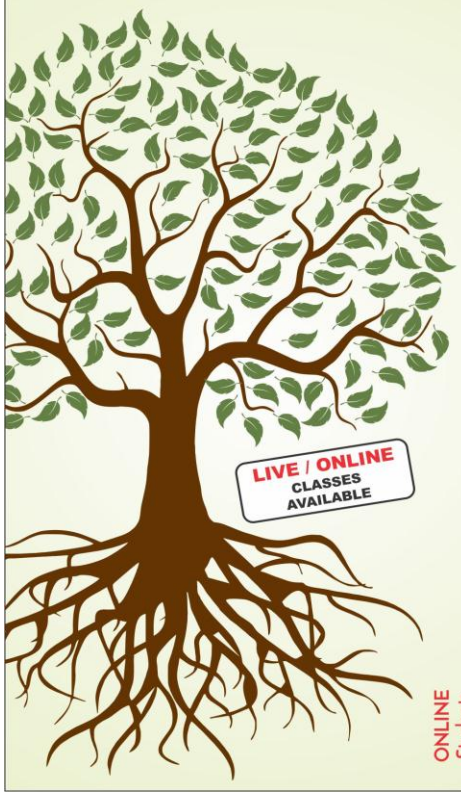

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Regular | Weekend — DELHI | 10th April

PUNE | JAIPUR | HYDERABAD | 15th May

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018 (Online Classes only)
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS 2017 GS PAPER - 1

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series of 2017
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 for 2017 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination
- **The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Mains 2017 exam.**

Duration: 90 classes (approximately)

FOUNDATION COURSE
GS MAINS 2017

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series of 2017
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 for 2017 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material
- **The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Prelims 2018 exam**

Duration: 110 classes (approximately)

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

10.13. राष्ट्रीय महिला संसद

(National Women's Parliament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आंध्रप्रदेश विधान सभा और अमरावती के एक शासकीय विद्यालय ने हाल ही में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय महिला संसद (NWP) का आयोजन किया।

राष्ट्रीय महिला संसद के सम्बन्ध में:

- यह पहली ऐसी पहल है, जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की 10,000 बालिकाओं को प्रख्यात महिलाओं से मिलाया जाएगा।
- राष्ट्रीय महिला संसद का विषय था **'महिला सशक्तिकरण – लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण (Empowering Women — Strengthening Democracy)।"**
- इसने महिला संसद के विषय पर विविध पृष्ठभूमि के लोगों (सरकारी, NGOs, इत्यादि) को अपने विचार एवं ज्ञान साझा करने हेतु एकत्रित किया। कुल सात सत्रों में निम्नलिखत विषयों पर चर्चा की गयी:

✓ महिला सशक्तिकरण में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ।
✓ महिलाओं की स्थिति और निर्णय-निर्माण।
✓ भविष्य के लिए अपनी पहचान एवं विजन का निर्माण।

10.14. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishore Swasthya Karyakram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)** के एक भाग के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किशोरों के लिए "**साथिया संसाधन किट**" और "**साथिया सलाह**" नामक मोबायल एप लांच किए हैं।

एप के सम्बन्ध में

- इस किट को सहकर्मी शिक्षकों की सहायता के लिए प्रारम्भ किया गया है, जो RKSK के एक महत्त्पूर्ण घटक हैं, किशोरों से संवाद स्थापित करने और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी प्रश्नों का आरंभिक/ग्राम स्तर पर ही उत्तर देने के लिए प्रारम्भ किया गया है।
- सहकर्मी शिक्षकों (1.6 लाख) को "**साथिया**" (किशोरों के एक मित्र) के रूप में जाना जाएगा और इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।
- संसाधन किट में एक एक्टिविटी पुस्तिका, भ्रान्ति-क्रांति गेम, प्रश्नोत्तरी पुस्तक और एक शिक्षा डायरी सम्मिलित होगी।
- कोई भी किशोर जो लज्जावश या ऐसे किसी भी कारण से सहकर्मी शिक्षक से बातचीत नहीं कर पाते, उसके परिवार के सदस्य "**साथिया-सलाह मोबाइल एप"** या टोल फ्री **साथिया हेल्पलाइन** के माध्यम से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में (नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोगाम)

- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा इसे किशोरों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के समग्र समाधान हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** के अंतर्गत वर्ष 2014 में प्रारम्भ किया गया था।

10.15. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम

(Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** द्वारा अपनी 8 योजनाओं को **राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK)** के रूप में एकीकृत कर दिया गया है।

योजना के सम्बन्ध में:

- यह योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना के रूप में कार्य करेगी।
- जो योजनाएं RYSK में एकीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:

✓ नेहरु युवा केंद्र संगठन (NYKS)
✓ राष्टीय युवा कोर (NYC)
✓ राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD)
✓ यूथ हॉस्टल (YH)
✓ स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों के लिए सहायता
✓ राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS)

VISION IAS

✓ राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम (NYLP)

- इस योजना के तहत् राष्ट्रीय युवा नीति 2014 की "युवा" की परिभाषा के अनुसार 15-29 आयुवर्ग के युवाओं को लाभ मिलेगा।
- मंत्रालय की दो योजनाओं को इस अम्ब्रेला-योजना से बाहर रखा गया है। उनके नाम हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD)।
- योजनाओं का एकीकरण, वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के उपयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के बेहतर कार्यान्वन एवं प्रभावकारिता में सुधार करने में मदद करेगा।

10.16. खेलो इंडिया योजना

(Khelo India Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ***खेलो इंडिया*** राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन जनवरी में किया गया था।
- युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय, *खेलो इण्डिया* योजना के अंतर्गत ग्रामीण खेलों को "**ग्रामीण खेल महाकुम्भ"** के नाम से आयोजित करने की तैयारी में है।

खेलो इंडिया योजना

- यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान कर के तृणमूल स्तर की प्रतिभा का विकास करना है।
- *खेलो इंडिया* योजना गुजरात के "खेल महाकुम्भ" प्रारूप पर आधारित है, जिसमे देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र 27 विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं।
- वर्ष 2016 में भारत सरकार ने **राजीव गाँधी खेल अभियान** का **खेलो इण्डिया योजना** में विलय कर दिया है।
- खेलो इण्डिया अम्ब्रेला में लाई गई दो अन्य योजनाएं हैं: **शहरी खेल आधारभूत ढांचा योजना (Urban Sports Infrastructure Scheme-USIS) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (National Sports Talent Search Scheme-NSTSS)**।

10.17. इम्प्रवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस

(Improvised Explosive Devices ; IED)

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नेशनल बम डेटा सेंटर (NBDC) द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में IED संबंधी विस्फोट की घटनाओं में 26% की वृद्धि देखी गई।

IED के संबंध में

इसे **पांच मूल भागों** के साथ **होम मेड बम** कहा जा सकता है:

- **विद्युत आपूर्ति**, प्राय: कार बैटरियों या क्षारीय टॉर्च बैटरियों (ऐल्कलाइन फ्लैक्षाइट बैटरीज) द्वारा प्रदान की जाती है।
- **ट्रिगर** या डिवाइस को आरम्भ करने के लिए कोई अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन, जैसे रेडियो सिग्नल, ट्रिप वायर, किसी के द्वारा दबाया जाने वाला टाइमर या फायरिंग बटन। **रिमोट ट्रिगर** का एक सामान्य रूप सेल फोन है।
- **डेटोनेटर**, लघु विस्फोटक आवेश जो मुख्य आवेश को आरम्भ करता है। ये आम तौर पर निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटों के समान वैद्युतीय होते हैं।
- **मुख्य आवेश**, विस्फोटित नहीं हुए बारूदी सुरंगों के समान, विस्फोट उत्पन्न करने वाला प्राथमिक विस्फोटक।
- सभी वस्तुओं को सम्मिलित रूप में धारण करने वाला एक पात्र। यह विस्फोट को विशिष्ट दिशा में प्रबल शक्ति मुक्त करने हेतु अभिकल्पित किया गया हो सकता है।

10.18. MTCR में भारत की प्रविष्टि से इसरो को सहायता

(ISRO Aided by India's Entry into MTCR)

- MTCR ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के प्रथम चरण को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त की जाने वाली इसकी ठोस रॉकेट बूस्टर प्रणोदन प्रणाली (solid rocket booster propulsion system) हेतु अत्याधुनिक परीक्षण तकनीक प्रौद्योगिकी की उपलब्धता की सुविधा प्रदान की है।
- इससे पहले, सीमित प्रौद्योगिकी उपलब्धता के कारण इस प्रणाली का परीक्षण एक धीमी प्रक्रिया थी।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवश्यक कई अवयव**, उनके दोहरे सैन्य उपयोग के कारण MTCR में नियंत्रित मदों की सूचियों में सम्मिलित थे।
- MTCR के नियंत्रित मदों की उपलब्धता ने भारत को 300 बिलियन डॉलर के उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में अपेक्षाकृत बड़ा भागीदार बनने हेतु प्रमुख प्रयास करने के लिए अग्रसर किया है।

10.19. ट्रेपिस्ट-1

(Trappist-1)

- हाल ही में नासा ने एक **नए एक्सोप्लेनेट सिस्टम** की खोज की है जिसमें पृथ्वी के आकार के सात ग्रह **ट्रेपिस्ट-1** नामक ठंडे वामन तारे (ड्वॉर्फ स्टार) के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, जो पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर है।
- **ट्रेपिस्ट-1** (द ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लेनेटसिमल्स स्माल टेलिस्कोप-The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) का नामकरण तारों का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिली के अटाकामा मरुस्थल में स्थित रोबोटिक टेलिस्कोप के आधार पर किया गया है।
- यह सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में **8 प्रतिशत द्रव्यमान** वाला **छोटा तारा** है और **वृहस्पति ग्रह से केवल कुछ ही बड़ा** है। यह अक्वेरीयस कान्स्टलैशन (Aquarius constellation) में अवस्थित है। यह सूर्य की तुलना में बहुत कम सतही तापमान वाला **"अतिशय ठण्डा बौना ग्रह'** है।
- इस प्रणाली के छह ग्रह **निवास योग्य या गोल्डीलॉक्स जोन** में अवस्थित हैं, जिनका परिवेशी सतह तापमान जीवन के लिए उपयुक्त है।
- इन छह ग्रहों में से ट्रेपिस्ट-1e, 1f एवं 1g के रूप में वर्गीकृत कम से कम तीन ग्रहों में महासागर विद्यमान है।
- सभी सातों ग्रहों की ग्रहीय कक्षाएँ, हमारे **सूर्य से बुध की दूरी की तुलना** में उनके होस्ट स्टार (host star) के अधिक समीप हैं।.
- पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर, एक ही तारे के चारों ओर, निवास योग्य क्षेत्र वाले इतने अधिक ग्रहों की खोज हुई है।

10.20. थोर प्रयोग

(THOR Experiment)

- थोर प्रयोग का उद्देश्य तडितझंझाओं से उत्पन्न विद्युत गतिविधि की जांच करना है।
- वायुमंडल में 10 से 100 किमी की ऊँचाई पर आवेशित कणों के बीच अंतर्क्रिया नीले जेट से लेकर लाल स्प्राइट जैसी चकाचौंध कर देने वाली परिघटनाएँ उत्पन्न करती है।
- थोर प्रयोग, थन्डरक्लाउड इमेजिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रेक्षण स्थल से उनका अवलोकन करेगा।
- इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि मुक्त होने वाले ये आवेश, जल वाष्प स्तरों, बादल के गठन एवं अंतत: जलवायु में होने वाले परिणामी परिवर्तनों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।
- इस प्रयोग को नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में उल्लिखित तड़ित/बिजली उत्पन्न करने वाले देवता के नाम पर 'थोर' कहा जाता है।

10.21. मेघालय में यूरेनियम भंडार मिला

(Uranium Reserves Found in Meghalaya)

- डोमियासियात, वाखेन, लॉस्टॉयन के विशाल क्षेत्र में यूरेनियम का भण्डार पाया गया है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (UCIL) ने पहले से ही डोमियासियात पर खनिज संसाधनों का विकास करने की योजना बनाई है।
- इस परियोजना में देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में परमाणु ईंधन उत्पन्न करने की क्षमता है।

10.22. डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर के लिए परभक्षी मिला

(Predator Found for Dengue Causing Mosquito)

- डेंगू प्रतिवर्ष 390 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। 2016 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक सुनिश्चित मामले रिपोर्ट किए गए थे। (WHO का अनुमान)।
- कलकत्ता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि लुत्जिया फुसाना(**Lutzia fuscana**) लार्वा एडीस इजिप्टी (डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर) से पोषण प्राप्त करने को वरीयता प्रदर्शित करता है।
- "लुत्जिया फुसाना" मच्छर एडीस इजिप्टी का प्राकृतिक परभक्षी है।
- इस प्रकार लुटज़िया फस्काना, प्रभावी जैविक नियंत्रण विधि होने के कारण डेंगू मच्छर को मारने के लिए खतरनाक रसायनों का उपयोग करने के स्थान पर बेहतर समाधान हो सकता है।
- 1928 से भारत मच्छर लार्वा के विरुद्ध जैविक नियंत्रक के रूप में **गम्बुसिया अफ्फिनिस (Gambusia affinis)** या **मॉस्क्विटो फिश** का प्रयोग करता रहा है। यह एक विदेशी प्रजाति है और विश्व के गर्म और कुछ शीतोष्ण भागों में विस्तारित रही है।

10.23. आर्कटिक वॉल्ट में नए बीज जमा किये गए

(Arctic Vault Receives New Seed Deposits)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सहित विश्व भर के बीज संग्रहों से बीजों के 50,000 नए नमूनों को स्वाल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट (Svalbard Global Seed Vault) में जमा किया गया है।

स्वाल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट

- इसका स्वामित्व एवं प्रशासन नॉर्वे राज्य की ओर से एग्रीकल्चर एंड फ़ूड मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है।
- यह उत्तरी ध्रुव से लगभग 1,000 किमी दूर परमाफ्रॉस्ट ज़ोन में निर्जन द्वीप पर भूमिगत रूप से निर्मित किया गया जीन बैंक है।
- इसका वर्ष 2008 में विश्व के अन्य सीड बैंकों की क्षति होने की स्थिति में मास्टर बैक-अप के रूप में आरम्भ गया था।
- यह युद्धों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण वैश्विक खाद्य फसलों की पूर्ण रूप से समाप्ति होने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया विश्व का सर्वाधिक विशाल संग्रह है।

10.24. VX नर्व एजेंट

(VX Nerve Agent)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मलेशियाई अधिकारियों से प्राप्त एक प्रारंभिक रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग-उन के सौतेले-भाई किम जोंग-नम की हत्या प्रतिबंधित नर्व एजेंट VX द्वारा की गई थी।

VX नर्व एजेंट के संबंध में

- यह तंत्रिका तंत्र, आम तौर पर श्वसन का नियंत्रण करने वाली तंत्रिका पर कार्य करता (इसलिए इसका नाम नर्व एजेंट) है।
- यह कोलीनर्जिक नर्व्स द्वारा स्रावित किए जाने वाले न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन (acetylcholine) को अपघटित करने वाले एसिटाइलकोलिनेस्टरेज़ (acetylcholinesterase) एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित करता है। इसके परिणामस्वरुप और भी अधिक एसिटाइलकोलिन उत्पन्न होता है जो ऊतकों को अत्यधिक उत्तेजित कर देता है जिसके परिणाम से श्वसन पक्षाघात एवं मृत्यु हो जाती है।
- VX नर्व एजेंट अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है क्योंकि रासायनिक हथियार कन्वेंशन की परिभाषा के अंतर्गत यह एक रासायनिक हथियार है।

रासायनिक हथियार कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention -CWC) एक आयुध नियंत्रण संधि है जो रासायनिक हथियारों और उनके पूर्ववर्तियों के उत्पादन, संग्रह एवं उपयोग को गैरकानूनी घोषित करती है।

इसका प्रशासन हेग, नीदरलैंड में स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons -OPCW) नामक अंतरसरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। यह संधि 1997 में प्रवर्तित हुई।

भारत ने 1996 में रासायनिक हथियार समझौते (CWC) की अभिपुष्टि की।